द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५७

सोमवार, १ मई, १९६१

११ वैश.ख, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९–६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३–६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४–६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . ६००७–१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०–२१

अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२–७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए.	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	६०८१—६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	६०८१––६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६१०१—६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३––०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य–	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन––	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८१—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव	६१८५—९१
खंड २, ३ और १	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें––१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक––	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५–– ——————————

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव––	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति ––	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१––पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८ ६४५३--७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ . ६४७५--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२ ६४७८--६५१५

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें ६५१५---१६

प्राक्कलन-समिति . . ६५१६--१७

(१) कार्यवाही सारांश

(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से संदेश ६५१६

विशेषाधिकार समिति--

बारहवां प्रतिवेदन . ६५१७

सभा का कार्य . . . ६५१७--१८

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक---पुरस्थापित ६५१८

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित ६५१८--१९

आयकर विधेयक ६५१९---३१

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६ १९--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

चौरास्सीवां प्रतिवेदन . . ६५३१

धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प---अस्वीकृत ६५३१--४३

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ६५४३---४५

दैनिक संक्षेपिका ६५४६--५१

विषय पृष्ठ

अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२० ६५५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२ . . . . ६५७६—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९ ६५८५—६६३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना . ६६३४–३५

कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में ६६३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६६३५–३६

राज्य-सभा से सन्देश ६६३६–३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६६३७

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ६६३७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ६६३७–३८

विशेषाधिकार समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ६६३८–३९

आयकर विधेयक, १९६१ ६६३९—४३

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६६३९—४३

दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक ६६४३—६५

विचार करने का प्रस्ताव ६६४३—६२

खंड २ और तीन २६६३—६५

दैनिक संक्षेपिका ६६६६—७३

अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५० ६६७५—९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ ६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३९, १८४५ और १८५१ से १८५९ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४९
खंड ३ से ९ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४९
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४९-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४९-५०
खंड १ और २	६७४९-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८-५९	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१--पारित	६७५८-५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९	६७५९-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५९--बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७९ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८ . .	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ . . .	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना . .	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था .	६८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक . .	६८८५–९७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . . .	६८९७—९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८९७—९१७
खंड २ से ५ तथा १ .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव .	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक . . .	६९१९–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६९२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय	पृष्ठ
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६	६९५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . .	६९५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख .	६९७६—७०२४
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य	७०२४—२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . .	७०२५—२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०२६—२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	७०२८
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
कर्यवाही सारांश	७०२८
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	७०२८
राज्य-सभा से सन्देश . . .	७०२९
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	७०२९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	७०२९—५३
खंड २ से २८ और खंड १	७०४९—५३
पारित करने का प्रस्ताव .	७०५३
सदस्य को सजा	७०४३
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . .	७०५४—५६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७०५६—६३
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	७०६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	७०६६—७५

विषय	पृष्ठ

अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, . ७०७७—९७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . . ७०९८—७१०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१ ७१०४—०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६९४ और ४६९६ से ४७०३ . . . . . ७१०७—४६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७१४६—४८

स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७१४८–४९

१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७१४९—५१

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य ७१५१

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ७१५२

कार्यवाही सारांश

याचिका संबंधी ७१५२

कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश ७१५२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ७१५२

प्राक्कलन समिति ७१५२

एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पूंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का) विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा

सोमवार, १ मई, १९६१

११ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये ऋण की अदायगी

+

†*१७९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पांगरकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये ऋण की अदायगी की शर्तों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि १ जुलाई, १९५८ से इन ऋणों पर ५ प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज लिया जाये। प्रशुल्क आयोग 'टिस्को' और 'इस्को' के लिये १९६०–६२ की अवधि के वास्ते लोहे और इस्पात के उचित प्रतिधारण मूल्य तय करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। प्रशुल्क आयोग को यह अनुरोध किया गया है कि वह प्रस्तावित प्रतिधारण मूल्यों में 'टिस्को' और 'इस्को' को दिये गये ऋणों पर

†मूल अंग्रेजी में

अदा किये जाने वाले ब्याज और इन ऋणों की अदायगी की बात को भी शामिल कर ले । प्रतिधारण मूल्यों के बारे में 'टिस्को' और 'इस्को' को दी जाने वाली अनुमति का निर्णय करने के पश्चात् इन ऋणों की पुनर्अदायगी की शर्तों को तय किया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मंत्री महोदय ने बताया है कि ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर १ जुलाई, १९५८ से निश्चित की गयी है । १ जुलाई, १९५८ से इन कम्पनियों से कितना ब्याज लिया जाना है और उस में से कितना वसूल हो चुका है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : 'टिस्को' और 'इस्को' को १० करोड़ रु० का ऋण दिया गया है । ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है । मेरा ख्याल है कि अभी वसूली नहीं हुई है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या 'टिस्को' और 'इस्को' में से प्रत्येक कम्पनी को १० करोड़ रु० का ऋण बिना ब्याज के दिया गया था ? क्या उन्होंने ये ऋण लौटा दियें है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ये वही ऋण हैं ।

†**श्री राम नाथन् चेट्टियार** : बिना ब्याज वाले ऋणों का क्या बना ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले यह कहा गया था कि ये ऋण बिना ब्याज के हैं । क्या ब्याज शुरू से ही लिया जा रहा है अथवा किसी बाद की तारीख से ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ब्याज १ जुलाई, १९५८ से लगाया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऋण देने के कितने वर्ष बाद ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जुलाई, १९५३ में सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से समझौता किया था जिसके अनुसार उस कम्पनी को १० करोड़ रु० का ऋण दिया गया था । इसका अर्थ है कि जुलाई, १९५३ से जुलाई १९५८ तक कोई ऋण नहीं लिया गया। 'टिस्को' को मई, १९५४ में १० करोड़ रु० ऋण दिया गया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्हें इतने वर्षों के लिये बिना ब्याज के ऋण देने के क्या विशेष कारण थे ? क्या यह बात मूल करार का हिस्सा थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : १९५३ में विस्तार के बारे में एक करार किया गया था । उस समय ऋण के बारे में शर्तें तय की गयी थीं । यह बात भी मानी गयी थी कि ऋणों की पुनर्अदायगी उन्हें दिये जाने वाले प्रतिधारण मूल्यों में इस बात को शामिल करके की जायेगी । ब्याज लेना और उसे प्रतिधारण मूल्य में शामिल करना तो एक तरह से मशीनी सी व्यवस्था है । मुख्य बात तो सरकार की यह इच्छा थी कि देश में इस्पात बनाने के उद्योग का विस्तार किया जाये । इसी लिये इन कम्पनियों के साथ समझौते किये गये थे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं इस की व्याख्या इस प्रकार कर सकता हूं कि क्या प्रतिधारण मूल्यों में अयुक्तियुक्त रूप से वृद्धि की गयी थी ताकि कम्पनी ब्याज अदा कर सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा में इस प्रकार के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या प्रतिधारण मूल्य में वृद्धि इसलिये की गयी थी कम्पनियां व्याज चुका सकें ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : अभी तक नहीं, श्रीमान् । प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने पर हमें इस स्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये । हमें यह बात स्पष्टतापूर्वक समझ लेनी चाहिये कि समझौते की शर्तों के अनुसार मूलधन और व्याज दोनों की अदायगी प्रतिधारण मूल्यों में इन रकमों को शामिल करके की जायेगी ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या इस ऋण की अदायगी प्रतिधारण मूल्य पर निर्भर करती है और प्रतिधारण मूल्य कब तक निर्धारित हो जायेंगे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : प्रतिधारण मूल्य तो अब भी तय है । १ अप्रैल, १९६० से लेकर दो वर्ष तक की अवधि के लिये, प्रशुल्क आयोग को निर्देश किया गया है और प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर प्रतिधारण मूल्य अन्तिम रूप से तय किया जायेगा । आजकल जो प्रतिधारण मूल्य है वह अन्तरिम है और अदायगी उसके आधार पर की जा रही है । प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्तिम निर्णय होने के बाद अन्तिम समायोजन किया जायेगा ।

†डा० सुशीला नायर : सभा में दिये गये एक वक्तव्य के अनुसार 'टेल्को' के प्रतिधारण मूल्य चित्तरंजन लोकोमोटिव के मूल्यों से ऊंचे हैं । क्या अब इस अन्तर को दूर कर दिया गया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : 'टेल्को' और 'टिस्को' भिन्न भिन्न कम्पनियां हैं ।

इस्पात कारखानों के लिये कच्चे माल की खरीद

+

†*१८००. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :
श्री राजेश्वर पटेल : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिये लौह-अयस्क, चूने के पत्थर और डोलोमाइट की खरीद ठेकेदारों से की गयी क्योंकि इन कारखानों में उत्पादन शुरू होने के समय इन कारखानों के सम्भरण के अपने स्त्रोत इन चीजों का सम्भरण करने के लिये तैयार नहीं थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक माल के लिये क्या कीमत दी गयी ; और

(ग) यदि इन चीजों का सम्भरण मूल श्रोत से किया गया था, तो इन चीजों पर अनुमानतः क्या लागत आयी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

भिलाई के इस्पात कारखाने ने १९५९ की वर्षा ऋतु के दौरान ६४,००० टन लौह-अयस्क प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त यह कारखाना लौह अयस्क, चूने के पत्थर और डोलोमाइट का संभरण

†मूल अंग्रेजी में

नियमित रूप से अपने स्रोतों से प्राप्त करता रहा है । दुर्गापुर में लौह-अयस्क की सप्लाई आंशिक रूप से बोलानी खान से शेष बाजार से करने की योजना है। इसी प्रकार इसे चूने का पत्थर बाजार से लेना है। रूरकेला के लिये लौह अयस्क की खान का विकास बरसुआ में किया गया है। खान में काम के बारे में पहले पहल कुछ कठिनाइयां आयी थीं अतः यह कारखाना अपनी अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति अन्य स्रोतों से करता रहा है। चूने के पत्थर और डोलोमाइट का संभरण कुछ पूर्णपानी में खोली जा रही नई खान से और कुछ सतना-मैहार के बाजार से करने की योजना है। पूर्णपानी की खानें १९६२ के अन्त तक तैयार नहीं हो सकेंगी । तब तक, रूरकेला को चूने का पत्थर और डोलोमाइट पूर्णतः बाजार से लेना पड़ेगा ।

(ख) रूरकेला द्वारा वैकल्पिक स्रोतों से खरीदे गये लौह अयस्क को रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य ११.५० रु० प्रति टन है । चूने के पत्थर और डोलोमाइट की कीमत सामान्यतः ९ रु० से १३.५० रु० (रेलवे पर्यन्त निःशुल्क) रही है ।

(ग) बरसुआ खान के लौह अयस्क और पूर्णपानी खान के चूने के पत्थर की कीमत का सही अनुमान तब तक लगाना कठिन है जब तक कि ये खानें कुछ देर चलती न रहें किन्तु स्थूल अनुमान के अनुसार लौह अयस्क का रेलवे पर्यन्त निःशुल्क मूल्य १० रु० प्रति टन से कुछ अधिक और चूनें के पत्थर का रेलवे पर्यन्त निःशुल्क मूल्य लगभग १० रु० प्रति टन होगा जबकि अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क और चूने के पत्थर का औसत मूल्य क्रमशः ११.५० रु० और १२ रु० होता है ।

†**श्री मुरारका :** इसका अर्थ यह हुआ कि चूने के पत्थर और डोलोमाइट के संभरण के लिये इस्पात कारखानों के अपने स्रोत १९६२ के अन्त तक तैयार नहीं होंगे । अधिकांश संयंत्रों में उत्पादन शुरू हो गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह गलत आयोजन किन कारणों से हुआ जिससे कि कच्चे पदार्थों के स्रोतों से १९६२ से पहले संभरण नहीं हो सकेगा जबकि इस्पात कारखानों में उत्पादन होना शुरू हो गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यदि माननीय सदस्य ने रूरकेला के लिये चूने के पत्थर के संभरण के बारे में यह बात कही होती तो मैं इसे मान लेता । किन्तु उन्होंने इसे बहुत व्यापक बना दिया है । मैं ने अपने उत्तर में कहा था कि जहां तक रूरकेला को चूने के पत्थर के संभरण का संबंध हैं, अन्ततोगत्वा यह पूर्णपानी से किया जायेगा । इस खान का विकास किया जा रहा है । इसमें कुछ विलम्ब हो गया है । इस बीच रूरकेला को चूने के पत्थर का संभरण मौजूदा स्रोतों से किया जा रहा है । यह मौजूदा स्रोत भी पास ही के झिमित्रपुर के इलाके में है यह इलाका रूरकेला इस्पात संयंत्र के बिल्कुल निकट है ।

†**श्री मुरारका :** विवरण में यह कहा गया है :

> "चूने के पत्थर और डोलोमाइट का संभरण कुछ पूर्णपानी में खोली जा रही खान से और कुछ सतना-मैहार के बाजार से करने की योजना है । पूर्णपानी की खानें १९६२ के अन्त तक तैयार नहीं हो सकेंगी ।"

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं माननीय सदस्य को अगली लाइन पढ़ने का अनुरोध करूंगा जिसमें कहा गया है " तब तक, रूरकेला को चूने का पत्थर और डोलोमाइट पूर्णतः बाजार से लेना पड़ेगा ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : अन्य स्रोतों से माल खरीदने पर, इन चीजों का अधिक मूल्य देना पड़ता है। मेरा प्रश्न तो यह है कि १९५९-६० में जब कारखाने में उत्पादन शुरू हुआ तो कच्चे माल की सप्लाई के स्रोत तैयार नहीं थे और १९६२ तक भी वह तैयार नहीं होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह शुरू से ही बनाया गया था कि कच्चे माल की सप्लाई के स्रोत अमुक अमुक होंगे अथवा इस बात का विचार बाद में किया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शुरू से ही विचार यह था कि रूरकेला को चूने का पत्थर पूर्णपानी से लेना चाहिये। यह स्थान रूरकेला से २०-२५ मील दूर है। इस समय हमारे पास बिमित्रपुर की खान हैं। पूर्णपानी की खानों के विकास में अधिक समय लगा है। एक नई रेलवे लाइन भी बिछायी जानी थी। इसलिये इस बीच इस कारखाने के लिये चूने का पत्थर अन्य स्रोतों से खरीदा गया है।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : १९६२ तक अन्य स्रोतों से कितना चूना और डोलोमाइट खरीदा जायेगा और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि अपने स्रोत पहले बन जाते तो तब कितना खर्च होता और इन दोनों खर्चों में कितना अन्तर है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक चूने के पत्थर का संबंध है, लागत के अन्तर की बात इतनी मुख्य नहीं, हालांकि यह भी काफी महत्वपूर्ण है। किन्तु चूने के पत्थर के बारे में सब से अधिक महत्वपूर्ण बात उसकी किस्म और इसकी कमी होना है। हमारे देश में चूने के पत्थर के निक्षेप बहुत अधिक नहीं हैं और वे इस प्रकार फैले हुये नहीं हैं जैसाकि हम चाहते हैं। अतः शुरू से ही विचार यह था कि चूने के पत्थर के संभरण के विशेष स्रोतों का विकास किया जाये। भिलाई के लिये नन्दिनी खान का विकास किया गया था। वहां से भिलाई को चूने के पत्थर का नियमित रूप से संभरण किया जा रहा है। इसी प्रकार रूरकेला के लिये पूर्णपानी के बारे में निर्णय किया गया था। दुर्गापुर के निकट चूने के पत्थर की उपयुक्त खानें नहीं हैं अतः हमें अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मौजूदा स्रोतों की, जहां से आजकल संभरण किया जा रहा है और उन स्रोतों की, जिनका विकास किया जा रहा है, लागत का परस्पर क्या अन्तर है ? बात यह है कि जब हम इतना समय लेते हैं और इतना धन व्यय करते हैं तो हमने इन चीजों को पहले क्यों नहीं किया।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हर बात को समय लगता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : लागत में क्या अन्तर है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह अन्तर एक रुपया अथवा डेढ़ रु० प्रति टन होगा।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : १९६२ तक कुल कितनी खपत होगी ? इससे हमें कुल हानि का पता चल जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसके लिये मुझे गणना करनी पड़ेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह बात पहले मूल प्रश्नों में ही पूछ लेनी चाहिये थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** क्या योजना और प्राक्कलन बनाते समय इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इन बातों पर ध्यान दिया गया था ।

†**श्री रंगा :** तब इतने वर्ष बीतने के पश्चात् सरकार अब इन बातों पर क्यों सोच रही है कि संभरण कहां से किया जा सकता है, उन्हें कितना व्यय करना पड़ेगा इत्यादि ? क्या इससे यह पता नहीं चलता कि हमारा आयोजन त्रुटिपूर्ण था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं । किन्तु इस्पात कारखाने जैसे संगठित उद्योग में इस किस्म की अड़चनें आती ही हैं जहां पर कि अपेक्षित मात्रा में अपेक्षित किस्म के कच्चे पदार्थों का संभरण करना पड़ता है । सभा को इस बारे में कुछ अधिक धैर्य रखना चाहिये और जल्दी से निष्कर्ष नहीं निकालने चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खुशी है कि अब इस बात का पता लग गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** जब कारखानों के स्थान का निर्णय किया गया था तो हमें बताया गया था कि आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ पास ही उपलब्ध हैं । अब हमें पता चलता है कि ये दूरी पर हैं और अभी उनका विकास नहीं हुआ है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं इस बात को नहीं मानता । ब्रिमित्रपुर क्षेत्र, जहां से संभरण किया जा रहा है, पूर्णपानी से रूरकेला के अधिक निकट है ।

प्रविधिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संस्था की ओर से सहायता

†*१८०२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक शिक्षा कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा के बारे में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संस्था की ओर से कितनी सहायता दी गयी है अथवा दिये जाने का वायदा किया गया है; और

(ख) इस संबन्ध में कौन से देश सहायता देने का पहले से वचन दे चुके हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान, और संस्कृति संस्था ने १९६१-६२ के लिए ७५,६०,९५२.३८ रू० की सहायता मंजूर की है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी गयी सहायता का अलग अलग देशों से कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सहायता प्रविधिक शिक्षा की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है अथवा भारत सरकार इसे अपने विवेकानुसार जहां चाहे खर्च कर सकती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह सहायता निम्नलिखित संस्थाओं को दी जायेगी : इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, बम्बई, और सहायता का क्षेत्र होगा---रासायनिक इंजीनियरी, इलेक्ट्रो-कैमिकल इंजीनियरी, ईंधन प्रौद्योगिकी, सिलिकेट प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स,

†मूल अंग्रेजी में

मशीनी औज़ार आदि; इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़्ग पुर और सहायता का क्षेत्र होगा--- मशीनों को संभालना और सिविल इंजीनियरी ; बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय और क्षेत्र होगा—धातु विज्ञान ; वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् को चमड़ा प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में, मद्रास विश्वविद्यालय को रसायन इंजीनियरी में; केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपुर को शुष्क क्षेत्रों के अनु-सन्धान के लिए और इंडियन स्कूल आॅफ माइन्स, धनबाद को पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के लिए ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** इस निधि के आवंटन की कसौटी क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कसौटी है 'युनेस्को' से प्राप्त सहायता का अधिकतम उपयोग । 'युनेस्को' को सिफारिश करने से पहले इन सस्थाओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हम मद्रास की इंडियन इस्टिट्यूट आॅफ हायर टेक्नालाजी के लिए पश्चिम जर्मनी से सहायता ले रहे हैं। क्या यह सहायता सीधे दी जाती है अथवा 'युनेस्को' के माध्यम से ? मन्त्री जी ने अपनी सूची में इस संस्था का उल्लेख नहीं किया ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं ने जिस सहायता का उल्लेख किया है वह सीधे 'युनेस्को' से मिली है ।

स्कूल के बच्चों के लिये सस्ते कैनवस के बैग

*१८०३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकर मंडल की पिछली बैठक में यह सुझाव दिया था कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये सस्ते कैन-वस बैग बनाये जायें, ताकि वे अपनी किताबें और टिफिन कैरियर कधों पर लटका कर ले जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उस सुझाव पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सामने जो भाषण दिया था उसकी एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है । हम भी स्कूल के बच्चों के लिए ऐसे सस्ते थैले तैयार करने के लिए कार्य वाई कर रहे हैं जो संघीय क्षेत्रों के स्कूलों में काम में लाये जा सकें और साथ ही राज्यों के लिए भी एक नमूने का काम दे सकें।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि जो इस समय इस तरह के थैले बाज़ार में मौजूद हैं, उन में और इस नये प्रकार के थैले में कौन सी विशेषता होगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो हमारे इस वक्त के थैले हैं उन को बच्चे हाथ में लेकर चलते हैं और इस से उनकी कमर सीधी नहीं रह पाती है, कभी इधर और कभी उधर झुकती है । हैवर सैक जो हैं वे पीछे रहेंगे और कमर जरा सीधी रहेगी, यह फायदा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि जो नए थैले हैं वे जुलाई से जो सैशन शुरू होने वाला है, तब तक क्या बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं । लेकिन इसकी जांच पड़ताल हो रही है और एक कमेटी डायरेक्टोरेट ने मुकर्रर की है । कोशिश की जाएगी कि जितनी जल्दी हो सके, ये बाजार में आ जायें ।

श्रीमती कृष्णा मेहता : मैं जानना चाहती हूं कि ये थैले क्या सरकार की तरफ से बच्चों को दिए जायेंगे या मां बाप को खरीदने पड़ेंगे ? और उनका दाम क्या होगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : थैले मां बाप ही खरीदेंगे । सरकार की यह कोशिश है कि सस्ते से सस्ते वे बाज़ार में आ सकें ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार थैला तैयार करने के लिए भी एक समिति नियुक्त करना आवश्यक समझती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सब से पहले "हैवरसैक" का डिजाइन तैयार करना पड़ेगा। हमारी कोशिश यथा सम्भव सस्ते से सस्ता "हैवरसैक प्राप्त करने की है । यह अच्छा होगा यदि एक दो आदमी इस सारी बात की जांच करें । यह एक विभागीय समिति होगी, एक बड़ी समिति नहीं । ये लोग इसकी छान बीन कर रहे हैं । यह हमेशा बेहतर है कि किसी चीज पर एक से अधिक व्यक्ति ग़ौर करें। इसलिए एक समिति की आवश्यकता समझी गयी ।

श्री प० ला० बारूपाल : जो थैले बनाये जायेंगे ये क्या किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा बनाये जायेंगे या गवर्नमेंट की किसी फैक्टरी द्वारा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार को पता है कि कक्षा में वृद्धि होने के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है ? क्या सरकार को इस बारे में कोई अनुमान है कि बच्चों को स्कूल में कितनी किताबें तथा कापियां ले जानी पड़ती हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव** : इस के बिना सरकार किताबें ले जाने वाले थैले अथवा बस्ते किस प्रकार बना सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि बस्ता सिला हुआ होगा तो उस में सारी किताबें, जिनकी सख्या में हर वर्ष वृद्धि हो जाती है, किस प्रकार आयेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति स्कूल जाने वाले बच्चों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखेगी ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या सरकार ये हिदायतें देगी कि ये बस्ते इतनें मजबूत हों ताकि वे किताबों का बोझ सम्भाल सकें अथवा सरकार किताबों की संख्या सीमित करायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति इन सब बातों पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** टिफिन-कैरियर की क्या व्यवस्था होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** टिफिन-कैरियर के लिए कुछ नहीं किया जाना है । टिफिन को कैरियर में ले जाया जा सकता है । टिफिन के लिये अन्य कैरियर की क्या आवश्यकता है ?

तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर

***१८०५. श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर जिले में भारत सरकार द्वारा एक तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना अन्तिम रूप से निश्चित हो गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के नागरिकों ने बीकानेर के निकट एवं उक्त क्षेत्र में आने वाले गांवों को उठाने के संबंध में राज्य सरकार एवं जिलाधीश तथा कमिश्नर, बीकानेर, को विरोध-पत्र दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया जा रहा है; और

(घ) यदि यह तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर के कहीं और अलग उजाड़ में स्थापित किया जाये तो सरकार को क्या हानि है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) सरकार का राजस्थान में सेना के लिए एक तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है, और कई प्रतिबदल स्थान विचाराधीन हैं ।

(ख) तथा (ग). बीकानेर जिला के कई गांवों के रहने वालों से भारत सरकार को एक प्रतिवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था, और वह राज्य सरकार को भेज दिया गया था ।

तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये भूमि ग्रहण, करने की किसी भी योजना में कुछ स्थानीय वासियों का विस्थापित होना अनिवार्य होता है । तदपि ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवाजा दिया जाता है ।

(घ) गैर आबाद क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान मिल पाने की दशा में कोई कठिनाई नहीं होती । परन्तु अपने देश में सर्वथा गैर आवाद ऐसे क्षेत्र मिल पाना असंभव है, जो और कठिनाइयों से विमुक्त हो ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस तोपखाना प्रशिक्षण क्षेत्र में कितने गांव आयेंगे और उन गांवों के प्रत्येक परिवार को अधिक से अधिक और कम से कम कितना मुआवजा दिया जायेगा ?

†**श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :** गांवों की संख्या ६२ है जिन में ४० गैर-आबाद हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल : मेरे पूछने का मतलब यह है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम और अधिक से अधिक कितना मुआवजा दिया जायेगा और वह किस रूप में दिया जायेगा ।

†**श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :** इस समय इस बारे में कुछ कहना समय-पूर्व होगा ।

†**डा० मा० श्री अणे :** क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य किन स्थानों पर विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के एक विशिष्ठ हिस्से कुछ अभ्यावेदन, विशेषत: इस सदन के सदस्य महाराजा बीकानेर से, प्राप्त हुए थे, कि इस प्रश्न पर बड़े ध्यान से गौर किया जाये। इन अभ्यावदनों को देखते हुए, और इस बात के बावजूद भी कि राज्य सरकार सहमत हो चुकी थी, उन्होंने एक नई पर्यवेक्षण पार्टी वहां पर भेजी। उस पार्टी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। सरसरी नजर से देखने पर यह लगता है कि रिपोर्ट इस पक्ष में नहीं कि हमारे पास इस समय जो स्थान है, हम उसे छोड़ दें।

†**डा० सुशीला नायर** : इस बात को देखते हुए कि सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिये बहुत सी योजनायें तैयार कर रही है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार की मुआवजे की रकम को इस प्रकार तय करने की कोई प्रस्थापना है जो कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त हो और ऐसा न हो कि यह रकम थोड़ी हो जिसे वह खर्च कर डालें और पुन: भूखे हो जायें ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस बारे में एक सुस्थापित प्रक्रिया है। यह काम राज्य सरकार का है।

†**डा० सुशीला नायर** : कुछ राज्य सरकारें इस बारे में बड़ा ध्यान रखती हैं। उदाहरणत: पंजाब सरकार ने आम तौर पर इस प्रकार विस्थापित व्यक्तियों को दूसरी जमीनों पर बसा दिया है। किन्तु कुछ अन्य स्थानों पर इन लोगों को केवल रुपया दिया जाता है। क्या यह भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि वह देखे कि वह जिन परियोजनाओं को हाथ में लेती है उनके परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगार और निराश्रित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि न हो, और क्या इसके लिये उन्हें राज्य सरकारों को उचित सलाह नहीं देनी चाहिये ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने यह कहा है कि यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। यह एक अन्य प्रश्न है कि क्या मैं राज्य सरकारों को निदेश दे सकता हूं। आम तौर पर इन सब बातों पर विचार किया जाता है और वस्तुत: इन लोगों को काफी उदारता से मुआवजा दिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : भारत सरकार का प्रतिरक्षा मंत्रालय का काम केवल जमीन का अधिहण करना है और यह काम वह राज्य सरकारों के माध्यम से करता है। इसके लिये आवश्यक राशि राज्य सरकार को दे दी जाती है और राज्य सरकार उसे जैसे चाहे वैसे व्यय कर सकती हैं। इस मामले को आगे बढ़ाने से क्या लाभ है ?

†**डा० सुशीला नायर** : कई मामलों में राज्य सरकारों को अतिरिक्त रकम की आवश्यकता होती है। ताकि विस्थापित जमीन देने के लिये उसका विकास किया जा सके। क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों को यह रुपया देने के लिये तैयार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विषयान्तर कर रहे हैं। यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**डा० सुशीला नायर** : मुआवजा कुछ नियमों के अन्तर्गत दिया जाता है किन्तु यह रुपया इन लोगों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त नहीं होता। इस सम्बन्ध में कुछ करना बहुत जरूरी है। अन्यथा बेरोजगारी को दूर करने की योजनाओं का कोई लाभ नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान रखेंगे कि पुनर्वास के लिये दिया जाने वाला मुआवजा पर्याप्त हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** मुझे ऐसा करने का कोई प्राधिकार नहीं है। इसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। इसके लिये नियम निर्धारित हैं। यदि हम इन को भंग करेंगे तो लोक लेखा समिति तो महा लेखा-परीक्षक हमारी टीका-टिप्पणी करेंगे ।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार ने श्री कर्गी सिंह जी के सुझावों पर विचार किया है और क्या वे सुझाव राजस्थान सरकार के पास भेजे गये हैं ? इस बारे में राजस्थान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि गैर-आबाद इलाकों में उपलब्ध उपयुक्त स्थानों का अधिग्रहण करना चाहिये ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी हां। मैंने इस बात का जवाब बिना पूछे ही दे दिया था। सरकार ने इस बारे में स्वयं ही पहल की थी। राजस्थान सरकार का विचार है कि हमें इस जगह को बदलना नहीं चाहिये क्यों कि इस तरह से एक आदमी के साथ न्याय करते हुए हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय कर सकते हैं। इसके बावजूद पर्यवेक्षक दल वहां भेजा गया था। हम इसकी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं ।

†**श्री प० ला० बारूपाल :** क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस प्रशिक्षण केन्द्र में कितने विद्यार्थी रहेंगे और उनके रहने की व्यवस्था स्थायी होगी या अस्थायी ? क्या उनके लिये पक्के मकान भी बनाये जायेंगे ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** चान्दमारी के क्षेत्र में प्रशिक्षार्थी नहीं होते। किसी प्रशिक्षणार्थी का वहां होना बड़ा खतरनाक है। यह तो सेना का अभ्यास केन्द्र है।

भारतीय वायु सेना द्वारा जोरहाट में भूमि-अधिग्रहण

†*१८०६. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट, आसाम में स्थित भारतीय वायु सेना द्वारा बहुत सी गैर-सरकारी भूमि हासिल की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जमीन के मालिकों को यथोचित मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जोरहाट, आसाम में भारतीय विमान बल के लिये ५८३ एकड़ गैर-सरकारी भूमि १९४२-४४ में और ४० एकड़ गैर-सरकारी भूमि १९५७ में अर्जित की गई थी।

(ख) और (ग). ५८३ एकड़ भूमि का पूरा प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है। शेष ४० एकड़ भूमि के लिये जोरहाट के कलक्टर द्वारा हाल में किये गये निर्धारण का सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा द्वारा छानबीन किये जाने तक के लिये ६०,००० रुपये का खाते मध्ये भुगतान किया गया है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** भूमि के मालिकों को प्रतिकर के भुगतान के लिये अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रतिकर के रूप में कितना व्यय किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** ६०,००० रुपये खाते मध्ये भुगतान किये गये हैं जो इस भूमि के मूल्य का लगभग ८० प्रतिशत होता है ।

†**श्री संगण्णा :** उससे कितन परिवार प्रभावित हुए हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** यह एक विमान क्षेत्र है जो बहुत से काम में लाया जा रहा है । अब प्रश्न सम्पत्ति के दावे का है । ५ एकड़ को छोड़ कर हमने समस्त क्षेत्र का अर्जन कर लिया है, अर्थात् अब विमान क्षेत्र की समस्त भूमि सरकारी सम्पत्ति है । जिस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गयावह मालिकों को वापस दे दी गई है । जहां तक ५ $^{1}/_{2}$ एकड़ भूमि का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है । वह किया जा रहा है । पुनर्वास का कोई प्रश्न ही नहीं है । यह एक पुराना विमान क्षेत्र है । यही नहीं, यह ऐसा क्षेत्र है जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं ।

†**श्री अमजद अली :** क्या यह सच है कि भूमिधारी प्रतिरक्षा विभाग से डर गये थे और भूमि पर कब्जा बिना अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ किये ही कर लिया गया था । प्रतिकार किस प्रकार का था और किस दर से भुगतान किया गया था ?

†**सरदार मजीठिया :** भूमिधारियों के डराये जाने का कोई प्रश्न नहीं है । उचित कार्यवाही की गई थी । जैसा मैंने कहा था, अधिकांश भूमि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान १९४२–४४ मे अर्जित की गई थी । जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, उसका निर्धारण स्थानीय प्राधिकारी करते हैं तथा भारत सरकार उसे छानबीन करने के पश्चात् स्वीकार कर लेती है ।

†**श्री अमजद अली :** यह भूमि स्थानीय अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गई थी अथवा केन्द्रीय अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत ?

†**सरदार मजीठिया :** इस समय मेरे पास इस की जानकारी नहीं है । परन्तु समस्त आवश्यक कदम उठाये गये थे ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** प्रतिरक्षा प्राधिकारियों द्वारा भूमि का अर्जन किन नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह माननीय सदस्य पुस्तकालय में रखी पुस्तक में देख सकती हैं ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** मुझे भूमि के मालिक से जो कागजात प्राप्त हुए उनसे मालूम होता है कि १७ लाख रुपये का भुगतान अभी बाकी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** १७ लाख रुपये ?

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** जी, हां ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह बात ठीक नहीं है । स्थिति यह है कि १,२६,०६६ रुपये के प्रतिकर का निर्धारण किया गया था तथा उसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है । शेष अधियाचित क्षेत्रों के हिस्से समय समय पर छोड़ दिये गये थे । तब ४० एकड़ भूमि बची । इसमें से ३५ एकड़ हमने अर्जित करली और ५ एकड़ बाकी बची । अतः धन के संबंध में तर्क करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । प्रक्रिया यह है कि हम स्थानीय प्राधिकारियों से यह कहते हैं कि भूमि का अर्जन किया जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्जन कलक्टर द्वारा किया जाता है जो उसका निर्धारण करता है और भारत सरकार उसे सामान्यतः स्वीकार कर लेती है जब तक कि उसके संबंध में कोई अत्यन्त असाधारण बात न हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : चूंकि.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि भूमि अर्जन की कार्यवाही स्थानीय कार्यकारी अधिकारियों द्वारा की जाती है । राशि जिला न्यायालय में जमा कर दी जाती है । जिस किसी व्यक्ति का दावा हो वह जिला न्यायालय में प्रार्थनापत्र दे तथा वहां उसका निर्णय किया जाता है । रुपया न्यायालय से लेना पड़ता है । केन्द्रीय सरकार इतना ही कर सकती है कि जिला न्यायालय में रुपया जमा कर दे । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की इससे अधिक कोई जिम्मेदारी नहीं है । अतः उसके बारे में प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ?

†**श्री अमजद अली** : इसके संबंध में दो अधिनियम हैं—एक स्थानीय और दूसरा केन्द्रीय । माननीय मंत्री यह नहीं बता सके कि यह कार्यवाही कौन से अधिनियम के अन्तर्गत की गई है । दोनों अधिनियमों में प्रतिकर की दर भिन्न भिन्न है ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक कठिनाई का निवेदन मैं भी करना चाहता हूं ?

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : भूमि का अर्जन अथवा अधियाचना उचित प्राधिकार के अन्तर्गत नहीं किया गया था वरन् बलात किया गया था । साधारण भूमि ही नहीं वरन् चाय बागानों की भूमि और पक्के अहाते भी बलात अर्जित कर लिये गये हैं ।

†**श्री अमजद अली** : आतंकित करके ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : इसका अर्जन १९४२—४४ में किया गया था । यह प्रश्न पूछा गया कि यह कार्यवाही किस नियम के अन्तर्गत की गई । वह अचल सम्पत्ति अर्जन अधिनियम, १९५२ के नियम ९ के अन्तर्गत की गई थी जिसमें कहा गया है कि :

> "जिस प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं वह धारा ८ की उप-धारा (१) के खंड (क) के अन्तर्गत प्रतिकर निश्चित करने में सम्पत्ति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के स्थानीय अधिकारी को अपने साथ मिलायेगा और संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।"

उसमें केवल इतना ही कहा गया है, अर्थात् हमने उसका अर्जन अचल सम्पत्ति की अधियाचना तथा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था । वास्तव में समस्त कार्य राज्य सरकार—कलक्टर अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्ति—द्वारा किया जाता है ।

†**श्री रंगा** : उसका अर्जन १९५७ में किया गया था और प्रतिकर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । जिन लोगों को इतने वर्षों तक भुगतान न किये जाने से कष्ट उठाना पड़ रहा है क्या उसके लिये केन्द्रीय सरकार को तनिक भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ?

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : यह तार है जो मुझे प्राप्त हुआ है....

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी माननीय सदस्य वकील नहीं मालूम होते हैं । समस्त कार्यवाही माननीय प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा नहीं की जाती है वरन् स्थानीय कार्यकारी अधिकारियों के माध्यम

---

†मूल अंग्रेजी में

से की जाती है। अतः उसमें बल का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में भूमि अर्जन हमेशा बलात होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से भूमि नहीं देता है। केवल वही लोग जिनकी सम्पत्ति बेकार होती है अपनी इच्छा से भूमि देंगे और १०,००० रुपये की भूमि का मूल्य १० लाख रुपये बतायेंगे। अधिसूचना जारी की जाती है, चाहे वे उसे पसन्द करें या न करें। यदि इस तरीके को बलात कहा जाता है तो उन्हें देश के हित में इस बल के आगे समपण कर देना चाहिये।

फिर रुपया जमा कर दिया जाता है और जिन लोगों के दावे हों वे न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर रुपया लेते हैं। रुपया विभाग द्वारा संबंधित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष भुगतान नहीं किया जाता है। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री १९४४ में प्रतिरक्षा मंत्री नहीं थे अतः उनके पीछे पड़ना व्यर्थ है। इस मामले में अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये। अगला प्रश्न।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन है.... (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं काफी सुन चुका हूं।

†**श्री हेम बरुआ** : मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने रुपया स्थानीय प्राधिकारियों के पास जमा कर दिया है। परन्तु आसाम सरकार इतने धीमे कार्य कर रही है कि रुपये का वितरण अभी नहीं हुआ है। इसलिये मैं पूछता हूं कि क्या भारत सरकार ने आसाम सरकार से उसके बारे में पूछताछ की है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जिला प्राधिकारी हम से बिना पूछे ही ८० प्रतिशत तक रुपया निकाल सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

श्रीमती मफीदा अहमद उठीं—

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति। माननीय सदस्या अपना स्थान ग्रहण करें, मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता हूं।

†**डा० सुशीला नायर** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहती हूं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : ११२ एकड़ भूमि और खरीदी जा रही है। यह तार है जो.... (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति : क्या मुझे महिलाओं के लिये पुरुषों से भिन्न नियम बनाने होंगे ? मैं कह चुका हूं कि माननीय सदस्या अपना स्थान ग्रहण करें।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : पीड़ित व्यक्ति.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां प्रत्येक मामले की चर्चा नहीं की जा सकती है। काफी जानकारी दी जा चुकी है। स्थानीय प्राधिकारी बिना इन दावों की जांच किये ८० प्रतिशत तक पेशगी ले सकते हैं। अतः जो कुछ भी संभव था वह किया जा चुका है। यदि इस प्रकार व्यक्तिगत मामले लाये जायेंगे तो उनकी संख्या हजारों में होगी। मैं पर्याप्त अवसर दे चुका हूं। अतः माननीय सदस्या को अपने राज्य की जरा सी बात पर इतना तूफान नहीं उठाना चाहिये। औचित्य प्रश्न क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर :** आपने कहा था कि यह मामला १९४४ का था जबकि वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री उस पद पर नहीं थे। क्या इसका मतलब यह है कि हम ऐसी बातों के संबंध में प्रश्न नहीं पूछ सकते जो कि वर्तमान भारत सरकार के निर्माण के पूर्व प्रारम्भ की गई हों जबकि उसने पिछली सरकार की समस्त जिम्मेदारियों को विरासत में ग्रहण किया है। (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, अन्यथा मैंने इस प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति ही न दी होती। मैं अनेक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं। यदि अब भी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि प्रतिरक्षा मंत्री गलती कर रहे हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। सरकार ने जब विरासत संभाली है तो वह प्रत्येक बात के लिये जिम्मेदार है ही। उसके संबंध में कोई प्रश्न नहीं है।

अगला प्रश्न।

उत्कल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का स्थगित किया जाना

†*१८०७. { **श्री बं० च० मलिक :** †
श्री कुम्भार : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में उत्कल विश्वविद्यालय के तत्वावधान में होने वाली आइ० ए० और बी० ए० की परीक्षाओं को मार्च, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में अकस्मात अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन परीक्षाओं के स्थगन के बारे में कोई जांच की गयी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया गया है ; और

(ङ) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) जिन प्रेसों को छपाई का कार्य दिया गया था उनसे छपे हुये पर्चों का न आना।

(ग) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

†**श्री बं० च० मलिक :** क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय के सिंडीकेट ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैंने मंत्रालय से इस मामले में जांच करने के लिये कहा है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस प्रकार परीक्षायें स्थगित कर देने से कुछ विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई होती है यदि वे अन्य विश्वविद्यालयों को जाना चाहते हैं ? क्या इस पहलू की भी जांच की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह ठीक है कि किसी गड़बड़ी के कारण परीक्षायें कुछ देर से हुई थीं। परन्तु हम इतना ही कर सकते हैं कि उस मामले की जांच करायें।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : माननीय मंत्री उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन होने के बाद वहां हो आये हैं। क्या उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों से चल रही गड़बड़ के संबंध में राज्यपाल अथवा शिक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा की थी ? विश्वविद्यालय के कोष का भी दुरुपयोग किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हां, श्रीमान, यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : परीक्षायें गड़बड़ पर नहीं निर्भर होती हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : ये पर्चे छपने के लिये उड़ीसा राज्य के अन्दर ही दिये गये थे अथवा राज्य के बाहर ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। विश्वविद्यालय ने हमें लिखा है कि परीक्षा के लिये कुछ तारीखें निश्चित की गई थीं परन्तु प्रश्न पत्र उस तारीख तक रजिस्ट्रार के पास नहीं आये। इसलिये परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। मैं अभी यह नहीं बता सकता कि गलती कहां हुई है। मैंने मंत्रालय से इस मामले में जांच करने के लिये कहा है। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारी

+

†*१८०८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
चौ० रणबीर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारत सरकार के अस्थायी पदों पर नियुक्ति के लिये चुने गये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा से पद–त्याग करना पड़ता है और अपना धरणाधिकार छोड़ना पड़ता है ;

(ख) क्या भारत सरकार के अधीन अन्य सेवाओं के कर्मचारियों पर भी यह बात लागू होती है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों के साथ किये जा रहे भेद भाव को दूर करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३**]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सामान्य सेवाओं और केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के लिए दोहरे प्रतिमान क्यों हैं ? ये दो परस्पर विरोधी प्रतिमान एक साथ कैसे चल रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : दोहरे प्रतिमान नहीं हैं। यह किया गया है कि जब कोई अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी पद पर होता है और वह कोई अस्थायी पद स्वीकार करना चाहता है तो वह इस पद को भी अस्थायी रूप से नहीं रख सकता है। इसलिए उसे त्याग पत्र देना पड़ता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि अन्य मंत्रालयों के संबंध में ऐसा किया जा रहा है तो केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के संबंध में वैसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य समझते हैं कि अन्य मंत्रालयों द्वारा ऐसा किया जा रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह एफ० आर० १४ के विरुद्ध नहीं है ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर भली प्रकार विचार किया जा चुका है। यहां इस मामले में हम बता चुके हैं कि यदि कोई स्थायी पद धारण करने वाला अधिकारी किसी संवर्गातिरिक्त पद (एक्सट्रा केडर पोस्ट) के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहता है, तो वह यहां अपना धरणाधिकार रखकर उस पद को स्वीकार नहीं कर सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सामान्य नियम है।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या यह सच नहीं है कि इस समय इस केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनेक कर्मचारी, विवरण में उल्लिखित नियम का उल्लंघन करके संवर्गातिरिक्त अस्थायी पदों पर डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। और क्या डेपुटेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों में डेपुटेशन की अवधि के संबंध में भेदभाव किया जाता है ? यदि हां, तो यह भेदभाव कहां तक उचित है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने बहुत लम्बा प्रश्न पूछा है। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि संवर्गातिरिक्त पद पर बाहर जाना सरकार के अन्तर्गत नई सेवा स्वीकार करने से भिन्न चीज है।

हौजरी के सामान पर अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर

+

†*१८१०. **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब बम्बई से हौजरी का सामान अन्य राज्यों में उपभोग के लिए खरीदा जाता है तो अन्तर्राज्यीय सोदों पर अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर (केन्द्रीय बिक्रीकर) नहीं लिया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब ग्राहकों द्वारा दिल्ली और कलकत्ता से हौजरी का सामान अन्य राज्यों में उपभोग के लिए खरीदा जाता है तो उस पर ७ प्रतिशत की दर से अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर अथवा केन्द्रीय बिक्रीकर लिया जाता है;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार को विदित है कि मूल्यों में ७ प्रतिशत की वृद्धि से बचने के लिए, जिसकी अदायगी ग्राहकों को दिल्ली और कलकत्ता से सामान खरीदने पर करनी पड़ती है; वे बम्बई से माल खरीदते हैं ;

(घ) क्या यह बात दिल्ली और कलकत्ता के हौजरी के सामान के निर्माताओं के लिए, जोकि लघु औद्योगिक सार्थ हैं, हानिकारक नहीं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय बिक्रीकर के आरोपण में किये जाने वाले इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ङ). एक विवरण, जिस में यह सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत गैर-रजिस्टर्ड व्यापारियों अथवा उपभोक्ताओं पर इस शर्त के अधीनस्थ ७ प्रतिशत कर लगाया जा सकता है कि यदि वह वस्तु राज्य में कर से सामान्यत: मुक्त होगी तो उस वस्तु की अन्तर्राज्य बिक्री भी मुक्त होगी । बम्बई में स्थानीय कानून के अन्तर्गत सूती, ऊनी अथवा बनावटी रेशम के धागे से तैयार किए गए पहनने के वस्त्र और अन्य वस्तुयें कर से मुक्त हैं यदि वे प्रति वस्तु ५ रुपए से अधिक मूल्य पर नहीं बेची जाती हैं। परिणामस्वरूप ५ रुपये और उस से कम मूल्य की वस्तुओं की अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं को अंतर्राज्य बिक्री भी मुक्त है। दिल्ली और कलकत्ता में स्थानीय बिक्रीकर कानूनों के अन्तर्गत ऐसी छूट उपलब्ध नहीं है और इसलिए इन स्थानों से अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं को अन्तर्राज्य बिक्री पर भी ७ प्रतिशत की दर से कर लिया जा सकता है । ५ रुपये से अधिक मूल्य पर अन्तर्राज्य व्यापार में बेची जाने वाली वस्तुओं पर बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में समान रूप से ७ प्रतिशत की दर से कर लिया जा सकता है ।

(ग) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) और (ङ). अन्तर्राज्य व्यापार सामान्यत: रजिस्टर्ड व्यापारियों के बीच होता है और उनसे बिक्रियों पर केवल १ प्रतिशत की दर से कर लिया जा सकता है । गैर-रजिस्टर्ड व्यापारियों अथवा उपभोक्ताओं को ७ प्रतिशत की दर से बिक्रियां बहुत कम होती हैं। रजिस्टर्ड व्यापारियों को अंतर्राज्य बिक्रियों के मामले में १ प्रतिशत का छोटा सा कर व्यापार के लिए हानिकारक नहीं समझा जाता है ।

श्री अ० मु० तारिक : स्टेटमेंट को देखने से यह पता चलता है कि बम्बई में यह एक्जम्पशन है लेकिन दिल्ली और कलकत्ता में नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के पेशेनजर कोई ऐसी तजबीज है जिस के कि जरिए एक युनिफार्म ला बनाया जाय जोकि तमाम स्टेट्स जैसे पंजाब, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास सब के लिए यकसां हो ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं । कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है उस में यह है कि इंटर स्टेट सेल्स टैक्स लगेगा । स्टेट में जो सेल्स टैक्स होगा उसको उस से जोड़ दिया गया है । कानून ऐसा ही बना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : कानून तो है। लेकिन क्या सरकार यह जरूरत महसूस करती है कि इस कानून में कोई ऐसी तरमीम की जाय ताकि दिल्ली, पंजाब और कलकत्ता उस से फायदा उठा सकें और यह जो गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करने की क्या कोई तजबीज है। ?

श्री ब० रा० भगत : कोई गड़बड़ नहीं हो रही है

ताजमहल आदि में प्रवेश के लिए टिकट

†*१८११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या पुरातत्व विभाग आगरा में ताजमहल, फतहपुर–सीकरी, अकबर के मकबरे, एतमाद-उद-दौला के मकबरें और आराम बाग में प्रवेश करने के लिए टिकट लगाने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि सर्व साधारण में इस प्रस्थापना के विरुद्ध बड़ा क्षेत्र है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है !

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) हां, श्रीमान् । आपकी अनुमति से मैं इतना और बता देना चाहूंगा कि अकबर के मकबरे के मामले में शुल्क अभी भी लिया जाता है ।

(ख) इन शुल्कों के लगाए जाने के विरुद्ध समाचार पत्रों में कुछ पत्र प्रकाशित हुए हैं।

(ग) अंतिम निर्णय किए जाने के पूर्व प्रत्येक बात पर विचार कर लिया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या माननीय मंत्री ने समाचारपत्रों में प्रकाशित समस्त पत्रों और उन पत्रों को पढ़ा है जो उन्हें जनता से प्राप्त हुए हैं और उन कारणों की जांच की है जिनसे जनता आगरा के ताजमहल तथा अन्य स्थानों में प्रवेश पर कोई शुल्क नहीं चाहती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने इन सब बातों की जांच की है और उनके सम्बन्ध में संसद् की मंत्रणा समिति से भी चर्चा की है। सामान्य मत यही है कि कुछ शुल्क लिया जाना चाहिये विशेषकर रात के समय ताज में प्रवेश के लिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या भारत के किसी अन्य भाग में भी एतिहासिक महत्व के स्मारकों में प्रवेश के लिये इस प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो आगरा में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने अभी बताया था कि आगरा में अकबर के मकबरे में प्रवेश के लिय इस प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य १५ अक्तूबर, १९५९ के असाधारण गजट की अधिसूचना देखें तो उन्हें इन स्मारकों की सूची मिलेगी जिन में यह शुल्क बहुत समय से वसूल किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†व्रजराज सिंह : ताजमहल, फतहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा आदि के लिये प्रस्तावित दरें क्या हैं ? सरकार को इन शुल्कों से कितनी आय प्राप्त होने का अनुमान है ?

†श्री हुमायून् कबिर : अभी तक हमने अन्तिम निर्णय नहीं किया है । मेरा विचार है कि ताजमहल में सूर्यास्त के पश्चात् प्रवेश के लिये २० नये पैसे शुल्क होना चाहिये । यह बहुत कम राशि है । मुख्य प्रयोजन यह है कि स्मारकों को क्षति न पहुंचे । हमारा अनुभव है कि प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि को ताज को बहुत क्षति पहुंचती है जोकि संसार की सर्वोत्तम इमारतों में है, यदि सर्वोत्तम न भी हो । इसलिये इसको नियंत्रित करना आवश्यक हो गया है ।

श्री अ० मु० तारिक : अभी वजीर साहब ने फरमाया कि ताजमहल में दिन को कोई टिकट नहीं होगा, लेकिन रात को लगाया जायेगा और वह इस लिये कि इस यादगार को बचाया जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि हुकूमत के पेशे-नजर या हुकूमत के दिमाग में कौनसी बात आई है कि वह समझती है कि टिकट लगाने से यादगार बच सकती है । टिकट लगाने से यादगार कैसे बच सकती है ?

एक माननीय सदस्य : आदमी कम हो जायेंगे ।

†श्री हुमायून् कबिर : माननीय मित्र इतनी साधारण सी बात नहीं समझते हैं रात्रि में वहां बहुत से लोग आते हैं और अवांछनीय बातें किया करते हैं । जब किसी प्रकार का नियंत्रण होता है तो लोगों पर निगाह रहती है और उसका बहुत अच्छा असर होता है ।

†श्री अ० मु० तारिक : श्रीमान्

†अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा । वह अपना स्थान ग्रहण करें । मैं सेठ अचल सिंह का नाम पुकार चुका हूं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि किन कारणों के आधार पर यह टिकट लगाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : मैंने अभी अंग्रेजी में इस का जवाब दिया है । (अन्तर्बाधायें)

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय मंत्री बता चुके हैं कि उन्हें मालूम हुआ है कि वहां सब तरह के लोग आते हैं (अन्तर्बाधायें) अर्थात्, कुछ लोग ताज देखने के उद्देश्य से आते हैं कुछ अन्यथा (एक माननीय सदस्य : आवारा लोग) मंत्री जी कहते हैं कि यदि शुल्क लगा दिया जायेगा तो वह उस पर नियंत्रण कर सकेंगे । यदि कोई माननीय सदस्य कोई अन्य सुझाव देना चाहते हों तो वह उन्हें उसकी सूचना भेज सकते हैं । यदि सरकार कोई काम करती है तो पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया गया है ? यदि वह कुछ नहीं करती है तो कहा जाता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया ? मुझे आश्चर्य है . . . (अन्तर्बाधायें) छोटी सी बात को बड़ा बना दिया जाता है । अगला प्रश्न । अभी भी बहुत से प्रश्न बाकी हैं और मैं प्रश्न संख्या १८२० भी लेना चाहता हूं ।

बबीना टैंक प्रशिक्षण केन्द्र

†*१८१३. डा० सुशीला नायर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बबीना टैंक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये कुछ और भूमि प्राप्त करने के लिये कहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पहले प्राप्त की गयी भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है ; और

(ग) भूमि प्राप्त करने के सिलसिले में इससे पहले कितने परिवार विस्थापित हो गये थे और अब और भूमि प्राप्त करने से कितने और परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़)** : (क) भारत सरकार बबीना फील्ड फायरिंग रेंजों के लिये अधिक भूमि अर्जित करने का निर्णय किया है ।

(ख) अधिकांश भूमि का प्रतिकर दिया जा चुका है । शेष भूमि के सम्बन्ध में स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं अथवा भेजे जाने वाले हैं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**डा० सुशीला नायर** : अब जो भूमि अर्जित की जा रही है उसके लिये उतना ही प्रतिकर दिया जा रहा है जितनाकि भूतकाल में अर्जित की गई भूमि के सम्बन्ध में दिया गया था अथवा उससे अधिक या कम ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : अर्जित की जाने वाली भूमि का उतना ही प्रतिकर दिया जायेगा जितनाकि राज्य सरकार की ओर से कार्य करने वाले स्थानीय अधिकारियों द्वारा सिफारिश किया जायेगा ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह प्रतिकर मध्य प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र में भुगतान किये गये प्रतिकर के बराबर है अथवा भिन्न ? यदि भिन्न है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : कारण यही है कि मध्य प्रदेश भिन्न राज्य है और वहां का प्रशासन भी भिन्न है । माननीय सदस्य ने भूतकाल में अर्जित की गई भूमि का निर्देश किया । वास्तव में हम मध्य प्रदेश में कोई भूमि अर्जित नहीं कर रहे हैं । इस फायरिंग रेंज का कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में । मध्य प्रदेश के भाग का प्रतिकर कुछ अधिक है जिसके कारण वे स्वयं जानते हैं । परन्तु मैं इतना ही कहूंगा कि इस तथ्य के बावजूद कि हमारे कोई कानूनी दायित्व नहीं हैं, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर ३$^{1}/_{2}$ लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान किये हैं । जिन लोगों ने मकान बनाये थे उनको पूर्ण भुगतान किया गया है । युद्ध के दौरान जब इस भमि का उपयोग नहीं किया गया तो उन्होंने उस पर पुनः कब्जा कर लिया । वे उस भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये थे और फिर सरकार से प्रतिकर की अपेक्षा करते हैं । जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, यह सरकारी धन है और हमें उसका उत्तर देना होता है ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि युद्ध के दौरान सरकार द्वारा एक आना प्रति वर्ग फुट प्रतिकर दिया गया था ? क्या माननीय मंत्री को यह भी ज्ञात है कि लोगों ने उस पर पुनः कब्जा कर लिया क्योंकि भारत सरकार ने यह कह दिया था कि उसे उस भूमि की आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकार ने उन लोगों को वापस आने के लिये निमंत्रित किया था । उन्होंने पुनः अपने मकान बना लिये हैं । जब भारत सरकार अब उनसे वह भूमि खाली करने के लिये कह रही है तो क्या उन मकानों के लिये प्रतिकर न देना उचित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : माननीय सदस्या ने जो तथ्य बताये हैं वे हमारी सूचना से सर्वथा भिन्न हैं . . . (**अन्तर्बाधायें**)

†**डा० सुशीला नायर** : मेरा निवेदन है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उन तथ्यों की सच्चाई से सहमत नहीं हैं । अगला प्रश्न ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि अब हमने यह विचार किया है कि एक मध्यस्थ निर्णयक नियुक्त किया जाना चाहिये जैसाकि १९५२ के अचल सम्पत्ति की अधियाचना तथा अर्जन अधिनियम में उपबन्ध है और उसको ऐसे समस्त मामले निर्दिष्ट किये जाने चाहियें जिनमें प्रस्तावित प्रतिकर स्वीकार्य न हो । इसका निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को किया गया था तथा उसने यह कार्यवाही स्वीकार कर ली है ।

तारांकित प्रश्न संख्या १८२० तथा १८२२ के बारे में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मेरा अनुरोध है कि प्रश्न संख्या १८८२ को लिया जाये । यह पाकिस्तान के सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व कमान्डर के दौरे के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या १८२० मैं पहले लूंगा ।

१९६२ के सामान्य निर्वाचन के लिये प्रबन्ध

†१८२०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने यह निश्चय किया है कि विधान मंडलों के लिये होने वाले आगामी सामान्य निर्वाचनों में इस्तेमाल की जाने वाली मतदान-पर्चियों में इस बात का उल्लेख नहीं किया जायेगा कि अमुक उम्मीदवार का सम्बन्ध अमुक राजनैतिक दल से है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस बारे में भारत सरकार तथा विभिन्न राजनैतिक दलों से परामर्श किया गया था ; और

(ग) इस बारे में सरकार अथवा राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या थी ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) जी हां । निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय किया है कि उम्मीदवारों के राजनैतिक सम्बन्ध मतदान-पर्चियों (बैलट पेपर) पर नहीं दिखाये जायेंगे ।

(ख) निर्वाचन आयोग ने लोक-सभा के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का परामर्श कर लिया था ।

(ग) एक प्रवक्ता ने यह सुझाव दिया था कि मतदान-पर्ची में उम्मीदवार के नाम के नीचे मान्यता प्राप्त अथवा अन्य दलों के नाम छापे जायें । दूसरे प्रवक्ता ने दूसरा सुझाव दिया था कि जब मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के राजनैतिक दलों के नाम मतदान-पर्चियों पर नहीं दिये जा सकते हैं तो मान्यता प्राप्त दलों के नाम भी नहीं दिये जाने चाहिएं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : उन्होंने किन कारणों से यह निर्णय लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : सभी दलों को समान समझने के विचार से ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार के विचार जाने थे ?

†**श्री हजरनवीस**: सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । निर्वाचन आयोग ने विभिन्न दलों का परामर्श लिया । यह दल कांग्रेस, प्रजा समाजवादी, साम्यवादी, संयुक्त प्रगतिवादी, समाजवादी, रिपब्लिकन, गणतंत्र परिषद, हिन्दू महासभा तथा स्वतंत्र सभी थे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : निमंत्रित राजनैतिक दलों की क्या राय थी ?

†**श्री हजरनवीस** : मैंने बताया कि कुछ प्रतिनिधियों की यह राय थी कि सभी दलों के नाम छापे जायें तथा कुछ अन्य लोगों की राय यह थी कि नहीं छापे जायें ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : कितने सुझाव के पक्ष में थे तथा कितने विरोध में थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मतदान पर्ची पर राजनैतिक दलों के नाम छापे जाते हैं ?

†**श्री रंगा** : निर्वाचन आयोग द्वारा दल नेताओं का सम्मेलन बुलाये जाने पर, हम ने यह सोचा था कि आयोग ने पर्चियों के नीचे नाम छापने का सुझाव स्वीकार कर लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग का क्या निर्णय है तथा सरकार क्या चाहती है ।

†**श्री हजरनवीस** : सरकार निर्वाचन आयोग को कोई सुझाव नहीं देती है परन्तु दलों ने निर्वाचन आयोग को सुझाव दिया था । निर्वाचन आयोग ने कार्यवाही सारांश बनाये उनमें निम्नलिखित रूप में बताया गया है :—

> "उम्मीदवारों के नामों के नीचे मतदान-पर्चियों पर मान्यता प्राप्त अथवा अन्यथा दलों के नामों को छापने को सभी का समर्थन प्राप्त था । अब तक यह व्यवस्था थी कि मान्यता प्राप्त दलों के नाम छापे जाते थे तथा शेष उम्मीदवारों को स्वतंत्र रखा जाता था । दूसरा सुझाव यह दिया गया कि यदि मान्यता अप्राप्त राजनैतिक दलों को दिखाना संभव नहीं है तो किसी भी दल को न दिखाया जाये । निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय किया कि किसी भी दल को पर्चियों पर नहीं दिखाया जाये ।"

†**श्री रंगा** : इससे तो मान्यता अप्राप्त दलों को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मान्यता प्राप्त दलों के तो चिह्न होते हैं उनसे पता लग जायेगा कि उम्मीदवार किस दल का है परन्तु मान्यता अप्राप्त दल के उम्मीदवार की पार्टी का पता लगने में कठिनाई होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सभी सुझाव निर्वाचन आयोग को भेजे जा सकते हैं ।

प्रश्न १८२२ के बारे में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैंने आधा घंटा पहले आपसे अनुरोध किया था कि प्रश्न संख्या १८२२ को पूछने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दिन में एक ही प्रश्न को अन्य प्रश्नों पर मान्यता दी जा सकती है प्रश्न संख्या १८२० पहले आता था इसलिए उसको लिया गया । प्रश्न संख्या १८२२ अब नहीं लिया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नई दिल्ली की सड़कें

*१८०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की किन-किन सड़कों के विदेशी नाम बदल कर भारतीय नेताओं अथवा भारत के अन्य सुसंस्कृत नामों पर रखे जा चुके हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है कि एक निश्चित अवधि के अन्दर सभी सड़कों के नाम सुसंस्कृत नाम रख दिये जायें; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १५ अगस्त, १९४८ के पश्चात् नई दिल्ली की जिन सड़कों के नाम बदले गये हैं, उनके पुराने तथा नये नामों का एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ख) और (ग). पंजाब नगरपालिका अधिनियम, १९११ के अनुबंध १७९(१) के अधीन नई दिल्ली नगरपालिका को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह गलियों के नाम जो भी उचित समझे, बदल दे। अतः इस विषय में सरकार द्वारा कोई योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक व्यवसायिक प्रशिक्षण कालेज

†*१८०४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देने के लिए देश में चार प्रादेशिक व्यवसायिक प्रशिक्षण कालेज खोले जा रहे हैं जिनके साथ बहुप्रयोजनीय माध्यमिक स्कूल संलग्न होंगे; और

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों को कहां पर खोला जा रहा है और इन कालेजों में प्रति वर्ष कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रविष्ट किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। बहुप्रयोजनीय माध्यमिक स्कूलों में व्यावहारिक क्षेत्र सम्बन्धी विषय के लिए अपेक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए बनाये गये हैं ।

(ख) ब्यौरे बनाये जा रहे हैं ।

चिकनाई वाले तेलों का कारखाना[1]

†*१८०९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इटली की ई० एन० आई० और एक गैर-सरकारी अमरीकी-डच सार्थ से सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले चिकनाई वाले तेलों के कारखाने की परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहने का निर्णय किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Lubricating Plant

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्य-निषेध

†*१८१२. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने उन राज्यों की सरकारों को, जिन्होंने अभी तक मद्य-निषेध नहीं किया है; यह पेशकश की है कि आंशिक रूप से मद्य-निषेध लागू करने से उन राज्यों को अपने राजस्व में जो हानि होगी, उसे संघ सरकार उठा लेगी;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ग) यह पेशकश किन राज्यों को की गयी है; और

(घ) इस पेशकश के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बिक्री कर अपवंचकों का गिरोह

†*१८१४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १३ अप्रैल, १९६१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में बिक्री-कर अपवंचकों के एक गिरोह का पता लगने सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में कितनी सचाई है; और

(ग) इस गिरोह द्वारा कितना कर-अपवंचन किये जाने का अनुमान है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भिक जांच से पता लगा कि रजिस्टर्ड व्यापारियों के काम में आने वाले 'सी' फार्मों का प्रयोग करने से बिक्री-कर का अपवंचन करने के प्रयत्न किये गये हैं ।

दिल्ली के प्रविधिक शब्दकोष सम्बन्धी गोष्ठियां

*१८१५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री व्रजराज सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने यह जानने के लिये कि मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये प्रविधिक शब्दकोष उपयुक्त है या नहीं, कभी कोई गोष्ठी आयोजित की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी गोष्ठियां की गईं और उनमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया; और

(ग) क्या मंत्रालय ने इस बारे में विचार किया है कि इस प्रकार की गोष्ठियां समय-समय पर होनी चाहिए ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला श्रीमाली) : (क) से (ग). पारिभाषिक शब्दावली प्रत्येक विषय की विशेषज्ञ समितियों द्वारा तैयार की जाती है और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं और व्यक्तियों के सुझाव प्राप्त करके उन पर विचार करने के बाद ही इसे अन्तिम रूप दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार की गोष्ठी की आवश्यकता नहीं समझी गई।

दिल्ली में कालेज

†*१८१६. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लड़के और लड़कियों के कितने मान्यताप्राप्त कालेज हैं और उनमें प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में शिक्षा सुविधाओं के अभाव के कारण हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सोनीपत, गुड़गांव और गाजियाबाद आदि पड़ोसी नगरों में जाना पड़ता है; और

(ग) सरकार स्थिति का सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २८, १९६०-६१ में ११,२७४ विद्यार्थी विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में आये हैं।

(ख) अन्य स्थानों पर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात नहीं है।

(ग) राजधानी में स्कूल तथा कालिज की शिक्षा के विस्तार का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल के प्रतिवेदन पर सम्बन्धित अधिकारी विचार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा

†*१८१७. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच बलिया के निकट स्थायी सीमा निर्धारण करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : २३ जनवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश तथा बिहार के राजस्व मंत्रियों में प्रश्न पर बातचीत हुई थी। और चर्चा शीघ्र ही होने की आशा है।

वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति की तिथियां

†*१८१८. **श्री बजराज सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊंचे पद पर तरक्की के समय कम से कम एक वेतन-वृद्धि का लाभ देने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश को १ अप्रैल, १९६१ से लागू किया गया है जब कि अन्य सिफारिशों को १ जुलाई, १९५९ से लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि १ जुलाई १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में जिन लोगों को तरक्की मिली है, उन पर इस बात का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उनके कनिष्ठ अधिकारियों को, जिनकी तरक्की १ अप्रैल, १९६१ के पश्चात् हुई है, इसके परिणामस्वरूप अधिक वेतन मिलेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : ऊंचे पद पर तरक्की के समय कम से कम एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश को १ अप्रैल, १९६१ से लागू किया गया है। यह कहना ठीक नहीं है कि अन्य सभी सिफारिशें १ जुलाई, १९५९ से लागू की गई थीं।

(ख) ऐसा करने के यह कारण हैं क्योंकि सामान्यतः ऐसे लाभ भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी विभाग पुनरीक्षित वेतन क्रमों को कर्मचारियों के वेतन में निश्चित कर रहे थे इसलिए यह ठीक समझा गया कि नये आदेश देकर वेतन निश्चित करने में और गड़बड़ पैदा न कर दी जाये क्योंकि ऐसा करने से कई मामलों में वेतन दुबारा निश्चित करना पड़ता।

(ग) जी नहीं।

परन्तु सरकार को इसका पता है कि नये आदेश लागू होने के बाद १ अप्रैल, १९६१ के बाद तरक्की मिलने वाले अधिकारी को १ अप्रैल, १९६१ से पहले तरक्की पाने वाले अधिकारी से वार्षिक वेतन वृद्धि समान होने पर अधिक वेतन मिलेगा। किसी भी तिथि से इसको लागू किया जाता, गड़बड़ी ऐसी ही रहती।

(घ) नये आदेशों के लागू करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रश्न पर सरकार जांच कर रही है।

सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम० ई० एस०) प्रतिष्ठान

†*१८१९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ७ मार्च, १९६१ को श्री गोविन्द वल्लभ पन्त के दुखद निधन के अवसर पर कानपुर और चकेरी के एम० ई० एस० प्रतिष्ठानों को केवल गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बन्द किया गया था ;

(ख) औद्योगिक कर्मचारियों को काम पर जाने देने के क्या कारण थे;

(ग) क्या अन्य प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों को गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के साथ जाने की अनुमति दे दी गयी थी;

(घ) इस भेदभाव का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों पर है;

(ङ) क्या औद्योगिक कर्मचारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनुमति नहीं दी गयी थी ; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा समय पर स्पष्टीकरण न करने के कारण यह कारखाने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बन्द नहीं किए जा सके ।

(ग) जी हां, कुछ कारखानों को छोड़ कर ।

(घ) भेदभाव करने का विचार नहीं था । जानबूझ कर आदेश भंग नहीं किए गए थे ।

(ङ) श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनुमति किसी भी औद्योगिक कर्मचारी ने नहीं मांगी थी ।

(च) भविष्य में ऐसे अवसरों पर साफ आदेश देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । जांच की जा रही है कि कारखानों को समय पर स्पष्टीकरण कर दिया जाये ।

पाकिस्तानी सेना के एक पदाधिकारी का दौरा

†*१८२१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने अभी हाल में भारत का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पदाधिकारी द्वारा किन छावनियों तथा अन्य सैनिक केन्द्रों का दौरा किया गया ; और

(ग) इस दौरे का क्या प्रयोजन था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) रानीखेत, आगरा, तथा दिल्ली ।

(ग) कुमायूं रेजिमेंट की एक बटालियन को 'कलर्स' देने के बारे में कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर ने उनको रानीखेत बुलाया था क्योंकि वह कुमायूं रेजिमेंट के भूतपूर्व अधिकारी हैं । इसी के साथ साथ पदाधिकारी दिल्ली तथा आगरा घूमने आ गये ।

पाकिस्तान की शस्त्र सेनाओं के भतपूर्व सेनाध्यक्ष की यात्रा

†*१८२२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, सर फ्रैंक मैसर्वी, जो भारत के विभाजन से पहले जाट रेजिमेंट के कर्नल कमान्डेंट थे, अभी हाल में भारत आये थे और उत्तर प्रदेश में बरेली छावनी की सैनिक बैरकों में ठहरे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने सैनिकों से सम्पर्क स्थापित किया और भारतीय सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सभी नये शस्त्रास्त्रों की जांच की ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनकी वर्दी पाकिस्तानी सना के जनरल की वर्दी थी और जब वह पाकिस्तानी वर्दी पहने सलाम लेने वाले थे तो भारत की पूर्वी कमान ने इस जानकारी के प्राप्त होने पर इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां। बरेली में वह 'आफ़िसर्स मेस' में रुके थे।

(ख) वह जाट रेजिमेंटल सेंटर में सैनिकों से मिले थे। उन्हें कोई नये हथियार नहीं दिखाये गये।

(ग) और (घ). जी नहीं। जितने समय वह वहा ठहरे उन्होंने सादे कपड़े पहने। उन्होंने कोई सलामी नहीं ली तथा पहले से तय किया गया कोई कार्यक्रम भी रद्द नहीं किया गया।

सिक्कों की उत्पादन लागत

†*१८२३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे सिक्कों की उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से सिक्कों के निर्माण के लिए इलैक्ट्रोलिक्टिक क्रोमियम, अलुमिनियम आदि सस्ती वैकल्पिक धातुओं का प्रयोग करने के बारे में क्या निश्चय किया गया है; और

(ख) क्या अन्य देशों में इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं और विधियों का अध्ययन किया गया है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) भारत में उपलब्ध धातुओं पर आधारित सस्ती मिश्रधातु (अलाय) बनाने की जांच की जा रही है।

(ख) अन्य देशों में उपयोग में आने वाली धातु तथा तरीकों का अध्ययन किया जा रहा है। सिक्के बनाने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टकसाल अधिकारियों को विदेश भेजा गया है।

विदेशी साहित्यकारों की पुस्तकों का प्रकाशन

*१८२४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विदेशी साहित्यकारों और विचारकों की पुस्तकों को प्रकाशित करने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या अब तक भारत सरकार ने इस प्रकार की कोई पुस्तक प्रकाशित की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता।

पुनर्वेलन कारखाने

†*१८२५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में स्थित छोटे पैमाने के लगभग २०० पुनर्वेलन कारखानों को, जिनमें १०,००० व्यक्ति काम करते हैं, यदि इस्पात के टुकड़ों (बिलट्स) के सम्भरण में सुधार न हुआ, तो उनके बन्द हो जाने का खतरा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). छोटे पैमाने के कारखानों को स्थापित करने की तभी अनुमति दी जाती है जब वह स्थानीय रद्दी लोहे का उपयोग करने को तैयार होते हैं। इसलिए इनको नियंत्रित साधनों से रद्दी लोहा तथा 'बिलट्स' नहीं दिए जाते हैं। परन्तु फिर भी इनमें से कुछ कारखाने 'बिलट्स' मांग रहे हैं। इस समय 'बिलट्स' की स्थिति अच्छी होने के कारण १५००० टन 'बिलट्स' विकास आयुक्त को विभिन्न राज्यों के पुनर्वेलन कारखानों को देने के लिए दे दिया था। सरकार को मालूम नहीं कि ऐसे कारखाने कितने हैं। छोटे पैमाने के पुनर्वेलन कारखाने वालों की नियमित रूप से 'बिलट्स' देना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें स्थानीय रूप से रद्दी लोहे का उपयोग करना है।

असमर्थ व्यक्तियों के लिये रोजगार

†*१८२६. **डा० सुशीला नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रोजगार दफ्तरों के माध्यम से, जिनकी स्थापना असमर्थ व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के प्रयोजन से की गयी थी, कितने असमर्थ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ; और

(ख) अंधेपन, बहरेपन और गूंगा–बहरापन से पीड़ित प्रशिक्षित असमर्थ व्यक्तियों में कितने लोग बेरोजगार हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २५८।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रशिक्षित असमर्थ व्यक्तियों म बेरोजगारी अधिक नहीं है।

जैसलमेर में तेल की खोज

†*१८२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इ० एस० एस० ओ० स्टैन्डर्ड के उत्पादन निदेशक श्री डब्ल्यू० डी० क्लीवलैंड जैसलमेर में तेल की खोज के बारे में पहले शुरू की गयी बातचीत को पुनः चालू करने के लिए नई दिल्ली आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) बातचीत हो रही है। बातचीत का ब्योरा बताना लोक-हित में नहीं है।

सैनिक स्कूल

*१८२८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में जो विभिन्न सैनिक स्कूल खोले हैं उनमें प्रत्येक विद्यार्थी के लिये २०० रुपये मासिक फीस नियत की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी नौकर अथवा अन्य लोग जो इतनी फीस नहीं दे सकते वे भी इस योजना से लाभ उठा सकेंगे ; और

(ग) इस तरह के लोगों के बच्चों के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां। सैनिक स्कूलों में स्कूल फीस १९०० रु० वार्षिक पेशगी, नियत की गई है या वर्ष में १० मास के लिये २०० रु० मासिक। इस फीस में प्रशिक्षण खोराक, रहायश, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, खेल कूद का सामान आदि भी शामिल हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इन स्कूलों में गरीब परन्तु योग्य छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने को सहायता देने के लिये, उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियां, सैनिक स्कूलों की योजना का एक बड़ा अंग है। वर्तमान सुझावों के अनुसार इन स्कूलों में चालीस प्रतिशत छात्रों को वित्तीय सहायता मिलने की आशा है, जो कि योग्यता के आधार पर और छात्रों के पिताओं के साधनों को सामने रखते हुए दी जायगी। प्रत्येक सैनिक स्कूल में प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवीवर्ग के बच्चों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां देने का एक सुझाव प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विचाराधीन है।

वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति की तिथि

†*१८२९. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जुलाई, १९५९ के पश्चात्, जिस दिन से कि पुनरीक्षित वेतन-क्रम लागू किये गये हैं, सरकार के कुछ विभागों तथा कार्यालयों में उन पदों के अतिरिक्त, जो एक दूसरे में विलीन कर दिये गये हैं, कुछ अन्य उच्च पदों पर कुछ व्यक्तियों को तरक्की दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय असैनिक सेवायें (पुनरीक्षित वेतन) नियम, १९६० के परिणामस्वरूप, जिसकी घोषणा २ अगस्त, १९६० को की गयी थी, उन लोगों को, जिनको तरक्की दी गई थी, अपने वेतन तथा भत्तों में हानि उठानी पड़ेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन पुनरीक्षित वेतन नियमों को ढीला बना कर अथवा १ जुलाई, १९५९ के अतिरिक्त किसी अन्य तिथि का विकल्प देकर इन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) जी हां।

(ख) से (घ). चूंकि नियम १ जुलाई, १९५९ से लागू किये गये हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिये लाभदायक तिथि है, इसलिये पुनरीक्षित वेतन-क्रम के अनुसार वेतन, उसी तिथि की स्थिति के अनुसार विनियमित किये गये हैं। अतः १ जुलाई, १९५९ के बाद से हुई नियुक्तियों अथवा पदोन्नतियों के कारण हुई हानि का प्रश्न नहीं उठता है। परन्तु जिन मामलों में पदोन्नतियां १ जुलाई, १९५९ के बाद हुई हैं संभव है उनमें पुनरीक्षित वेतन नियमों के अनुसार व्यक्तियों के वेतनों का नियमन होने से पारिश्रमिक कम हो गये हों। कुछ मामले सरकार को बताये गये हैं और सरकार कुछ सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यथासंभव शीघ्र प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक टन भार वाले ट्रकों की बिक्री

†*१८३०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में एक टन भार वाले जो ट्रक बनाये जा रहे हैं,उन्हें आम जनता में बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो बिक्री के लिए प्रति वर्ष लगभग कितने ट्रक उपलब्ध हो सकेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इस समय एक टन भार वाले ट्रक सेना तथा सीमा सड़क निदेशालय की मांगों को पूरा करने के लिए बनाये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अन्य संस्थाओं द्वारा आर्डर मिलने पर, उन पर उचित समय पर विचार किया जायेगा ।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

†*१८३१. **श्री प्र० चं० बरुआ : इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राकृतिक गैस आयोग ने अंकलेश्वर क्षेत्र में मुख्य पट्टी से अलग एक अन्य तेल क्षेत्र का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह क्षेत्र वस्तुतः कहां पर स्थित है ; और

(ग) क्या उस स्थान पर इस बीच छिद्रण कार्य शुरू किया जा चुका है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सूरत से लगभग १० मील उत्तर-पश्चिम में ओल्पाय के निकट एक नये 'स्ट्रक्चर' का पता लगाया है । इस 'स्ट्रक्चर' पर छिद्रण करने के लिये एक स्थान तय कर लिया गया है और एक महीने के अन्दर अन्दर छिद्रण कार्य शुरू हो जायेगा । इसलिये अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के मुख्य स्थान से अलग किसी स्थान पर नया तेल क्षेत्र मिलने की संभावना बताना अभी संभव नहीं है ।

'कृषक' विमान का प्रमाणीकरण

†*१८३२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जीनवन्द्रन :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन प्राधिकारियों ने कृषि कार्यों में प्रयोग किये जाने के लिये हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा बनाये गये 'कृषक' नामक छोटे विमान को प्रमाण पत्र नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रमाण पत्र न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विमान को असैनिक कार्यों के लिये प्रयोग किये जाने के लिये क्या कदम उठाय गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) विमान, सर्टिफाइड होने के बाद इस बात पर विचार किया जायगा ।

इस्पात का उत्पादन

†४१३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९६०–६१ में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ख) १९५९–६० की तुलना में १९६०–६१ में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कितनी बढ़ी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) निर्मित इस्पात लगभग २४.२ लाख टन ।

(ख) १९५९–६० में ७ किलोग्राम से १९६०–६१ में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत ८.२ किलोग्राम थी ।

छात्रावासों के नर्माण के लिये पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण

†४१३४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में छात्रावासों के निर्माण के लिये पंजाब विश्वविद्यालय को कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ६.० लाख रुपये ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†४१३५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये १९६०–६१में केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि दी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

	राज्य क्षत्र	केन्द्र क्षत्र (रुपये लाखों में)	जोड़
अनुसूचित जाति	८.४६	१४.०६	२२.५२
अनुसूचित आदिम जाति	२.८४	२१.८७	२४.७१
जोड़	११.३०	३५.९३	४७.२३

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण अर्काट में किला

†४१३६. **श्री धर्म लिंगम :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अर्काट ज़िला, मद्रास राज्य में जिन्जी किले में प्रवेश शुल्क लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१ में कितना धन लिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि किले में फिल्मों का शूटिंग करने के लिए फीस ली जाती है ;

(घ) यदि हां, तो १९६०–६१ में इसके द्वारा कितनी राशि इकट्ठी की गयी; और

(ङ) किले की मरम्मत के लिए कितना धन व्यय किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां ।

(ख) १०,७६९, रुपये ८३ नये पैसे।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) ९,८०० रुपये

लाहौल और स्पिति का विकास

†४१३७. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के लाहौल और स्पिति के सीमान्त ज़िलों के विकास के लिए १९६०–६१ वर्ष में कितनी धन राशि सहायता में दी गई ;

(ख) १९६१–६२ में कितनी धन राशि देने का विचार है ; और

(ग) कितने प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार ने उठाये तथा कितने प्रतिशत राज्य सरकार ने उठाये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९६०-६१ में लाहौल और स्पिति के विकास और अच्छे प्रशासन के लिए ३४·८ लाख रुपए की योजनायें स्वीकार की गई हैं। इस में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निश्चित २·६४ लाख रुपये की राशि भी शामिल है। अन्य मदों के भारत सरकार के अंश लेखे बनाने के बाद दे दिए जायेंगे ।

(ख) यह १९६१–६२ में स्वीकृत तथा क्रियान्वित योजनाओं पर आधारित होगा।

(ग) १९६०–६१ में ५० प्रतिशत। १९६१–६२ के लिए प्रतिशतता पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

उड़ीसा की आदिम जाति ग्राम्य कल्याण योजना की निधि का दुरुपयोग

†४१३८. **श्री कुम्भार :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के बोलनगीर ज़िलें के पटनागढ़ सब-डिवीजन की अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लिए ५००० रुपये से ज्यादा की आदिम जाति ग्राम्य कल्याण निधि

---

†मूल अंग्रेजी में

में से १९५७ में उड़ीसा के पटनागढ़, बोलनगीर सब-ट्रेजरी से सम्बन्धित कुछ कर्मचारियों ने दुरुपयोग किया था;

(ख) क्या यह धनराशि सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल कर ली गई है;

(ग) सम्बन्धित कर्मचारियों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (घ) ८-५-१९५७ को सन्देहास्पद परिस्थितियों में सब-डिविजनल अफसर, पटनागढ़ के कार्यालय की तिजोरी से ५,०५० रुपये कम पाये गये । दुरुपयोग का सन्देह था । इसके बारे में एक कर्मचारी पर अभियोग लगाया गया था परन्तु उसको गवाही न मिलने पर छोड़ दिया गया था । दूसरे कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है । हानि का धन वापस नहीं मिल पाया है ।

विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भारतीय सैनिक

†४१३९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में विदेशों में प्रशिक्षण के लिये कितने भारतीय सैनिक भेजे गये; और

(ख) जहां ये भेजे गये उन देशों के क्या नाम हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) ३०९ ।

(ख) ब्रिटेन, फ्रांस, यूगोस्लाविया, पश्चिम जर्मनी, रूस, अमरीका और आस्ट्रेलिया ।

पंजाब में लघु बचत योजना

†४१४०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्यतः पंजाब में और विशेषतः गुरदासपुर जिले में वर्ष १९६०-६१ में लघु बचत योजना के अधीन कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

वर्ष १९६०-६१ में संग्रहित रकम

(रुपये हजारों में)

गुरदासपुर जिला	२५,६३
पंजाब राज्य	४,७४,३७

भारत में बर्मी विद्यार्थी

†४१४१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कितने बर्मी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : वर्ष १९५८-५९ में (अन्तिम वर्ष जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं) भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालिजों में अध्ययन कर रहे बर्मी विद्यार्थियों की संख्या १०१ थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी ऋण पर ब्याज

†४१४२. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि वर्ष १९६०–६१ में ऋण पर ब्याज के कारण विदेशी मुद्रा में कितने रुपये दिये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : २४.६५ करोड़ रुपये ।

दिल्ली में स्कूल

†४१४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में प्राइमरी, बेसिक, मिडिल और हाई स्कूलों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) स्कूलों में विद्यार्थियों और कर्मचारीगण की क्या संख्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

प्राइमरी .	. ४७२
जूनियर बेसिक .	. २७२
सीनियर बेसिक .	. ७९
मिडिल	. ९२९
हायर सेकेण्ड्री .	. २६५
	१२१५

(ख) इन स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या ४,२६,४०८
कर्मचारीगण की कुल संख्या १६,१९६

बाल पुस्तक न्यास

†४१४४. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल पुस्तक न्यास ने अपनी स्थापना के बाद से कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) ३१–३–१९६१ को समाप्त होने वाली अवधि की नवीनतम रिपोर्ट निम्न प्रकार है ।

लगभग आठ पुस्तकों की पाण्डुलिपियां तैयार हैं और उन्हें सचित्र बना दिया गया है । मथुरा रोड पर आवंटित भूमि पर एक पांच मंजिला इमारत बनाने की न्यास की प्रस्थापना और नक्शे को दिल्ली नगर निगम ने मंजूर कर लिया है । उसके लिये भूमि तथा विकास पदाधिकारी से भी अनुमति ले ली गयी है ।

निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है और यह आशा की जाती है कि यह इमारत वर्ष १९६२ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रजी में

प्रेस का एक भाग प्राप्त हो गया है और वह यथा समय मथुरा रोड पर इमारत में लगा दिया जायेगा ।

न्यास द्वारा संधारित अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय में समय समय पर नई पुस्तकें और रखी जाती हैं। इस पुस्तकालय का न्यास के इलस्ट्रेटर्स और बाल पुस्तकों के लेखकों (टेक्स्ट राइटर्स) द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन का पुनर्गठन

†४१४५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रशासन में पुनर्गठित विभागों के क्या नाम हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). अनुबन्ध में जानकारी दी गयी है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५]

पंजाब में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

†४१४६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पंजाब सरकार के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) पंजाब प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६० में यह व्यवस्था है कि प्राथमिक प्रक्रम तक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है। मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा के बारे में ठीक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पंजाब सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में योजनाओं के लिये ७२०.९६ लाख रुपये देने की व्यवस्था की गयी है ।

पंजाब में छात्राओं के लिये होस्टल

†४१४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ राज्य में लड़कियों के मिडिल और हायर सेकेन्डरी स्कूलों के लिये होस्टल बनाने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो कितना धन मंजूर किया गया है और अब तक कितना धन दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां। वर्ष १९६०–६१ के लिये क्योंकि उन्हें उस ही वर्ष के लिये आवेदन-पत्र भेजने को कहा गया था।

(ख) अनुमोदित और स्वीकृत केन्द्रीय अंशदान की रकम १,५४,६९४ रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्

†४१४८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक के समय और स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक की कार्यावलि क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) यह सम्भावना है कि इस परिषद की बैठक शीघ्र ही चण्डीगढ़ में होगी । बैठक की तिथि के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श लिया जा रहा है ।

(ख) कार्य-सूची में कुछ और बातें रखने के सुझाव आये हैं । कार्य-सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

पंजाब में सड़कें

†४१४९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंजाब राज्य में सड़कों के निर्माण के लिये आदिम जातीय कल्याण योजना पर राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों से पृथक पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ख) तैयार की गयी और निर्माणार्थ सड़कों की संख्या और नाम क्या हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क)

राज्य क्षेत्र	शून्य
केन्द्रीय क्षेत्र	७७.५४ लाख रुपये

(इसमें कुल पुल और इमारतें भी शामिल हैं)

(ख) निम्नलिखित सड़कें बन गयी हैं अथवा बन रही हैं :

(१) मनाली से रेहला तक ट्रक चलने योग्य सड़क ।
(२) रोहतांग पास कोकसार सड़क ।
(३) कोकसार जिग-जिग बार सड़क ।
(४) ग्राम्फू कुन्जाम पास सड़क
(५) कुन्जाम पास धनकर सड़क ।
(६) अन्तर्ग्राम पथ ।

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय कर वसूली में कमी

†४१५०. **श्री दलजीत सिंह** : : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९–६० में हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय कर-वसूली में कोई कमी हुई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-सरकारी सार्थों को अमरीकी ऋण

†४१५१. **श्री दलजीत सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गैर-सरकारी क्षेत्र में भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये किसी भारतीय सार्थ को अमरीकी ऋण मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उन सार्थों के क्या नाम हैं और ऋण की रकम कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६]**

केरल में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†४१५२. **श्री कुन्हन :**
श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पृथक पृथक आवास योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) उस अवधि में केरल सरकार ने कितनी धनराशि मांगी; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) से (ग). केरल में पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ की वार्षिक योजनाओं को एक कार्यकारी दल द्वारा, जिसमें राज्य सरकार, गृह-कार्य मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधि थे, योजना आयोग में अन्तिम रूप दिया गया। इन दो वर्षों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनाओं के लिये निम्नलिखित आवंटन किया गया :

पिछड़े वर्गों की श्रेणी	आवंटित धनराशि	
	१९५९–६०	१९६०–६१
	(रुपये लाखों में)	
अनुसूचित जातियां . .	६.००	५.०४७
अनुसूचित आदिम जातियां .	१.६३	३.१६

†मूल अंग्रजी में

उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना

†४१५३ { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में सरकारी कार्यालयों में मार्च, १९६१ के लिये वेतनों के भुगतान में कुछ विलम्ब हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं । मार्च, १९६१ के वेतन ठीक उसी प्रकार दिये गये जिस प्रकार पूर्व के वर्षों में दिये जाते रहे थे ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं

†४१५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अनुसूचित जातियों को पानी की सुविधायें देने के लिये वर्ष १९६०–६१ में केन्द्रीय पुरोनिधान योजनाओं के अधीन कितने कुएं मंजूर किये गये हैं; और

(ख) उसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, शून्य ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में हत्यायें

†४१५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६० से अप्रैल, १९६१ तक की अवधि में दिल्ली में कितनी हत्यायें हुईं; और

(ख) उनके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ दिसम्बर, १९६० से २० अप्रैल, १९६१ तक की अवधि में दिल्ली में हत्या के १५ मामलों की रिपोर्ट की गयी ।

(ख) (१) पूर्व शत्रुता ५
(२) यौन सम्बन्धी मामले ३
(३) सम्पत्ति अथवा धन सम्बन्धी विवाद ३
(४) जिनका पता नहीं चला ४

---

†मूल अंग्रेजी में

जामिया मिलिया इस्लामिया, गुरुकुल कांगड़ी आदि को संविहित मान्यता

†४१५६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिय , गुरुकुल कांगड़ी और स्कूल आफ़ इन्टरनेशनल स्टडीज़ को संविहित मान्यता देने की प्रस्थापना पर विचार करने में और क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जामिया मिलिया इस्लामिया और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिये वैधानिक प्रस्थापनायें चालू सत्र में संसद् में पुरस्थापित की जायेंगी। इण्डियन स्कूल आफ़ इन्टरनेशनल स्टडीज़ के बारे में प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू की पुस्तकों का अनुवाद

†४१५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उर्दू पुस्तकों के क्या नाम हैं जिनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद साहित्य अकादमी में एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) (१) हाली द्वारा लिखित मुकद्दमा-ए-शेर-ओ-शायरी ।

(२) नज़ीर अहमद द्वारा लिखित मिरात-उल-उरूस ।

(ख) मिरात-उल-उरूस का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जा चुका है । मुकद्दमा-ए-शर-ओ-शायरी के हिन्दी अनुवाद का पुनरीक्षण किया जा रहा है । मुकद्दमा-ए-शर-ओ-शायरी का मराठी अनुवाद प्रकाशन के लिये तैयार है । यह बताया गया है कि उपयुक्त अनुवादकों की कमी के कारण उनके अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद-कार्य में विलम्ब हुआ है ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†४१५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में वर्ष १९६०–६१ में मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तिया देने के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की क्या संख्या है; और

(ख) ३१ मार्च, १९६१ तक प्रत्यक श्रेणी में कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जातियां	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	दी गयी छात्र-वृत्तियों की संख्या
अनुसूचित जातियां	४,१०७	४,०५४
अनुसूचित आदिम जातियां	५४	५४
अन्य पिछड़े वर्ग	२,५६३	५९
कुल	६,७२४	४,१६७

स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†४१५९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये और क्या प्रगति की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : दिये गये विभिन्न सुझावों पर सरकार विचार कर रही है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कोषाध्यक्षों के पद को समाप्त किया जाना

†४१६०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बनारस, अलीगढ़ और विश्वभारती-इन तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्षों के पद को समाप्त करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित

४१६१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से उन्हें स्वविवेकीय अनुदान (डिस्क्रेशनरी ग्रांट) प्राप्त हुआ है, तब से अब तक प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राजनैतिक पीड़ित को कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने राजनैतिक पीड़ितों को यह सहायता मिली ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). एक विवरण-पत्र सूचना के लिये संलग्न है ।

विवरण

वर्ष	दी गई कुल रकम	राजनैतिक पीड़ितों की संख्या
१९५५–५६	३६,४००	१०
१९५६–५७ .	१०,४९०	११
१९५७–५८ .	१८,८४०	१५
१९५८–५९	१९,४००	३६
१९५९–६० .	२३,७००	३२
१९६०–६१	१८,६५०	३६

सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी

४१६२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने गजेटेड पदाधिकारियों ने अब तक, "प्रवीण" "प्रबोध" और "प्राज्ञ" परीक्षायें पास की हैं ;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ये परीक्षायें अनिवार्य बनाने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) ये परीक्षाएं हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत ली जाती हैं । हिन्दी प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी के नीचे तथा औद्योगिक संस्थाओं और वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को छोड़ कर उन सभी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया है जिनको पहले से हिन्दी का ज्ञान नहीं है और जो तारीख १-१-६१ को ४५ साल से कम उम्र के थे । परन्तु किसी कर्मचारी को इस लिये दण्ड नहींदि या जाएगा कि वह निश्चित समय पर परीक्षा में नहीं सफल हो सका ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कहवे की खेती

४१६३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कहवा उपजाने संबंधी संभावनाओं के परीक्षण के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का काम कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सन् १९५६-५७ अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कहवा उपजाने की सम्भावनाओं के परीक्षण के लिये एक सर्वेक्षण किया गया था ।

दिल्ली में बुनियादी स्कूल

४१६४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में जुलाई, १९६१ में नई बुनियादी पाठशालायें खोलने का कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हा, तो क्या कार्यक्रम की रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० भौमाली) : (क) दिल्ली संघ-क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली केंटोमेंट बोर्ड द्वारा की जाती है और इन्होंने ही कार्यक्रम तैयार किया है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ——६० जूनियर बुनियादी स्कूल (देहाती और शहरी दोनों क्षेत्रों में)

नई दिल्ली नगर पालिका——९ बुनियादी स्कूल ।

दिल्ली केंटोमेंट बोर्ड——१ बुनियादी स्कूल ।

गुजरात को इस्पात का आवंटन

†**४१६५. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वर्ष १९६० में उनको इमारतों के लिये कुछ अधिक लोहा तथा इस्पात आवंटित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो राज्य की वास्तविक आवश्यकता कितनी है और केन्द्रीय सरकार ने उनको अन्तिम रूप से कितना आवंटन किया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में नालीदार चादरों और लोहे के मूल्य लगभग चार गुना बढ़ गये हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधनमंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इमारतों के निर्माण के लिये इस्पात का कोई पृथक कोटा नहीं है । राज्य सरकारों को कोटा विभिन्न वर्गीकृत मदों के अधीन उनकी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कृषि, गैर-कृषि, सरकारी विकास योजनायें, इस्पात विधायन (प्रोसेसिंग) उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों, आवंटित किया जाता है । राज्य सरकार इस कोटे को अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकती हैं । तथा पि वर्ष १९६०-६१ से चादरों (१४ गेज से पतली) और तारों के अतिरिक्त सभी प्रकार के इस्पात के लिये कोटा पद्धति समाप्त कर दी

†मूल अंग्रेजी में

गयी है और चादरों के दरों और तारों के अतिरिक्त सभी मांग पूरी की जाती हैं। वर्ष है १९६०–६१ की दूसरी छमाही में गुजरात की चादरों और तारों की मांग और उनका आवंटन निम्न प्रकार हैं :—

(१) मांग ३६,९२६ टन

(२) आवंटन १९०६९ टन। क्यों कि यह राज्य केवल वर्ष १९६०–६१ की प्रथम छमाही में बना, केवल दूसरी छमाही के आंकड़े उपरब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं। केवल जी० सी० चादरों के मूल्य में २ फरवरी से ३३ रुपये प्रति मीटरिक टन की वृद्धि हो गयी है। ११-६-५६ से कच्चे लोहे के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस में श्रमिकों की बस्ती

†४१६६. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस में श्रमिकों के ५०४ क्वार्टर बनाने के लिये एक श्रमिकों की बस्ती बनाने की योजना कहां तक क्रियान्वित की गयी है ; और

(ख) क्या यह लक्ष्य के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). नासिक रोड पर श्रमिकों के ५०४ क्वार्टर बनाने के लिये प्रशासनिक अनुमति और व्यय की मंजूरी कुछ समय पूर्व दी गयी थी। उसके तुरन्त बाद टेन्डर आमंत्रित किये गये और हाल ही में निर्माण-कार्य सौंपा जा चुका है। श्रमिकों की बस्ती बनने में अभी कुछ और समय लगेगा।

बैंकों में जमा रकम में कमी

†४१६७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में जमा रकम में पर्याप्त मात्रा में कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). वर्ष १९६०–६१ में बैंकों में जमा रकम में वृद्धि हुई है यद्यपि वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि का स्तर कुछ कम हो गया था। वह कमी, अन्य कारणों के साथ साथ, घाटे की अर्थ व्यवस्था, भुगतान सन्तुलन के घाटे में वृद्धि और कुछ हद तक बैंकिंग क्षेत्र से बाहर विनियोजन किये जाने योग्य निधि के अन्य काम में लगाये जाने के कारण है।

अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण

†४१६८. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का रक्षित बैंक नया अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). रक्षित बैंक वर्ष १९६१-६२ में एक अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण और विनियोजन सर्वेक्षण करेगा । यह सर्वेक्षण ऋण, पूंजी, विनियोजन और ग्रामीण घरेलू आस्तियों और दायित्वों के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने के लिये किया जायेगा ।

दिल्ली की बस्तियों में प्लाटों की बिक्री

†४१६९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में ग्रीन पार्क और इसकी एक्सटेन्शन, साउथ, एक्सटेन्शन, कैलाश, ग्रेटर कैलाश १ और २ बस्तियों में भूमि का मूल्य ४० रुपये से लेकर ९० रुपये प्रति वर्ग गज तक है और इन बस्तियों में प्लाटों की बिक्री और पुनः बिक्री बढ़ रही है ;

(ख) क्या बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए, सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी जिनमें उपरोक्त बस्तियों के प्लाट-होल्डरों से यह कहा जाये कि वे आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर मकान बना लें ताकि प्लाटों में सौदेबाजी को समाप्त किया जा सके ;

(ग) यदि नहीं, तो इन बस्तियों में भूमि के बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिये सरकार और क्या पग उठायेगी ; और

(घ) उपरोक्त बस्तियों में बिना मकान बनाये कितने प्लाट पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) इन बस्तियों में भूमि के ठीक दाम बताना कठिन है । मूल्य स्थान को देखते हुए प्रत्येक प्लाट के भिन्न भिन्न होते हैं । प्रापर्टी डीलरों और हाल ही में रजिस्टर्ड कुछ विक्रय-पत्रों से पता चलता है कि ग्रीन पार्क में और ग्रेटर कैलाश २ में भूमि के दाम ६० रुपये से ६५ रुपये तक हैं और ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन और ग्रेटर कैलाश १ में मूल्य क्रमशः ४० से ४५ रुपये और ५० से ५५ रुपये तक हैं ।

(ख) और (ग). यह निर्णय किया गया है कि यदि इन बस्तियों में १ जुलाई, १९६० से तीन वर्षों के भीतर मकान बना कर तैयार न किये जायें तो खाली प्लाटों का अर्जन कर लिया जाये । दिल्ली में भूमि के मूल्यों को कम करने के लिये किये जाने वाले अन्य उपायों के बारे में, नि म १९७ के अधीन श्री प्र० गं० देव द्वारा ध्यान दिलाये जाने वाली सूचना के सम्बन्ध में २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है ।

(घ) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली की बस्तियों में भूमि की पुनः बिक्री

†४१७०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रिंग रोड के साथ नई विकसित बस्तियों में भूमि की पुनर्विक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार करती है ;

(ख) क्या भूमि वालों को उस भूमि पर मकान बनाने के लिये कहा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन भूमियों पर शीघ्र मकान/दूकान बनाने के लिये सरकार दूसरे क्या उपाय करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) भूमि वालों को मंत्रणा दी गई है कि वे १ जुलाई, १९६० से तीन वर्षों की अवधि के अन्दर मकानों का निर्माण पूरा कर लें, और यदि वे नहीं करेंगे तो उनके न बने या अंशत: बनी भूमि को सरकार अधिग्रहण कर सकेगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों की सहायता के लिये केरल सरकार की योजना

†४१७१. **श्री वें० ईयाचरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुसूचित जातियों के लिये भूमि की खेती के लिये ऋण और सहायता देने के लिये केरल की राज्य सरकार ने कोई योजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और १९६१-६२ वर्ष के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तीसरी योजना में अनुसूचित जातियों के लिये भूमि की खेती के लिये सहायता और ऋण देने की एक योजना मूल प्रस्तावों में शामिल की गई है, किन्तु वह तीसरी योजना में शामिल नहीं की गई ।

(ख) उपरोक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना

†४१७२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच सालों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने चोरी छिपे लाई जाती घड़ियां ७० लाख रुपये की लागत की पकड़ी थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त घड़ियों में से लगभग ३६ लाख रुपये की लागत की घड़ियां केवल एक वर्ष में पकड़ी गईं;

(ग) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुसार चोरी छिपे लाये गये माल में से केवल १० प्रतिशत माल पकड़ा गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इसके कारण राजस्व में बहुत बड़ी हानि हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो राजस्व की इस भारी हानि को रोकने के लिये सरकार क्या ठोस कार्य-वाही करने का विचार रखती है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) यह सच है कि १९५६ से १९६० तक के वर्षों में, अनुमानत: ७० लाख रुपये की कुल लागत की घड़ियां सीमा शुल्क, भूमि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गईं जो चोरी छिपे लाई जा रही थीं और इनमें से अनुमानत: ३३ लाख रुपये की लागत की घड़ियां १९६० में पकड़ी गईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). चोरी छिपे लाया गया माल यदि पकड़ा नहीं जाता तो अवश्य राजस्व की हानि होती है। हालांकि कोई सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, सरकार को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि चोरी छिपे लाये गये माल में से केवल १० प्रतिशत माल पकड़ा जाता है।

(ङ) सरकार ने तस्कर व्यापार को रोकने के लिये बहुत से वैधानिक एवं कार्यपालिका उपाय अपनाये हैं। इन में (१) तस्कर व्यापार रोधक कार्य करने वाले सीमाशुल्क अधिकारियों की जांच की शक्तियों को बढ़ाना, (२) संदेहास्पद जहाजों और विमानों की नियमित खोज, (३) समुद्र तट और भूमि सीमा के क्षति पहुंचाने वाले सैक्शनों की नियमित तथा आकस्मिक गश्त और (४) सूचना मिलते ही पीछा करना, (५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये भारी दंड जिनमें निषिद्ध माल का जब्त किया जाना, शामिल है, और उपर्युक्त मामलों में अभियोग भी चलाये जाते हैं ताकि दंड वास्तव में ही कड़ा हो, (६) एक राजस्व सूचना निदेशालय भी केन्द्र में कार्य कर रहा है जो विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की तस्कर व्यापार रोधक कार्रवाइयों का अधिक अच्छी तरह समन्वय करता है, शामिल हैं।

लोक-सभा के लिये नई दिल्ली का उप-चुनाव

†४१७३. **श्री कालिका सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के लिये नई दिल्ली उप-चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी को, स्वतंत्र पार्टी के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित चिह्न दिया गया था, या स्वतंत्र अभ्यर्थी वाला चिह्न दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचक स्वतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी और स्वतंत्र या गैर दलीय अभ्यर्थी के बीच कैसे भेद कर सकते थे ; और

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने गलत प्रतिनिधान की संभावना को मिटाने के लिये निर्वाचन के हेतु पार्टी के नाम में उपयुक्त शोधन करने के लिये स्वतंत्र पार्टी को कहा था ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हाल के उप-चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी को "स्केल" या 'तराजू' का चिह्न दिया गया था, जो एक स्वतंत्र चिन्ह है। ये स्वतंत्र चिह्न सर्वथा स्वतंत्र अभ्यर्थियों के लिये रक्षित नहीं हैं अपितु ये उन अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, जो औपचारिक तौर पर चिह्न रक्षण के उद्देश्य के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया जाता है, सब अभ्यर्थियों को दिया जाता है।

(ख) चूंकि मतदान पत्र पर केवल अभ्यर्थी का नाम और उसके चिह्न होते हैं, स्वतंत्र अभ्यर्थी और स्वतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी के बीच कोई शंका नहीं हो सकती।

(ग) नहीं श्रीमान। निर्वाचन आयोग यह नहीं समझता कि धोखे या गलत प्रतिनिधान की कोई संभावना होती है।

मीट्रिक मापों और बाटों की पुस्तकें

†४१७४. **श्री कालिका सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज और विश्वविद्यालय स्तर तक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, भूगोल विषयों और कला तथा विज्ञान के पाठयक्रमों सम्बन्धी नवीन पाठय पुस्तकें संघ राज्य क्षेत्रों में जारी की गई हैं जिनमें नये मीट्रिक मापों और बाटों का प्रयोग है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा तक ;

(ग) क्या पुरानी निश्चित पुस्तकों में संशोधन करके उन्हें फिर से प्रकाशित किया जा रहा है या सर्वथा नई पुस्तकें जारी की जा रही हैं ; और

(घ) इस बारे में राज्यों में क्या किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). दिल्ली में पिछले साल २, ३ और ६ श्रेणियों के नई पाठ्य पुस्तकें निश्चित की गई थीं। नये मीट्रिक मापों और बाटों की प्रणाली को ध्यान में रखते हुए वे लिखी गई हैं। १, ४, ५, ७ और ८ श्रेणियों की पाठय-पुस्तकें अगले शिक्षा सत्र से निश्चित की जाने की आशा है। ये पुस्तकें भी मीट्रिक प्रणाली पर आधारित होंगी। हायर सैकंडरी श्रेणियों के लिये विज्ञान और गणित की कोई पाठ्य पुस्तकें निश्चित नहीं की गई हैं और हायर सैकंडरी शिक्षा बोर्ड दिल्ली केवल पाठ्य-क्रम निर्धारित कर देता है, तथा उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का चुनाव स्कूलों के प्रमुखों पर छोड़ दिया जाता है। तथापि बोर्ड ने सब विषयों में उदाहरण तथा अभ्यास में मीट्रिक प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने की हिदायतें दी हैं।

अन्य संघ-राज्य क्षेत्रों में समीपवर्ती राज्यों के बोर्डों द्वारा निश्चित की गई और सिफारिश की गई पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। मोटे तौर पर मीट्रिक मापों और बाटों सम्बन्धी नवीन अध्याय वर्तमान पाठय पुस्तकों में जोड़ दिये गये हैं, तथा पुराने मापों और बाटों के अभ्यास सर्वथा बन्द नहीं किये गये हैं।

विश्वविद्यालयों द्वारा जो स्वायत्त निकाय होते हैं, जिन पाठय पुस्तकों की सिफारिश की जाती है या निश्चित की जाती है उनका कालेजों में प्रयोग किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवाह-विच्छेद के मामले

४१७५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की अदालतों में पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद करने के बहुत से अभियोग इकट्ठे हो गये हैं ;

(ख) उनके जमा होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पुराने जमा हुए अभियोग कब तक निबट जाने की संभावना है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग). विवाह-विच्छेद सम्बन्धी विधि को क्रियान्वित करने की मूल जिम्मेवारी भारत सरकार की नहीं है। इसलिए इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों से और दिल्ली प्रशासन से एकत्र करके यथा समय सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में भिखारी

†**४१७६. श्री रामकृष्ण गुप्त :**
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई भिक्षावृत्ति निरोध अधिनियम लागू किये जाने के पश्चात दिल्ली में अब तक कितने भिखारी पकड़े गये हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भिखारियों को पकड़ने का काम सन्तोषजनक रूप से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं; और

(घ) उन्हें हल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा) : (क) १५-४-१९६१ तक ४३८ ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोई विशिष्ट कठिनाई पेश नहीं आई ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†४१७७. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ मार्च १९६१ को एक विमान यात्री से दमदम हवाई अड्डे के सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने बहुत बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा;

(ख) यदि हां, तो कितना सोना और कितनी लागत का; और

(ग) सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों ने १७ मार्च १९६१ को एक विमान यात्री से, जो हांगकांग से दमदम हवाई अड्डा पर आया था, ३,७३,००० रुपये की लागत का ३१.२७ किलोग्राम सोना पकड़ा ।

(ग) सोना जब्त कर लिया गया है और यात्री पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६७ (८) तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम १९४७ की धारा २३क के अधीन १००० रुपये का निजी जुर्माना किया गया है । उस यात्री पर न्यायालय में भी अभियोग चलाया जा रहा है ।

मजूरी निर्धारण का सूत्र

†४१७८. श्री कुम्भार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक स्त्री और पुरुष कर्मचारियों की दैनिक मजूरी और मासिक वेतन की दरों को उनके दैनिक कार्य के अनुसार वर्गवार निश्चित करने के लिये सरकारी विभागों में कोई सूत्र निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो सूत्र क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) नहीं, सरकारी विभागों के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की दैनिक मजूरी और मासिक वेतन साधारणतया पदों के कार्यों और उत्तर-दायित्वों तथा उसके लिये अपेक्षित योग्यताओं और अनुभवों के आधार पर निश्चित की जाती हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोयला खानों के विकास के लिये विदेशी सहयोग

†४१७९. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री १० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में गहरी कोयला खानों के विकास के लिये ऋण के लिये कितनी पेशकशें आई हैं;

(ख) किन-किन देशों ने कितना-कितना ऋण पेश किया ;

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या गहरी कोयला खानों की योजना तैयार की जा चुकी है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह): (क) से (घ). भारत में गहरी कोयला खानों के विकास के लिये किसी बाहर के देश से इस सब में ऋण की कोई पेशकश नहीं आई। तथापि इंग्लैण्ड और पोलैंड सरकारों ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा शहरी खानों के विकास के लिये प्रविधिक सहायता पेश की है। इन देशों के सहयोग से इस निगम द्वारा कुछ गहरी खानों के विकास के लिये प्रविधिक और वित्तीय दोनों की उपयुक्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से बातचीत चल रही है। अभी तक किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में वस्तुओं का तस्कर व्यापार

४१८०. श्री खुशवक्त राय :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निःशुल्क वस्तुओं का तस्कर व्यापार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ;

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार के पास यह समझने का कोई कारण नहीं है कि दिल्ली में शुल्क मुक्त वस्तुओं का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

मद्रास में स्कूल होस्टलों के निर्माण के लिये ऋण

†४१८१. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने १९६०–६१ में स्कूल होस्टलों के निर्माण के लिये मद्रास राज्य सरकार को कोई ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) हां श्रीमान्।

(ख) (१) पलानिया मल मूल शिक्षा स्कूल कोयम्बटूर ७२,००० रुपये

(२) २,५०,००० रुपये की राशि १९६०–६१ में सैकण्डरी स्कूलों और प्रशिक्षण कालिजों को ऋण देने के लिये मद्रास राज्य सरकार को मंजूर की गई हैं। उन संस्थाओं के व्यय का ब्यौरा अभी तक राज्य सरकार द्वारा बताया नहीं गया है।

मद्रास में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये होस्टल की इमारतों के लिये सहायता

†४१८२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० तथा १९६०–६१ में मद्रास राज्य में पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये होस्टल की इमारतें बनाने के लिये कुछ राशि मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां तो कितनी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटेन की कम्पनियों में पुनर्बीमा

†४१८३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारतीय या विदेशी बीमा कम्पनियों द्वारा ब्रिटेन की पुनर्बीमा कम्पनियों में पुनर्बीमा कराये जाने से विदेशी मुद्रा पर कितना भार पड़ा है; और

(ख) विदेशों में पुनर्बीमा के द्वारा कितना लाभ गया है जिस पर भारत में कर नहीं लगाया जाता ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ब्रिटेन की पुनर्बीमा कम्पनियों के भारत में पुनर्बीमा करने से प्रत्यक्ष में विदेशी मुद्रा पर कोई भार नहीं पड़ा है।

(ख) विदेश में पुनर्बीमा के द्वारा कितना लाभ गया है इसकी सूचना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में मद्यनिषेध

†४१८४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मद्यनिषेध नीति के अनुसार मनीपुर में शराब की सब दुकानें बन्द की जा रही हैं;

(ख) क्या इस नीति का देसी शराब की दुकानों पर भी प्रभाव होगा;

(ग) क्या घाटी के आदिम जाति के लोगों ने इसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(घ) क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस नीति का लोगों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा में मदरसे

†४१८५. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के गैर-सरकारी मदरसों को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) क्या पूर्व राजनगर (धर्मनगर), सालगढ़ (उदयपुर), मिर्जा (उदयपुर), मलछार (सोनोभूरा), चन्द्र नगर (सदर) के मदरसों को कुछ वित्तीय सहायता मिलती है;

(ग) क्या इस प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तदर्थ आधार पर ग्यारह मदरसों को वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) केवल बेलोनिया सब-डिवीजन में एक मदरसे से ।

(घ) प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहा है ।

त्रिपुरा में भूमि सम्बन्धी विवाद

†४१८६. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में त्रिपुरा के विभिन्न डिवीजनों में भूमि सम्बन्धी कितने विवाद हुए हैं;

(ख) भूमि सम्बन्धी इन विवादों के क्या कारण थे; और

(ग) उन को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा में आदिम जाति के झूमिया

†४१८७. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में फाटक राव थाना में कितने आदिम जातीय झूमिया बसाये गये थे;

(ख) जिन भूमियों पर इन को बसाया गया था उनको कितने झूमियों ने छोड़ दिया;

(ग) छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें उन भूमियों पर वापिस लाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) १५६५ ।

(ख) ८५ ।

(ग) छोड़ने का कारण सम्भवत: कुछ आदिम जाति लोगों की गहरी पकी आदतें, झूमिया खेती की रुचि और अभ्यास, अपनी खेती के स्थान और निवास को बदलने की आदतें हैं ।

(घ) सरदारों की सहायता के द्वारा तथा जहां सम्पर्क सम्भव होता है वहां सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रेरणा के साथ उनको उस भूमि पर वापिस लौटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक

†४१८८. श्री दशरथ देब : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) सरकार ने ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को भूमि पर या अन्यत्र बसाया है ?

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों ने पुनर्वास के लिये याचिकाएं दी हैं; किन्तु उन्हें भूमि नहीं मिली; और

(घ) उनको बसाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) ५६८० ।

(ख) ८३५ ।

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा में सरकारी भाषा के रूप में बंगला

†४१८९. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि महाराजा के शासन काल में त्रिपुरा में बंगला सरकारी भाषा थी;

(ख) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् ने बंगला को त्रिपुरा की सरकारी भाषा घोषित करने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). प्रादेशिक परिषद् ने प्रार्थना की थी कि बंगला को त्रिपुरा की सरकारी भाषा मान ली जानी चाहिये और उसका तथा उसकी समितियों का कार्य बंगला में किया जाए। महाराजा के शासन काल में विधान द्वारा बंगाली त्रिपुरा की सरकारी भाषा के रूप में अपनाई गई थी। स्थानीय दफ्तरों में इसका उपयोग जारी है और वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रादेशिक परिषद् या इसकी समितियों के कार्य के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है। परिषद् को इस स्थिति की सूचना दी जा चुकी है।

त्रिपुरा में केन्द्रीय करों की वसूली

†४१९०. **श्री दशरथ देब**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में त्रिपुरा से केन्द्रीय करों से कितनी राशि वसूल हुई है;

(ख) क्या ऐसे करों की वसूली में कमी हुई है या ज्यादती; और

(ग) यदि कम हो रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

१९५९–६०	. १०,५९,००० रुपये।
१९६०–६१	. १०,०५,००० रुपये (स्थायी आंकड़े)

(ख) और (ग). १९५९–६० की तुलना में १९६०–६१ में राजस्व की वसूली में कुछ थोड़ी कमी के कारण हैं (१) पहले के वर्षों से बकाया आयकरों का परिसमापन (२) वर्ष के अन्त में अधिक सम्पत्ति का अंकन पूरा किया गया था किन्तु उससे उत्पन्न होने वाली मांग का अंश १९६०–६१ में वसूल नहीं किया जाना था और (३) दियासलाई, वनस्पति और गैर अनिवार्य तेल, तम्बाकू और चाय की कम बिक्री।

त्रिपुरा के न्यायालयों में मामले

†४१९१. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में त्रिपुरा प्रशासन के विरुद्ध कर्मचारियों और जनता द्वारा न्यायालयों में कुल कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) कितने मामलों में न्यायालयों के निर्णय सरकार के विरुद्ध थे; और

(ग) उन मामलों को बचाने में कुल कितनी लागत आई।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के पुराने पुनर्वास केन्द्रों में सहकारी संस्थाओं का कार्य

†४१९२. **श्री दशरथ देब:** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के ४१ पुराने पुनर्वास केन्द्रों में खोली गई सहकारी संस्थाओं के कार्य संचालन की कोई शासकीय जांच त्रिपुरा प्रशासन ने शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो यह जांच आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जी हां।

(ख) अंशत: पुनर्वासित विस्थापित परिवारों को रोजगार दिलाने के लिये सरकारी ऋण की सहायता से, सहकारी संस्थाओं द्वारा औद्योगिक योजनाएं आरम्भ की गई थीं। यह देखने के लिये कि योजनाओं का मूलभूत उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है, सहकारी संस्थाओं के कार्य-संचालन की शासकीय जांच आरम्भ की गई है। इरादा यह है कि चलाये जाने योग्य योजनाओं को पुन: तेज किया जाए और अव्यवहारिक योजनाओं को समाप्त किया जाए तथा नई योजनायें बनाई जाएं जिनसे बस्तियों के निवासियों के लिये लाभदायक रोजगार की सम्भावनाएं उत्पन्न हों।

हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मंत्रियों तथा विधान सभा के प्रशासी कर्मचारी

४१९३. **श्री पद्म देब :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९५६ से पहिले हिमाचल प्रदेश के विधान सभा सचिवालय तथा मंत्रियों के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में क्या नियम थे;

(ख) क्या यह सच है कि इन अधिकारियों को अपनी उचित वरिष्ठता से पर्याप्त समय से वंचित रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की ठीक-ठीक वरिष्ठता निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य- मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश के विधान-सभा सचिवालय तथा मन्त्रियों के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता उन ग्रेडों में निश्चित की गई थी, जिन पर वे हिमाचल प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवायें (भरती तथा उन्नति) नियम, १९५१ के अधीन नियुक्त किये गये थे। क्योंकि इन नियमों की मान्यता के विषय में कुछ भ्रम था, इसलिये उन कर्मचारियों को अपने पहले कार्यालयों के ग्रेडों की स्थायी सेवा को ध्यान में रखते हुए अन्तिम वरिष्ठता दे दी गई थी। बाद में ऐसा समझा गया, कि सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियम अभी भी मान्य हैं इसलिये नियमों के अनुसार उन्हें उपयुक्त वरिष्ठता प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।

अन्दमान द्वीपसमूह में पकड़ी गयी नौका

†४१९४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६० में अन्दमान द्वीपसमूह के समीप पकड़ी गयी नौकाओं के उद्भव और नौका में इंजन और सामान के 'मेक' के बारे में पता लगा लिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, हां।

(ख) पकड़ी गयी दो नौकाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

नौका संख्या एस० एम० एफ० १९५

(क)	नौका का उद्भव	. सिंगापुर
(ख)	मेक (इंजन)	. मेसर्ज कोब हात्सू डोकी लिमिटेड, टोक्यो, जापान
(ग)	हॉर्स पावर	१००
(घ)	सिलन्डर	. २
(ङ)	सामान	. प्राप्त सामान की सूची संलग्न है।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३७]

नौका संख्या एस० एम० एफ० ३९२

(क)	नौका का उद्भव	. सिंगापुर
(ख)	मेक (इंजन)	. मेसर्ज कोब हात्सू डोकी लिमिटेड, टोक्यो, जापान
(ग)	हॉर्स पावर	. ११५
(घ)	सिलन्डर	३
(ङ)	सामान	. प्राप्त सम्पत्ति की सूची संलग्न है।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनबन्ध संख्या ३८]

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

†४१९५. **श्री बै० च० मलिक : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने कटक जिले के सूकिन्दा पी० एस० में बरगड़िया, जुबरी और गोबर घाटी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां बनाने के लिये वर्ष १९५६-५७ में लगभग ८०,००० रुपये मंजूर किये ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य किस को सौपा गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि बस्तियों के निर्माण के बाद उन्हें सम्बन्धित पदाधिकारियों ने नष्ट कर दिया ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों ने, जिनके लिये बस्तियां बनायी गयी थीं, सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं; और

(च) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) से (च). उड़ीसा सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

†४१९६. **श्री बै० च० मलिक** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अगस्त, १९६० में आयी भीषण बाढ़ से जिन व्यक्तियों की जानें गयीं उनके परिवार के सदस्यों को क्या राज्य सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो मृत व्यक्तियों के पृथक पृथक परिवारों को कितनी धनराशि दी गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय शिक्षण संस्थान के सांख्यिक का विदेशों में प्रशिक्षण

४१९७. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षण संस्थान का एक सांख्यिक सरकारी छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) क्या तीन साल के सेवा अनुबन्ध काल में विदेश जाने के लिये उनकी छुट्टी स्वीकृत कर ली गई थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ङ) छात्रवृत्ति के रूप में व्यय होने वाले धन को उनसे वापस लेने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) २०,१३९ रु० और ३९ नये पैसे। लेकिन उन्हें वेतन आदि के रूप में कोई और रकम नहीं दी गई।

(ग) जी, हां।

(घ) उनकी छुट्टी बाकी थी और संविदा की अवधि के दौरान में छुट्टी मंजूर करना संविदा की शर्तों के विरुद्ध नहीं था।

(ङ) संविदा के अनुसार उम्मीदवार को जब तक काम करना था तब तक वह काम करता रहा। इसलिये छात्रवृत्ति के रूप में उन पर खर्च की गई राशि के किसी भाग को वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भीर जिला (महाराष्ट्र) में कोयला पाया जाना

†४१९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के भीर जिला के मनीनाबाद तालुक में धर्मपुरी के निकट बाभलगांव और खपरटन गांवों में कुएं खोदते समय कोयला पाया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) सरकार को ऐसे किसी कोयले के पाये जाने का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खेल-कूद के सामान के निर्माताओं का सम्मेलन

†४१९९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत के बड़े खेल-कूद के सामान के निर्माताओं का एक सम्मेलन बुलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है; और

(ग) यह सम्मेलन कब किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्री माली)** : (क) जी, हां ।

(ख) खेल-कूद का सामान निर्माताओं पर स्टेण्डर्ड किस्म का सामान और उपकरण बनाने की आवश्यकता पर जोर डालना और यदि उनकी कोई कठिनाइयां हों, तो उनको समझना ।

(ग) यह सम्मेलन १७ अप्रैल, १९६१ को किया गया ।

अनन्तपुर में इंजीनियरिंग कालेज

†४२००. **श्री रामी रेड्डी**: क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर में इंजीनियरिंग कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करने की प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इस पाठ्यक्रम के लिये कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). अनन्तपुर इंजीनियरिंग कालेज ने इमारत और उपकरण के लिये ६.५ लाख रुपये और प्रति वर्ष आवर्ती व्यय १.८ लाख रुपये की अनुमानित लागत से सिविल, मिकैनिकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की योजना भेजी है । इस योजना में पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष ३० विद्यार्थी दाखिल किये जाने की व्यवस्था है ।

स्नातकोत्तर विकास समिति इस योजना पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगों म भारतीय सैनिक

†४२०१. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र कमान में कांगो भेजे गये हमारे सैनिकों को अब तक क्या कार्य सौंपा गया है;

(ख) क्या हमारे सैनिकों की वहां के स्थानीय सैनिकों से कोई मुठभेड़ हुई;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई व्यक्ति हताहत हुआ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या और स्वरूप क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) अगस्त-अक्तूबर, १९६० में कांगो भेजे गये सैनिक गैर-लड़ाकू कर्तव्यों जैसे संभरण, अस्पताल का कार्य और सिगनल आदि के सम्बन्ध में हैं।

लड़ाकू सेना का एक ब्रिगेड दल इस वर्ष भेजा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् और बृहत्सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण में कांगो में संयुक्त राष्ट्र कार्यकारी कमान द्वारा दिये गये कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

(ख) से (घ). कांगो में कांगोली सेना के साथ चार भारतीय सेना के पदाधिकारी और तीन अन्य रैंकों की मुठभेड़ हुई। इनमें से २२ नवम्बर, १९६० को हुई एक घटना में दो पदाधिकारियों को (मेजर एम० वी० गोरे और एम० एस० कथावटे) कांगोली सेनाओं ने बुरी तरह पीटा। मेजर गोरे को उनकी पीठ पर चोटें आयीं और मेजर कथावटे को उनके मुंह और बायें कान पर चोट आयी। दोनों अफसरों को इस बीच अस्पताल से रिहा कर दिया गया है और वे कांगो में अपना सामान्य कार्य-भार संभाले हैं। बाकी अन्य घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ।

श्रीनगर और चण्डीगढ़ के हवाई अड्डे

†४२०२. **श्री आसर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर और चण्डीगढ़ के हवाई अड्डों को असैनिक उड्डयन निदेशालय के नियंत्रण से निकाल लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया था; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) से (ग). श्रीनगर के हवाई अड्डे का नियंत्रण आरम्भ से ही वायु सेना के हाथ में है और अतः असैनिक उड्डयन निदेशालय से इसका नियंत्रण संभालने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के साथ करार करके चण्डीगढ़ के हवाई अड्डे का नियंत्रण भारतीय वायु सेना असैनिक उड्डयन विभाग से अपने हाथ में ले रही है। यह निर्णय हाल ही में देश के हित में किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और नई दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

†४२०३. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों के क्या नाम हैं और उनका निम्नलिखित ब्यौरा क्या है :

(१) मकानों की संख्या;

(२) खाली प्लाटों की संख्या;

(३) बस्ती दिल्ली नगर निगम अधिनियम के बाद बनी या इससे पूर्व बनी;

(ख) पिछले तीन वर्षों में नियमित की गयी और मंजूर की गयी अनधिकृत बस्तियों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट बस्तियों को किन सिद्धान्तों पर मंजूर किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें बस्तियों के नाम, और उनमें मकानों और खाली प्लाटों की संख्या के बारे में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया ; देखिये संख्या एल० टी० २९१३/६१]**

(३) सभी बस्तियां दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ के प्रख्यापित होने से पहले बनीं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया और मंजूर किया :

१. राजा गार्डन
२. मीनाकाशी गार्डन
३. सन्त नगर
४. मजलिस पार्क
५. हरी नगर जी० ब्लाक
६. शिव नगर
७. शिव नगर एक्स्टेन्शन
८. वीरेन्द्र नगर
९. कृष्ण नगर
१०. कुलदीप नगर
११. मोती पार्क
१२. हरकृष्ण नगर
१३. मनोहर पार्क
१४. फ्रेन्ड्स कालोनी, जी० टी० रोड
१५. कृष्ण नगर, जी० टी० रोड
१६. आदर्श नगर ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिन सिद्धान्तों पर पहले इन बस्तियों को लिया गया है, वे ये हैं :

(१) बस्तियां जिनमें अधिक मकान बने हैं।

(२) प्रत्येक ज़ोन से लगभग बराबर संख्या में बस्तियां लेना।

(३) बस्तियां जिनमें अच्छे ढंग से बने प्लाट हैं और सब-डिवीज़न तरीके से हैं।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण

†४२०४. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में जिनका वर्तमान वेतन स्तर ३५०—८०० रुपये बदल कर ४००—९०० रुपये कर दिया गया है, केन्द्रीय असैनिक सेवायें (वेतन का पुनरीक्षण) नियम, १९६० के अधीन वेतन के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि की "नोशनल मिनिमम" का सिद्धान्त लागू करके क्षतिपूर्ति की गयी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में असिस्टेंटों के मामले में, जिनका वर्तमान वेतन-स्तर १६०—४५० रुपये २१०—५३० रुपये में बदल दिया गया है, पुनरीक्षित स्तर में वेतन निर्धारित करने के परिणामस्वरूप कुछ वित्तीय हानि होती है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों की तरह सरकार असिस्टेंटों के मामले में वित्तीय हानि को समाप्त करने के लिये "नोशनल मिनिमम" का सिद्धान्त लागू करेगी अर्थात् वर्तमान असिस्टेंटों का न्यूनतम वेतन २२० रुपये निर्धारित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) से (घ). द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों की कुछ श्रेणियों के लिये निर्धारित ४००—९०० रुपये के पुनरीक्षित स्तर की वेतन आयोग द्वारा ३५०—८०० रुपये के स्तर के बदले सिफारिश नहीं की गयी है जो २७५—८०० रुपये के स्टैण्डर्ड श्रेणी २ के स्तर का एक खंड है। तथापि, सरकार ने प्रथम श्रेणी के स्तर के लिये जो पहले ३५० रुपये था, आयोग द्वारा सिफारिश किये गये पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन के अनुसार ४००—९०० रुपये का पुनरीक्षित स्तर निकाला। तदुपरान्त यह देखा गया कि न्यूनतम ४०० रुपये के प्रथम श्रेणी के पुनरीक्षित स्तर से कुल वेतन में कोई कमी नहीं हुई। द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों के लिये ४००—९०० रुपये के पुनरीक्षित वेतन-स्तर से सभी प्रक्रमों पर हानि हुई। यह क्रमशः द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के स्तरों में वेतन-वृद्धि के विभिन्न तरीकों के कारण है। सरकार ने यह निर्णय किया कि पुनरीक्षित वेतन नियमों के विशेष उपबन्धों को संशोधित करने का पर्याप्त औचित्य है और निर्णय किया कि उन व्यक्तियों के मामले में जो १-७-१९५९ को सेवा में थे, ४००—९०० रुपये के पुनरीक्षित स्तर में वेतन "नोशनल मिनिमम" के सिद्धान्त पर निर्धारित किया जायेगा अर्थात उस प्रक्रम पर जहां पुनरीक्षित स्तर में तनख्वाह सम्बन्धित वर्तमान स्तर के न्यूनतम में तनख्वाह के बराबर है अथवा यदि उसमें ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है, तो अगले ऊपर के प्रक्रम पर।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में असिस्टेंटों के लिये पुराने १६०—४५० रुपये के स्तर के बदले वेतन आयोग ने २१०—५३० रुपये के स्तर की सिफारिश की है। इस में बीच में दो स्थानों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

हानि होती है और बाकी सभी स्थानों पर लाभ है। इन स्थानों पर हानि को दूर करने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति उस समय तक पुराना स्तर रख सकते हैं जब तक वे उचित समझें और फिर नया स्तर अपना सकते हैं। ऊपर निर्दिष्ट द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की तरह न्यूनतम प्रक्रम पर कोई हानि नहीं है क्योंकि पुराने स्तर में कुल वेतन २२५ रुपये है (मूल वेतन १६० रुपये और महंगाई भत्ता ६५ रुपये) और पुनरीक्षित स्तर में यह २३० रुपये है (मूल वेतन २१० रुपये और २० रुपये महंगाई भत्ता) वास्तव में इस प्रक्रम पर ५ रुपये का लाभ है।

सरकार को इस बात से संतोष है कि द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों का मामला, जिनके लिये ४००—६०० रुपये का पुनरीक्षित स्तर निर्धारित किया गया है, असिस्टेंटों के मामले से बिल्कुल भिन्न है। अतः वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि असिस्टेंटों का न्यूनतम वेतन "नोशनल" आधार पर अधिक निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है।

दिल्ली में कोयला, लोहा तथा इस्पात के लिये अनुसूचित जातियों के लोगों को लाइसेंस

†४२०५. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ तथा १९६० में अनुसूचित जाति के कितने ही लोगों ने कोयले के डिपो खोलने तथा लोहा तथा इस्पात बेचने के लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र दिये थे;

(ख) क्या उपरिलिखित अवधि में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को लोहा, इस्पात तथा कोयले के लाइसेंस दिये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). लोहा तथा इस्पात के नियंत्रित/रजिस्टर्ड स्टाक होल्डरों, नियंत्रित रद्दी लोहे के व्यापारियों, अथवा कोयला डिपो के कोटाधारियों की नियुक्ति साम्प्रदायिक, धार्मिक अथवा जाति आधार पर नहीं की जाती है। इसलिए यह बताना बड़ा कठिन है कि उनमें अनुसूचित जाति के आवेदन थे अथवा नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भाषाई अल्पसंख्यक

†४२०६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल, आसाम, बिहार के मुख्य मंत्रियों तथा उड़ीसा के राज्यपाल की एक बैठक हुई थी जिसमें इन चारों राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार किये जाने के बारे में अन्तर-राज्यीय समझौते के बारे में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का सारांश क्या था; और

(ग) बातचीत के परिणाम क्या निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी नहीं । समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टैक्सी मीटरों की चोरियां

†४२०७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से टैक्सी मीटरों की चोरियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो १९६० तथा १९६१ में अब तक कितनी चोरियां हुई हैं;

(ग) इसके बारे में कितने व्यक्ति पकड़े गये; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**:(क) और (ख). जी नहीं । १९६० में ८ मामलों की और १९६१ में (३१-३-१९६१ तक) ५ मामलों की रिपोर्ट मिली थी ।

(ग) १९६० में २ तथा १९६१ (३१-३-६१ तक) में ७ ।

(घ) ४ व्यक्तियों पर अभियोग लगाये गये थे । एक को दण्ड दिया गया, एक छोड़ दिया गया तथा २ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामले लम्बित हैं । जांच के बाद एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया । शेष चार व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं ।

बनारस में धरारा मस्जिद

†४२०८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तीन विशेषज्ञ समितियों के कहने पर बनारस की धरारा मस्जिद के पूर्वोत्तर कोने की मीनार को गिराने का निर्णय कर लिया है क्योंकि मस्जिद की हालत बहुत खराब है;

(ख) क्या इस मीनार तथा इससे पहले गिरी मीनार के स्थान पर ही छोटी मीनारें बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन पर कितना धन व्यय होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अनुमानित लागत अभी नहीं बताई गई है ।

कला (उड़ीसा) में एम० ई० स्कूल

†४२०९. **श्री प्र० गं० देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने १९६१ में कला के एम० ई० स्कूल को हाई स्कूल में बदलने की स्वीकृति दे दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार, इसको सरकारी हाईस्कूल बनाने की जनता की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: उड़ीसा सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा समय पर बता दी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा पहाड़ी स्थानों की सैर

†४२१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए गर्मियों में पहाड़ी स्थानों की सैर भूतकाल में सफल हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रचार के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जी हां। इस प्रकार की सैरों में बहुत लोग दिलचस्पी लेते हैं तथा कर्मचारी राज्य सरकारों, रेलों आदि की सभी सुविधाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं।

कांगों में भारतीय दस्तो के लिए सी० ओ० डी०, दिल्ली छावनी, द्वारा सामान की खरीद

†४२११. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी को हाल में ही कांगो गये हमारे दस्तों के लिए २५,००० रुपये के मूल्य का सामान स्थानीय रूप से खरीदना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान को तैयार नहीं रखा गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी हां। सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी ने स्थानीय खरीददारियों के लिए २७,१४७ रुपये २९ नये पैसे व्यय किये।

(ख) और (ग). वस्तुओं के लिए कार्यवाही सामान्य रूप से की गई थी। क्योंकि कुछ अनुपूरक मांगों के लिए भांडार नहीं खरीदे गये थे इसलिए आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय रूप से खरीददारी आवश्यक समझी गई थी।

तेल उद्योग में जन-सम्पर्क आन्दोलन

†४२१२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री कुम्भार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल उद्योग के सरकारी क्षेत्र के द्वारा जन-सम्पर्क आन्दोलन चलाया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड, तथा इंडियन रिफायनरीज़ लिमिटेड के सहयोग से दिल्ली में पैट्रोलियम इनफारमेशन ब्यूरो बनाने का विचार किया गया है। उन्हीं संगठनों ने योजना की रूपरेखा बनाई है तथा उन पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

मनीपुर में अपराधी

†४२१३. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में मनीपुर में ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें पुलिस द्वारा अपराधी नहीं पकड़े जा सके और उन्होंने स्वयं अपने आपको मजिस्ट्रेटों को सामने प्रस्तुत कर दिया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: १९५९ में ५ मामलों में १२ व्यक्तियों तथा १९६० में ९ मामलों में १० व्यक्तियों ने उनके विरुद्ध रजिस्टर्ड अपराधों के लिए न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि उनके खिलाफ अभी भी पुलिस जांच कर रही थीं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका था।

विदेशी आस्तियों में कमी तथा रिजर्व बैंक के ऋण आदि में वृद्धि

†४२१४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिनों से विदेशी आस्तियों, नोटों तथा सिक्कों में तेज़ी से कमी आ गई है तथा भारत के रिजर्व बैंक के ऋणों तथा अग्रिमधनों में बहुत वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). विदेशी आस्तियों, नोटों और सिक्कों तथा भारत के रिजर्व बैंक के ऋण तथा अग्रिम धनों में हाल में हुई घटा बढ़ी नीचे दी जाती है :—

(करोड़ों में रुपये)

	२१-४-६१ को बकाया राशि	घटा बढ़ी		
		सप्ताह में	(२१-४-६१ को समाप्त होने वाला)	
			मास में	वर्ष में
विदेशी आस्तियां	१२८.८०	+०.८१	−२४.७५	−५५.५२
नोट, सिक्के, बैंकिंग विभाग में रखे हुए	२२.३७	११.५०	−१.८१	−२.४७
अन्य ऋण तथा अग्रिम धन .	१२६.२७	−१६.३४	−४६.९०	+२४.६८

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कुष्ठ रोगियों को एक नई बस्ती में ले जाया जाना

†४२१५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जमना बाजार में रहने वालों समेत सभी कुष्ठ रोगियों को नई बस्ती में ले जाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर इनमें से कितने बसाये जायेंगे ; और

(ग) बस्ती कहां बसाई गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) जी हां ।

(ख) ५०० ।

(ग) शाहदरा के निकट ताहिरपुर गांव में बस्ती बनाने का विचार है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में पत्रकार

†४२१६. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'सैनिक समाचार' के सम्पादकीय कर्मचारियों पर भर्ती तथा पदोन्नति के लिए लागू नियमों के कारण सह-सम्पादकों/उप-सम्पादकों को विभागीय पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सभी सह सम्पादक तथा उप-सम्पादक अगले पद अर्थात् सम्पादक तथा सह-सम्पादक के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हतायें तथा अनुभव की शर्तों को पूरा करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा नियमों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रत्येक वर्ग में ५० से ७५ प्रतिशत पदों को विभागीय पदोन्नतियों से भरा जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जब कि कर्मचारी विभागीय पदोन्नति भी पा सकते हैं तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी बैठ सकते हैं, 'सैनिक समाचार' के कर्मचारी केवल संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से भरे जाने वाले पदों के लिए ही आवेदन पत्र भेज सकते हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस असमानता को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) 'सैनिक समाचार' में एक पद सम्पादक का है तथा २ पद सह-सम्पादक के हैं । तीनों ही पदों को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भरा जाता है । परन्तु अतारांकित प्रश्न संख्या १९९९ के उत्तर में बताया जा चुका है कि जो कर्मचारी सह-सम्पादक/उप सम्पादक के पदों की अर्हता वाले होते हैं, वह संघ लोक सेवा आयोग को इन पदों पर नियुक्त के लिए आवेदन पत्र भेज सकते हैं ।

(ख) १२ सह-सम्पादकों तथा उप-सम्पादकों में से २ उप-सम्पादकों के अतिरिक्त अन्य सभी अगले पद पर पदोन्नति की न्यूनतम शर्तें पूरा करते हैं ।

(ग) जी हां, परन्तु वर्ग २ श्रेणी ४ में केन्द्रीय सूचना विभाग में भर्ती शत-प्रतिशत लोक सेवा आयोग से होती हैं जब कि 'सैनिक समाचार' में उप-सम्पादक के पद पर नियुक्ति शत प्रतिशत पदोन्नति से होती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) जी हां । 'सैनिक समाचार' के कर्मचारी 'सैनिक समाचार' के संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन पत्र भेज सकते हैं ।

(ङ) सैनिक समाचार में सम्पादक तथा सह-सम्पादक ऊंचे पद हैं । यह समझा जाता है कि यदि भरती बाहर से की जाये तो ऊंचे स्तर के व्यक्ति चुने जा सकेंगे । सह-सम्पादकों/उप-सम्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अपेक्षित अर्हता वाले कर्मचारियों के बारे में अन्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ विचार किया जाता है । इसलिए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना इस समय आवश्यक नहीं समझा गया है ।

दिल्ली में स्वयंचालित 'फायर अलार्म'

†४२१७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में १०० स्वयंचालित 'फायर अलार्म' बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको लागू करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) दिल्ली अग्नि सेवा के लिए जिम्मेदार दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली तथा नई दिल्ली में लगभग १०० स्ट्रीट फायर अलार्म लगाने की योजना बनाई है । स्वयंचालित फायर अलार्म की कोई योजना नहीं है ।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में स्ट्रीट फायर अलार्म लगाने की व्यवस्था को टेलीफोन अधिकारियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

महालेखापालों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार

४२१८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी-भाषी राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्यों के महालेखापालों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार कर सकतीं हैं ;

(ख) क्या गत वर्ष किसी राज्य सरकार द्वारा हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने पर किसी महालेखापाल ने आपत्ति की थी ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या आपत्ति की गई थी ; और

(घ) यह व्यवस्था कब की जायेगी कि यदि कोई राज्य-सरकार चाहे तो वह महालेखापाल और नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार कर सके ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) राष्ट्रपति के १९५५ के आदेश में, जो गृह मंत्रालय की २ दिसम्बर १९५५ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३६१२ के अन्तर्गत जारी किया गया है, उन राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए, जिन्होंने हिन्दी को राज्य भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया है, अंग्रेज़ी भाषा के अलावा हिन्दी भाषा के उपयोग की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है ।

गृह-मंत्रालय में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति

४२१९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में उनके विभिन्न कार्यालयों में कुछ सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) इन अधिकारियों को कौन-कौन से काम सौंपे गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक कार्यालय अपने स्टाफ के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण की देखभाल के लिये एक अधिकारी को नामज़द करता है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) ये अधिकारी इस मंत्रालय से सम्पर्क रखते हैं और अपने दफ्तरों के कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण से सम्बन्धित कामों की देख भाल करते हैं ।

हिन्दी के पर्यायवाची शब्द

४२२०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विभाग तथा कार्यालय हैं जिन के पास से अभी तक उन शब्दों की सूचियां प्राप्त नहीं हुईं जिनके हिन्दी पर्याय तैयार किये जाने शेष हैं ; और

(ख) इस समय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास ऐसे कितने शब्द शेष रहते हैं जिनके हिन्दी पर्याय तैयार करने हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). भारत सरकार के मंत्रालयों में जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं: (i) सामान्य प्रशासन संबंधी पारिभाषिक शब्द जिन का प्रयोग सभी

मंत्रालयों में समान रूप से होता है ; तथा (ii) मंत्रालय-विशेष में जिस विषय का काम होता हो उस से सम्बन्धित पारिभाषिक शब्द ।

अब तक विभिन्न विषयों में जितने पारिभाषिक शब्द बन चुके हैं (इन में विभिन्न मंत्रालयों में समान रूप से काम में लाए जाने वाले पारिभाषिक शब्द भी सम्मिलित हैं) उनकी संख्या साथ लगे विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३९]**

भारत सरकार के ऐसे सभी मंत्रालयों ने जिनका संबंध उपर्युक्त दूसरे वर्ग के पारिभाषिक शब्दों से है अपने पारिभाषिक शब्दों की सूचियां हिन्दी अनुवाद के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेज दी हैं । इन में से ४६३८६ पारिभाषिक शब्दों का अभी हिन्दी में अनुवाद नहीं हो सका है क्योंकि इन में से अधिकांश हाल ही में प्राप्त हुए हैं ।

दिल्ली के पुलिस विभाग में हिन्दी का प्रयोग

४२२१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
श्री ब्रजराज सिंह:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के पुलिस विभाग के कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था कब से की जाने वाली है कि जनता की ओर से मांगे जाने पर किसी उर्दू रिकार्ड की प्रतिलिपियां देवनागरी में प्राप्त हो सकें ?

(ख) क्या दिल्ली पुलिस के हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को इस बात की छट है कि वे सरकारी कागजातों में उर्दू की जगह हिन्दी का उपयोग कर सकें ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) आवश्यक अनुदेश जारी किये जा चुके हैं ।

(ख) और (ग). दिल्ली की कोर्टों में हिन्दी के प्रयोग के लिये पंजाब हाईकोर्ट से स्वीकृति मांगी गई है । इस स्वीकृति के मिल जाने के बाद पुलिस विभाग के कागज़ातों में हिन्दी का प्रयोग सुलभ हो जायेगा ।

नियम संहिताओं आदि का हिन्दी अनुवाद

४२२२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया:
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६१ तक विधि मंत्रालय के पास हिन्दी अनुवाद के लिए कितनी नियम संहिताएं तथा फार्म प्राप्त हुए हैं ;

(ख) अब तक विधि मंत्रालय ने कितनी ऐसी नियम संहिताओं आदि का अनुवाद पूरा करके सम्बन्धित कार्यालयों को लौटा दिया है ; और

(ग) जो कार्य अभी शेष है उसके कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस): (क) विधिजात नियमों आदि के २९५ सेट । इनमें संहिताएं और फार्म भी शामिल हैं ।

(ख) अभी तक संहिताओं और फार्मों सहित विधिजात नियमों आदि के २८ सेटों का हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है और ये सेट सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों को भेज दिए गए हैं ।

(ग) चूंकि बढ़े हुए काम को निपटाने की दृष्टि से अनुवाद अनुभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि यह काम किस निश्चित तारीख तक पूरा हो सकेगा ।

विधि मंत्रालय में हिन्दी अनुवाद

४२२३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तक उनके मंत्रालय के पास अन्य मंत्रालयों से अनुवाद के लिए जो सामग्री आयी हुई है वह लगभग कितने पृष्ठ की है ;

(ख) इस समय उनके मंत्रालय में अनुवाद कार्य के लिए कितने कर्मचारी नियुक्त है ;

(ग) उनमें से प्रत्येक से प्रति मास कितने पृष्ठ के अनुवाद की अपेक्षा की जाती है और क्या कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है ;

(घ) राष्ट्रपति के २७ अप्रैल, १९६० के आदेश के अनुसार जो स्थायी आयोग बनने वाला है उसकी स्थापना में देरी होने का क्या कारण है ; और

(ङ) कब तक उस आयोग के बन जाने की सम्भावना है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) ८२०० ।

(ख) ४ व्यक्ति । उन्हें द्विभाषिक संस्करणों (हिन्दी-अंग्रेजी) का प्रकाशन सम्बन्धी कार्य भी करना पड़ता है ।

(ग) प्रत्येक अनुवादक से प्रतिमास लगभग ३७ पृष्ठ की अपेक्षा की जाती है । यह काम इसी कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

(घ) और (ङ). आयोग के सदस्य विधि विशेषज्ञ होंगे । वे भारत के सभी राज्यों से लिए जाने हैं और वे राज्यों की विभिन्न राज-भाषाओं के प्रतिनिधि होने चाहिएं । अतः यह आवश्यक था कि इस विषय में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाये । राज्य सरकारों से परामर्श करने में और आयोग के लिए उचित सदस्य आदि चुनने में निश्चय ही समय लगता है । आयोग के सदस्यों आदि के बारे में अंतिम निर्णय शीघ्र ही होने वाला है और उसके तुरन्त बाद ही आयोग नियुक्त कर दिया जायेगा । सरकार इस बात के लिए उत्कंठित है कि आयोग जल्दी से जल्दी बना दिया जाय और इस मामले में कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई है ।

पालघाट में इंजीनियरिंग कालेज

†४२२४. **श्री कुन्हन:** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट जिले के निवासियों से पालघाट में नायर सर्विस सोसाइटी द्वारा चलाये जा रहे इंजीनियरिंग कालेज की अव्यवस्था के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर):** (क) कई व्यक्तियों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कालेज में प्रवेश की शर्त के रूप में विद्यार्थियों से चन्दा लिया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कहने पर राज्य सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी जिसने यह रिपोर्ट दी है कि आरोप निराधार है ।

खाद्य उत्पादन आन्दोलन के लिये पंजाब के लिये जीपें

†४२२५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने खाद्य उत्पादन आन्दोलन के लिये इस्तेमाल करने के लिये १०,००० जीपों के संभरण के लिये एक आर्डर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस उत्पादन योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उस मांग को स्वीकार कर लिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इम्फाल स्पोर्टिंग क्लब

†४२२६. **श्री ले० अचौ० सिंह:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल स्पोर्टिंग क्लब, मनीपुर को एक क्रीड़ा भूमि आवंटित की गयी थी ;

(ख) क्या मनीपुर प्रशासन द्वारा सरकारी इमारतों के निर्माण के लिये उस भूमि का अर्जन किया गया था ; और

(ग) क्या उसके लिये कोई और स्थान आवंटित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्लब को किसी और भूमि को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जायेगी, वह भूमि पहली भूमि के निकट ही विकसित की जा रही है ।

रक्षी वस्त्र सम्बन्धी समिति[1] की सिफारिशें

†४२२७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के महानिदेशक द्वारा नियुक्त रक्षी वस्त्र सम्बन्धी समिति की सिफारिशें आयुध कारखानों में अभी तक कार्यान्वित नहीं की गयी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Committee on Protective Clothing.

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) समिति की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०]**

हिन्दी में संधियां और करार

४२२८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों ने १९५९ तथा १९६० में अन्य देशों के साथ कितनी संधियां अथवा करार किये ;

(ख) इन संधियों अथवा करारों सम्बन्धी कितने प्रलेख हिन्दी में भी तैयार किये गये ;

(ग) शेष प्रलेखों को हिन्दी में तैयार न करने का क्या कारण है ; और

(घ) क्या भविष्य में सभी संधियों तथा करारों को हिन्दी में भी तैयार करने की निश्चित व्यवस्था की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) उन सभी संधियों अथवा करारों का हिन्दी प्रलेख तैयार किया जाता है जिनको भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में रजिस्ट्री के लिये भेजती है ।

संस्थाओं का पंजीयन

४२२९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत अपने को पंजीकृत कराने की इच्छुक किसी संस्था के लिये क्या यह आवश्यक है कि वह रजिस्ट्रार के पास अपना विधान अंग्रेजी में ही दे ;

(ख) वर्ष १९६० में दिल्ली के रजिस्ट्रार ने कितनी संस्थाओं को तब तक पंजीकृत करने से इन्कार कर दिया जब तक कि वे अपने हिन्दी विधान का अंग्रेजी रूपान्तर न दें ; और

(ग) इस बात का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है कि किसी संस्था के पंजीकरण में कोई बाधा केवल इस आधार पर न उपस्थित हो कि उसका विधान हिन्दी में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) कोई भी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिन्दी में फार्म

४२३०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ऐसे मंत्रालय और संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं जिनका कोई भी फार्म हिन्दी अनुवाद के लिये अभी तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अथवा विधि मंत्रालय के पास नहीं भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). प्रायः सभी स्टैन्डर्ड जनरल फार्म केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय को भेजे जा चुके हैं। विभागीय फार्मों का अनुवाद उनसे सम्बन्धित नियमों तथा संहिताओं के अनुवाद के साथ साथ किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं कि इन फार्मों को अनुवाद के लिये अलग से भेजा जाये।

(ग) पहली अप्रैल, १९६३ तक। परन्तु अनुभव के आधार पर इस कार्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार हेरफेर व संशोधन भी किया जा सकता है।

हिन्दी में पत्र व्यवहार

४२३१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से इस आशय के सुझाव आये हैं कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों का उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया जाना चाहिये ; और

(ख) इस प्रकार की व्यवस्था कब से की जाने वाली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो कार्यक्रम तैयार की गई है उसमें यह व्यवस्था है कि सन् १९६१–६२ के अन्त तक जहां तक सम्भव हो सभी हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाय।

पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

†४२३२. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और अधिक पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ; और

(ग) पैट्रोलियम उत्पादों के संभरण के लिये किस किस देश ने प्रस्ताव किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये कमी वाले उत्पादों के आयात में कुछ वृद्धि करने की जरूरत नये कारखाने के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी बनी रहेगी। इस समय यह कहना कठिन है कि आयात में कितनी वृद्धि होगी।

(ग) रूस से रुपये में भुगतान के आधार पर कमी वाले पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये पिछले वर्ष ही एक ठेका किया गया था और उस ठेके के अधीन मंगायी जा रही वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रूमानिया के साथ किये गये नये व्यापार करार के अधीन उस देश से पैट्रोलियम के कमी के उत्पादों के आयात का भी विचार है।

मजगांव गोदी, बम्बई

†४२३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मज़गांव डॉक लिमिटेड, बम्बई ने मकाइ खण्ड बक्सलेर नामक एक स्टकाटलैंड की इंजीनियरिंग फर्म के मेरीन गिटार के लिये एक आर्डर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी कीमत पर खरीदा जायेगा ; और

(ग) वह आर्डर कब पूरा किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां। यह मशीनरी विशाखापटनम पत्तन के लिये मज़गांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाये जा रहे दो 'टग्स' में लगाये जाने के लिये हैं।

(ख) नौपर्यन्त निशुल्क २०.६ लाख रुपये।

(ग) एक सेट १२ महीनों में और दूसरा १८ महीन में।

कनाडा का प्रतिरक्षा दल

†४२३४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६१ के मध्य में कनाडा का एक प्रतिरक्षा दल, जिसमें १६ पदाधिकारी थे, नई दिल्ली आया था ;

(ख) यदि हां, तो वे किस किस स्थान पर गये थे ; और

(ग) उनके आने का प्रयोजन क्या था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कनाडा के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज से १६ पदाधिकारी विद्यार्थी १४ अप्रैल से २२ अप्रैल तक और २८ से ३० अप्रैल, १९६१ तक भारत आया था।

(ख) दिल्ली, आगरा, पलवल, कानपुर, कलकत्ता और मद्रास।

(ग) कालेज के पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में विद्यार्थियों को विदेशों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिये कनाडा सरकार प्रति वर्ष विद्यार्थियों के दौरे का प्रबन्ध करता है। पिछले वर्षों में भी वे भारत आते रहे हैं और इस वर्ष भी आये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक स्कूल

†४२३५. श्री महागांवकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने और किस किस स्थान पर सैनिक स्कूल हैं ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों तथा देश के अन्य सैनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्थानों का रक्षण किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक को कितने स्थान आवंटित किये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) १९६१ में निम्नलिखित स्थानों में पांच सैनिक स्कूल स्थापित करने का विचार है :—

(१) महाराष्ट्र राज्य में सतारा

(२) राजस्थान राज्य में चित्तौड़ गढ़

(३) गुजरात राज्य में जामनगर

(४) पंजाब म कुंजपुरा (करनाल) ; और

(५) पंजाब में कपूरथला ।

(ख) से (घ). लगभग एक तिहाई स्थान सैनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिये रक्षित किये गये हैं । प्रतिरक्षा संस्थापनों के काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के बच्चों के लिये कोई भी स्थान रक्षित नहीं किया गया है । शेष स्थानों के लिये वे अन्य असैनिकों के समान ही मुकाबला कर सकते हैं । परन्तु इस मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिये निशुल्क शिक्षा

†४२३६. श्री महागांवकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मो० वें० ठाकुर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले उन असैनिक कर्मचारियों तथा अन्य सैनिक कर्मचारियों के जिनका वेतन १५० से ५०० रुपये महीने तक है, पात्र एवं योग्य बच्चों को जो सैनिक स्कूलों की प्रवेश परीक्षाओं में पास हो गये हों निःशुल्क शिक्षा देने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो है, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) पात्र परन्तु निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के कुछ सुझावों पर इन राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है, जहां वे स्कूल स्थापित हैं। उन सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों को भी केन्द्रीय छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्योरा उनको अन्तिम रूप दिये जाने के शीघ्र बाद बता दिया जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा का सम्बलपुर जिला

†४२३७. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उड़ीसा का सम्बलपुर ज़िला इतना बड़ा है कि उसका ठीक प्रकार से प्रशासन नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे दो जिलों में विभाजित कर देने के सम्बन्ध में कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो नये ज़िले में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को कानूनी सहायता

†४२३८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता के लिये कितनी राशि दी गयी थी ; और

(ख) १९६१ के लिये कितनी राशि मंज़ूर की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). संभवत भाग (क) और (ख) में १९६०–६१ और १९६१–६२ के सम्बन्ध में जानकारी मांगी जा रही है। १९६०–६१ के सम्बन्ध में जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी। जहां तक १९६१–६२ का सम्बन्ध है सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक वार्षिक योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः इस समय वह जानकारी नहीं दी जा सकती।

उड़ीसा में बकाया मामले

†४२३९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के विभिन्न जिलों में बहुत से मामले पिछले कई वर्षों से अभी तक अनिर्णीत पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन मामलों के शीघ्रता से निबटाने के लिये जिला मजिस्ट्रेटों को कोई निदेश भेजा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेंगी ।

नई दिल्ली में अवैध टकसाल का पकड़ा जाना

†४२४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ अप्रैल, १९६१ को वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में एक औरत के घर से एक अवैध टकसाल तथा कुछ जाली सिक्के पकड़े गये थे ;

(ख) उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). वेस्ट पटेल नगर में एक मकान से जाली सिक्कों के निर्माण के लिये कुछ सामग्री और उपकरण तथा कुछ सिक्के पकड़े गये थे । एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया । मामले की अभी जांच की जा रही है ।

भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिव

†४२४२. { **श्री छ० म० केदरिया :**
श्री स्वामी रामानन्द शास्त्री :
श्री उइके : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी तथा वर्ग १ के अन्य पदाधिकारी कितनी कितनी संख्या में हैं ;

(ख) क्या १९५८ से १९६१ तक की अवधि में राज्य सेवाओं से किसी पदाधिकारी को भारतीय प्रशासन सेवा तथा वर्ग १ की पदाली में भर्ती किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने पदाधिकारियों को और किस किस पदाली से भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती किया गया ;

(घ) अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा और वर्ग १ के लिये कितने स्थान रक्षित किये गये थे और उन स्थानों में कितने अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था ;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है कि भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से की जाये ; और

(च) यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सिफारिशें प्राप्त हुई है और कितनों को भर्ती किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१] विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन नियुक्त वर्ग १ के अधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका सम्बन्ध भारत सरकार से नहीं है ।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ के अधीन किसी भी राज्य के वरिष्ठ पदों में से २५ प्रतिशत पद राज्य असैनिक सेवा/राज्य सेवा पदाधिकारियों में से ही भरे जायेंगे । परन्तु राज्य सेवा पदाधिकारियों को पदोन्नति से केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी में भर्ती नहीं किया जाता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४२]**

(घ) भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ के अधीन प्रतियोगी परीक्षा से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों में से १२ १/२ प्रतिशत और ५ प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये रक्षित किये जाने चाहिये । उनके स्थानों पर की गई भर्ती सम्बन्धी जानकारी एक संलग्न विवरण में दी गई है : **[देखिय परिशिष्ट ६, अनबंध संख्या ४३]**

(ङ) जी, नहीं

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में दूध बेचने वाले की मृत्यु

†४२४३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ अप्रैल, १९६१ को गांधी नगर, शाहदरा, दिल्ली के चत्तर सिंह नामक एक व्यक्ति के मकान पर डाकुओं ने डाका मारा और घर की बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये चत्तर सिंह को मार डाला और उसकी पत्नी और साली को पीटा था और वे डाकू वस्त्रों तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के अतिरिक्त २,००० रुपये नकद लेकर भाग गये थे ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). १७/१८ अप्रैल, १९६१ की रात को कुछ व्यक्ति रघबारपुरा के मुहल्ला चान्द में श्री चत्तर सिंह के मकान में दाखिल हुए । उन्होंने श्री चत्तर सिंह को गोली से मार दिया और वे लगभग ६००० रुपयों की कीमत की वस्तुएं लेकर भाग गये जिनमें २००० रुपये नकद भी सम्मिलित थे । पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा ४६० के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जगाधरी (पंजाब) की फार्मों को स्टेनलैस स्टील का कोटा

†४२४४. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली कालावधि में जगाधरी (पंजाब) की कितनी फर्मों को स्टैनलैस स्टील का कोटा आवंटित किया गया था ;

(ख) यह किस प्रयोजन के लिये आवंटित किया गया था ;

(ग) प्रत्येक फर्म को कितनी मात्रा मंजूर की गयी है ;

(घ) भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था करेगी कि उस कोटे का दुरुपयोग न किया जाये और जिन यूनिटों को कोटा आवंटित किया गया है उनके पास आवश्यक संयंत्र और उपकरण हैं ; और

(ङ) क्या भारत सरकार द्वारा किये गये परीक्षण के परिणामस्वरूप ऐसा कोई मामला पकड़ा गया है जिसमें उसका दुरुपयोग किया जा रहा हो ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४४]**

(ख) बर्तनों का निर्माण ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार के पास एसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यह आवंटित किये जा रहे इस्पात के सम्बन्ध में परीक्षण कर सके । यह कार्य राज्य सरकार का है क्योंकि उसी की सिफारिशों के आधार पर स्टैनलैस स्टील आवंटित किया जाता है ।

सरकारी सहशिक्षा-उच्च माध्यमिक स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली

†४२४५. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सहशिक्षा उच्च माध्यमिक स्कूल, सोरोजिनी नगर, नई दिल्ली की इमारत १९६०–६१ में पूरी हो जानी थी;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और इमारत कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) क्या योजना में खेल के मैदानों, पुस्तकालय, नहाने के तालाबों, हाल तथा आडिटोरियम और विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) निर्माण-कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा और उसके पूरा होने में लगभग १० महीने लग जायेंगे ।

(ग) जी हां । सिवाय नहाने के तालाबों के ।

---

† मूल अंग्रेजी में

सरकारी बालिका उच्चमाध्यमिक स्कूल सरोजनी नगर, नई दिल्ली

†४२४६. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर, नई दिल्ली की सरोजिनी मार्केट के सामने एक सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक स्कल स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस मार्केट के होटलों तथा अन्य दूकानों में समाज विरोधी व्यक्ति विद्यमान रहते हैं और वे इस स्कल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के कार्य में बाधा डालते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्कूल प्राधिकारियों तथा अधिकांश विद्यार्थियों के माता पिता ने यह प्रार्थना की है कि उस स्कूल को वहां से हटा कर निकट की उस दूसरी इमारत में ले जाया जाये जहां लड़कों का स्कूल लगता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या आगामी शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने तक ऐसा कर दिया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अवैध तरीकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना

४२४७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कुछ ऐसे व्यक्तियों का पता लगा है जिन्होंने विदेशों से सीधा धन प्राप्त किया है;

(ख) क्या यह धन रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना प्राप्त किया गया है;

(ग) कितने व्यक्तियों ने इस प्रकार धन प्राप्त किया है; और

(घ) यह उपाय किस प्रकार के थे और सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (घ). माननीय सदस्य सम्भवतः यह जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब में कुछ लोगों को विदेशों से गैर कानूनी तौर पर धन मिल रहा है । सरकार को गैरकानूनी तौर पर धन भेजे जाने के किसी मामले का पता नहीं है ।

प्रादेशिक भाषाओं में शब्द कोश

†४२४८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी और हिन्दी के समानार्थक शब्दों के सहित विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में शब्दकोश तैयार करने के सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृति-ककार्य मंत्री (श्री हुमांयून कबिर)** : (क) जी, नहीं, परन्तु बहुभाषी शब्दकोश सम्बन्धी योजनाओं के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सार्वजनिक रोजगार (निवास सम्बन्धी अपेक्षायें) अधिनियम

†४२४९. { **श्री हेमराज :**
श्री रामौल :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक रोज़गार (निवास सम्बन्धी अपेक्षाएं) अधिनियम, १९५७ आगामी वर्ष १९६२ में समाप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस अधिनियम की अवधि को दस वर्ष और बढ़ा देने का विचार रखती है, क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों के व्यक्ति अभी तक प्रगतिशील क्षेत्रों के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं; और

(ग) क्या सरकार इसे पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू करने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"८ अप हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस की हाल की दुर्घटना जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और अन्य कई को चोटें आयीं ।"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सै० वें० रामस्वामी)** : १६ अप्रैल, १९६१ को करीब १२ बज कर २० मिनट पर जब हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस संख्या ८ अप दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-वाल्टेयर सैक्शन में कन्टाई रोड स्टेशन से गुजर रही थी, तो उसके कुछ सवारी डिब्बे डाऊन स्टार्टर सिगनल की सीढ़ी के बाहर निकले हुए हिस्से से टकरा गये । एक डिब्बे के कुछ यात्रियों को उसके परिणामस्वरूप गम्भीर चोटें आईं और एक यात्री ने खतरे की जंजीर खींच दी, जिससे गाड़ी रुक गई । एक व्यक्ति वहीं मर गया और २१ यात्री घायल हुए । उनमें से ७ यात्रिषों की चोटें मामली थीं और १४ की गंभीर । रेलवे सम्पत्ति को कोई विशेष हानि नहीं पहुंची ।

घायल व्यक्तियों की प्राथमिक चिकित्सा घटना-स्थल पर ही की गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के सरकारी इन्स्पैक्टर ने १८ अप्रैल को इस दुर्घटना की संविहित जांच की थी । उसकी रिपोर्ट अभी आने को है ।

*शेष वक्तव्य मैं सभा-पटल पर रख रहा हूं ।

(वक्तव्य का दूसरा पैरा इस प्रकार है--सम्पादक)

तीन व्यक्तियों को जिन्हें गम्भीर चोटें आई थीं, और ७ यात्रियों को, जिनकी चोटें मामूली थीं, उनके आग्रह पर यात्रा जारी रखने दी गई थी । उनकी देखभाल के लिये एक रेलवे डाक्टर उनके साथ गया था । गम्भीर चोटों वाले ११ यात्रियों को खड़गपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें से दो को उनकी अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है । शेष ९ की हालत सुधर रही है ।

कलकत्ता में बिजली की कमी के संबंध में वक्तव्य के बारे में

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : यह वक्तव्य सभा-पटल पर रखने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि अभी अभी मुझे जो सूचना मिली है वह इससे मेल नहीं खाती । सूचना है कि दुर्गापुर विद्युत स्टेशन ठीक हो गया है और वह आज से विद्युत-उत्पादन शुरू कर देगा । वक्तव्य में कहा गया है कि उसके ठीक होने में सप्ताह भर के करीब लग जायेगा । क्या मैं इस वक्तव्य में औपचारिक ढंग से संशोधन कर दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कल पुनरीक्षित वक्तव्य रख दें ।

†**श्री अ० चं० गुह (बारासात)** : यदि आज माननीय मंत्री मौखिक रूप से संक्षिप्त वक्तव्य दे दें और और कल पूरा पुनरीक्षित वक्तव्य रख दें तो ज्यादा अच्छा हो ।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री को अभी-अभी वह सूचना मिली है । उन्होंने सूचना भी बता दी है । कल पुनरीक्षित वक्तव्य से पूरी स्थिति का पता लग जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत ३० जून, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० २९०५/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर की गई सरकारी कार्यवाही

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्राक्कलन समिति की बानवें प्रतिवेदन के पैराग्राफ २८ में की गई सिफारिश के अनुसरण में, एक विवरण, जिसमें यह बताया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध वर्ष १९६० में किस हद तक कार्यान्वित किय गये, सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–२९०६/६१]

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियमों तथा विनियमों और उप-नियमों के नियम ७९(४) के अन्तर्गत उक्त परिषद् का वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९५९–६० के लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रविधिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० क्रमशः २९०७/६१ और २९०८/६१]

विधि आयोग के प्रतिवेदन

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) शासकीय न्यासधारी अधिनियम, १९१३ के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(दो) प्रन्यास अधिनियम, १८८२ के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

[पुरतकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० २९०९/६१ और २९१०/६१]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझ राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि राज्य-सभा ने अपनी २० अप्रैल, १९६१ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :—

(एक) कि राज्य सभा १ मई, १९६१ से आरम्भ हो कर ३० अप्रैल, १९६२ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की लोक-लेखा समिति से सम्बद्ध होने के लिये राज्य सभा से, सात सदस्य मनोनीत करने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और उसने राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भेजे गये हैं जो समिति के लिये निर्वाचित किये गये हैं :—

(१) डा० श्रीमती सीता परमानन्द

(२) श्री लालजी पेंडसे

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) श्री वी० सी० केशवराव

(४) श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

(५) श्रीमती सावित्री देवी निगम

(६) श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा

(७) श्री जयनारायण व्यास

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि वित्त विधेयक, १९६१ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं १७ अप्रैल, १९६१ को लोक-सभा में दी गई सूचना बाद दूसरी लोक-सभा के चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति निम्नलिखित विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

१. विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१;

२. उड़ीसा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६१; और

३. वित्त विधेयक, १९६१ ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में

†**श्रीमती मफीदा अहमद** :(जोरहाट) : मैं अपने एक प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहती हूं । आपने कहा था कि अलग-अलग मामलों को सभा में नहीं लिया जा सकता और यह भी कि सरकार प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य के लिये जितनी चाहे भूमि ले सकती है । लेकिन विदेशी मुद्रा भी तो प्रतिरक्षा के लिये उतनी ही महत्वपूर्ण है, और चाय से हमें बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न-काल में मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति समय की सुलभता को देखकर ही देता हूं । अब उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

यदि माननीय सदस्या को किसी उत्तर से संतुष्टि न हो, तो वह आधा घण्टे की चर्चा की अनुमति मांग सकती हैं । यदि वास्तव में अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं । लेकिन उसके लिये इस प्रकार कार्यवाही में अन्तरबाधा डालना उचित नहीं है ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

साथ में, मैं तेरहवें सत्र के दौरान १४ फरवरी से ३१ मार्च, १९६१ तक लगातार १५ दिन अथवा इससे अधिक समय तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के नामों की एक सूची सभा-पटल पर रखता हूं ।

विशेषाधिकार समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो २८ अप्रैल, १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

सभा ने २० अप्रैल को एक संकल्प पारित करके विशेषाधिकार-भंग का एक मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा था । समिति ने उसी दिन अपनी बैठक की थी और सम्पादक तथा संवाददाता को समिति के सामने २६ अप्रैल को ४ बजे पेश होकर अपनी सफाई देने की हिदायत दी थी ।

उसके उत्तर में श्री करांजिया ने लिखा था कि वह इन्फ्लुएंजा से बुरी तरह पीड़ित हैं । साथ में एक डाक्टरी सर्टिफिकेट भी था । अपने उत्तर में उन्होंने, समाचारपत्रों की स्वतंत्रता को संसद् की प्रतिष्ठा के समान ही महत्वपूर्ण बताते हुए, अनुरोध किया था कि उनको सफाई देने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये । सभा इससे सहमत हो गई और उसने सिफारिश की है कि उनको छः सप्ताह का समय दिया जाये । समिति ने अनुमति चाही है कि वह अगले सत्र के पहले सप्ताह तक अपना प्रतिवेदन दे सके । यह हुई सम्पादक की बात ।

उनके स्थानीय संवाददाता, श्री राघवन ने समिति को लिखा था कि सम्पादक ने सारा दायित्व अपने ऊ पर ले लिया है, इसलिये उनको इससे मुक्त किया जाये और यदि नहीं किया जाता तो उनको भी छः सप्ताह का समय दिया जाये । समिति ने यह ठीक नहीं समझा । उनसे समिति ने ५ मई को सफाई पेश करने के लिये कह दिया है ।

समिति ने इसीलिये प्रतिवेदन की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : विशेषाधिकार समिति एक न्यायाधिकरण की हैसियत रखती है । और न्याय का एक सर्व-स्वीकृत सिद्धान्त है कि यदि विचारणीय विषय समान हो तो उसका निर्णय एक ही मुकदमे द्वारा होना चाहिये । इसलिये सम्पादक और संवाददाता को अलग-अलग बुलाना उचित नहीं होगा । विशेषकर जब सम्पादक ने सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है ।

दूसरी चीज़ यह कि जब समिति को अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले सप्ताह तक देना है, तो फिर सम्पादक और सम्वाददाता को अलग-अलग बुलाने का कोई प्रयोजन भी नहीं रहता । उसका कोई लाभ भी नहीं ।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : विशेषाधिकार समिति की दैनिक कार्यवाही में सभा को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । समिति ने जो निश्चित किया है उसी के अनुसार चलने देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार हुक्म सिंह** : समिति देखना चाहती है कि श्री राघवन ने यहां से क्या संवाद भेजा था, और सम्पादक ने उसका क्या सम्पादन किया था । फिर संवाददाता दिल्ली में ही रहता है, इसलिये उसे बुलाने में कोई हानि नहीं । उसे छः सप्ताह का समय देने का कोई मतलब ही नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पता नहीं श्री नारायणकुट्टि मेनन वकील हैं या नहीं । दीवानी मुकदमों और फौजदारी के मुकदमों में फर्क होता है । दोनों में दायित्व निश्चित करने के लिये एक ही सिद्धान्त लागू नहीं किया जाता । दीवानी मामलों में मुख्य अपराधी ही सारे अपराध का उत्तरदायी होता है, लेकिन फौजदारी के मामलों में मुख्य अपराधी और उसके अभिकर्ताओं का दायित्व अलग-अलग माना जाता है । अभिकर्त्ता यह कह कर छुट्टी न पा सकता कि मुख्य अपराधी ने सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है । श्री राघवन ने एक सदस्य का मखौल बनाया है, और उसका दायित्व उनके ऊपर है ।

समिति के प्रतिवेदन में अन्तिम सिफारिश यह की गई है कि यदि अगले सत्र तक विशेषाधिकार समिति का पुनर्गठन किया जाये, तो पुनर्गठित समिति विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर विचार करे । लेकिन मैं समिति का पुनर्गठन नहीं करना चाहता । मैं इसी समिति को इस प्रश्न के लिये चलने दूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो २८ अप्रैल, १९६१ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आयकर विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मोरारजी देसाई द्वारा २७ अप्रैल, १९६१ को प्रस्तावित इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी कि आय-कर विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सरकार ने इस विधेयक में व्यवस्था की है कि फर्म का विघटन होने पर पूंजीगत आस्तियों के वितरण को छट दी जायेगी। समझ में नहीं आता कि ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है ।

दूसरी व्यवस्था यह है कि यदि सरकार को अदा की जाने वाली कर-राशि की अदायगी में विलम्ब हो, तो उस राशि पर छः महीने तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा । छः महीने की अवधि बहुत ज्यादा है । इसे घटाया जाना चाहिये ।

कभी-कभी यह भी हो सकता है कि कर देने वाले को यह भ्रांति हो कि उसकी आय का एक भाग, किसी कारणवश, कर से विमुक्त है । और हो सकता है कि वह इसी भ्रांतिवश पूरे कर की अदायगी न कर सका हो । इसलिये जब तक आय-कर निर्धारण न हो, तब तक उसकी अनियमितता के लिये कर दाता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । और ऐसी दशा में उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये ।

और यदि करदाता ने आयकर विभाग के सामने अपना पूरा लेखा पेश कर दिया हो, तो दूसरी बार, नये सिरे से उसकी आय-कर निर्धारण की अवधि ८ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नोतीर भरूचा]

उच्चन्यायालयों के निर्णय देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विवाद के मुख्य विषय बहुधा उनके पल्ले ही नहीं पड़ते । विधि आयोग ने इसी दृष्टि से अपीलीय न्यायाधिकरण को हटाने का सुझाव दिया है । इस पर गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिये ।

देश में करों की बकाया राशि बहुत अधिक बढ़ती जा रही है । आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिये जो प्रयास किये जायें, उनमें, उनकी प्रक्रिया में एकरूपता हो ।

जिन न्यासों के लक्ष्य दीर्घकालीन हैं, उनकी आय पर कर लगाने की व्यवस्था करने में सावधानी रखनी चाहिये । इसलिये कि ऐसी व्यवस्था से उनको कठिनाई पड़ सकती है । अच्छा तो यही रहेगा कि उसमें उचित संधोशन किया जाये ।

करदाताओं के आय-व्यय सम्बन्धी विवरण के प्रपत्र जुटाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । इसके लिये विभाग को चाहिये कि मांग करने पर तुरंत फार्म भेज दे । सरकार को आयकर विभाग को ऐसी हिदायत देनी चाहिये ।

जुर्माना देने के बाद भी मुकदमा चलाने की जो व्यवस्था है, उसमें सावधानी की जरूरत है । यह नहीं है कि आय-कर की गैर-अदायगी के सभी मामलों में करदाता की ही ओर से चूक होती हो ।

कर-अपवंचना के लिये दण्ड की जो व्यवस्था है, उसकी व्यावहारिकता बिल्कुल खरी नहीं कही जा सकती । लेकिन कोई और चारा भी नहीं ।

आशा है प्रवर समिति मेरे इन सुझावों के अतिरिक्त ऐसी ही अन्य बातों पर भी विचार करेगी ।

†**श्री संघी** (नागौर): इस आय-कर विधेयक का सभा तथा सभा के बाहर सभी जगह बड़ा हार्दिक स्वागत किया गया है । इस विधेयक ने बड़े प्रतिग्रामी परिवर्तन किये हैं । इस विधेयक के प्रस्तुत करने के तीन मुख्य उद्देश्य हैं । पहला उद्देश्य तो यह है कि यह करदाता तथा आयकर विभाग के बीच अच्छे सम्बन्धों की स्थापना करता है दूसरे आय-कर मशीनरी के प्रशासन के लिये अच्छी प्रक्रिया की व्यवस्था करता है और तीसरे यह करापवंचन को रोकने तथा आय-कर को न देने आदि बातों को रोकने में सहायता करता है । प्रवर समिति से लौट आने के बाद देश में लगाये जाने वाले प्रत्यक्ष कर के इतिहास में यह एक ठोस कदम सिद्ध होगा । सरकार द्वारा करदाताओं को धन लौटाने के लिये जो ६ महीने की अवधि रखी गई है वह अधिक है । धन इससे जल्दी लौटाया जाना चाहिये । कभी कभी तो धन लौटाने के मामले वर्षों तक पड़े रहते हैं । धन जल्दी लौटाने से देश की जनता में विश्वास की भावना बढ़ेगी ।

तृतीय योजना का काम तेज़ी से बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि कर की मात्रा बढ़े । आय-कर विभाग के बारे में जनता के दिमाग में कुछ भय है । इसलिये मेरा विचार है कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत लोगों को करदाताओं की कठिनाइयों के बारे में कुछ जानकारी कराई जानी चाहिये । आय-कर अधिकारियों को करदाता की कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये । प्रशासन के कार्य में तेजी लाना आवश्यक है । इस समय स्थिति यह है कि करदाता आयकर कानून की बारीकियों को समझ नहीं पाते जिसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती

†मूल अंग्रेजी में

है। दरअसल लोग कर से बचना नहीं चाहते लेकिन विभागीय अफसरों द्वारा परेशान किये जाने से ही लोग कर से बचने का प्रयत्न करते हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने त्यागी समिति की बहुत सी सिफारिशों को मान लिया है। पहली सिफारिश तो यह थी कि अपीलीय सहायक आयुक्त का कार्यालय वित्त मन्त्रालय के अधीन नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि अपीलीय आयुक्त विधि मन्त्रालय के अधीन रहना चाहिये इससे जनता में एक प्रकार से विश्वास की भावना बढ़ेगी। इसलिये मैं वित्त मन्त्रालय से निवेदन करता हूं कि वह त्यागी समिति की मूलभूत सिफारिशों को स्वीकार कर ले। मैं तो यहां तक सुझाव दूंगा कि सहायक अपीलीय आयुक्त का कार्यालय समाप्त कर दिया जाये और उसके स्थान पर बहुत से न्यायाधिकरण खोले जायें तो करदाताओं को अपने स्थानों के निकट न्याय मिल सकेगा।

[**श्री जगन्नाथराव** पीठासीन हुए]

करापवंचन तथा कर न देने से सरकार को हानि होती है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि कि अगर कर नहीं दिया जाता है तो उसे करापवंचन ही माना जाये। और करापवंचन को कम से कम किया जाये। इस विधेयक के अनुसार हिसाब की बहियां १६ साल तक रखी जानी चाहियें जबकि समवाय अधिनियम १९६० के अन्तर्गत आठ वर्ष तक रखना पर्याप्त है। इन दोनों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिये और १६ वर्ष की अवधि कम की जानी चाहिये। जहां तक धर्मार्थ न्यासों की बात है मेरा सुझाव है कि उन्हें किसी प्रकार का व्यापार न करने दिया जाये और उनकी निधि का किसी भी व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विनियोजन रोक दिया जाये।

भारतीय अधिनियम में 'रजिस्टर्ड फर्म' जैसी कोई बात नहीं है। आय कर अधिनियम में भी रजिस्टर्ड फर्म का उल्लेख न किया जाये। नाबालिगों को भागीदार की हैसियत से व्यापार में शामिल न किया जाये। भवनों के निर्माण के लिये $^{1}/_{6}$ भाग मरम्मत के लिये रखा गया है अब उसे बढ़ा कर अधिक कर देना चाहिये। आशा है कि वित्त मन्त्री इस बारे में विचार करेंगे। जनता में ऐसी भावना उत्पन्न की जानी चाहिये कि यह कर जो लिया जाता है वह उनकी भलाई के लिये है अतः करापवंचन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : यह विधेयक आयकर विधि में मूल परिवर्तन करने के लिये नहीं है बल्कि एक अच्छी प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। मेरा निवेदन है कि प्रशासकीय व्यवस्था में समुचित सुधार किया जाना चाहिये। बड़े उद्योगपति और पूंजीपति राजनैतिक दबाव डालकर किसी प्रकार की रियायत न ले सकें इस बात का ध्यान रखा जाये। इस समस्या निवारक दण्ड की व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है। जो लेखा-परीक्षक करदाताओं को करापवंचन में सहायता दें उनके नाम अयोग्य व्यक्तियों की सूची में दर्ज किये जायें। प्रवर समिति से मेरा निवेदन है कि वह करापवंचन करने वालों को कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था करे। राजे महाराजाओं की निजी थैली पर कर लगाने के बारे में संयुक्त समिति विचार करे।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : कुछ समवाय ऐसे हैं जो काम तो कहीं और करते हैं और उनके मुख्यालय कहीं और हैं। परिणाम यह होता है कि जिन राज्यों में मुख्यालय होते हैं उन को तो लाभ हो जाता है और जिन राज्यों में ये समवाय काम करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। अतः मेरा निवेदन है कि पिछड़े राज्यों में काम करने वाले समवायों के मुख्य कार्यालय बाहरी बड़े शहरों में रहें तो इसके फलस्वरूप ये राज्य आय-कर संग्रह में से अपना उचित अंश प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर प्रवर समिति विचार करेगी। मैं विधि आयोग का भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस बारे में अमूल्य सेवा की है।

सबसे पहले मैं करापवंचन की बात लेती हूं। जिन देशों में कराधान की व्यवस्था है उन सब में न्यूनाधिक रूप मात्रा में करापवंचन होता है और हम उनके अनुभव से यह सीखने की कोशिश करेंगे कि कराधान की कमियों को किस प्रकार दूर किया जाये। यह बात ठीक है कि विश्व के किसी देश में कभी भी करापवंचन बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ। जहां तक अपने देश की बात है हमारे देश में भी करापवंचन है लेकिन करापवंचन उतना नहीं है जितना कि सदस्यों ने बताया है। त्यागी समिति ने अधिक अच्छे कराधान, बकाया करों की वसूली और करापवंचन के लिये भारी जुर्माने के बारे में जो सिफारिशें की हैं उन पर प्रवर समिति में सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस समिति की अधिक सिफारिशें भी विचाराधीन हैं। सरकार ने करापवंचन का पता लगाने की व्यवस्था का पर्याप्त विकास किया है और प्रशासकीय व्यवस्था में समुचित सुधार कर दिया है। इस क्षेत्र में सरकार की सफलता कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है। विभाग के अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि वे करदाताओं के साथ यथाशक्य नम्रता से पेश आयें। बकाया करों कि वसूली की समस्या की ओर समुचित ध्यान दिया गया है। सभी प्रत्यक्ष करों के मामले में कठिनाई यह है कि कराधिकारी आय के अर्जन के एक साल बाद ही कुछ कार्यवाही कर पाते हैं। इससे करदाताओं को तथ्य छिपाने का मौका मिल जाता है। विभाग को किसी करदाता के बारे में प्राप्त जानकारी की पुष्टि कई सूत्रों से करनी होती है जिसमें कुछ समय लग जाता है। इस अवधि को कम करने के लिये कोशिश की जा रही है और सरकार द्वारा धन लौटाने में अधिक विलम्ब हुआ तो उसे ब्याज देना होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने बेनामी अस्तियों की समस्या को हल करने के बारे में चिन्ता प्रकट की है। मेरा निवेदन है कि इसको हल करने के लिये इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है। यह शिकायत किसी हद तक सही है कि एक राज्य की आय अक्सर किसी दूसरे राज्य के नाम में बता दी जाती है किन्तु किसी व्यवसाय के हिसाब किताब के लिये एक मध्यवर्ती कार्यालय का होना भी उतना ही वांछनीय हो जाता है और इसके कारण यह कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। श्री नायर ने जांच आयोग के मामलों के बारे में भी पूछा है जिनके बारे में ३ निर्णय किये गये थे। मैं बता देना चाहती हूं कि तीन निर्णय नहीं बल्कि चार निर्णय थे।

यह भी कहा गया है कि योजना की परियोजनाओं पर खर्च बढ़ने के बावजूद भी हमारी कर आय में कमी होती जा रही है। ध्यान रहे कि युद्ध के बाद के वर्षों में जो कर वसूली हुई है उसमें काफी धन युद्ध के दौरान में कमायी गई आय पर अतिरिक्त लाभ कर के रूप में वसूल किया गया था। उन निर्धारणों के पूर्ण हो जाने के बाद १९५१ के बाद से राजस्व में क्रमशः कमी होती गई। राजस्व की कमी का एक कारण यह भी रहा है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये आरम्भ की अवस्था में हम कुछ कर छट देते रहे। पर उसके बाद १९५५–५६ से राजस्व में बढ़ोत्तरी होने लगी और ६ वर्षों में १०४ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी। यह भी पूछा गया है कि भारत में पति और पत्नी पर अलग अलग-अलग कर क्यों लगाया जाता है जबकि ब्रिटेन में दोनों को अपना संयुक्त आय-व्यय विवरण देना पड़ता है। कहा जाता है कि भारतीय प्रणाली के फलस्वरूप करापवंचन होता है क्योंकि पति अपनी सम्पत्ति या आय अपनी पत्नी या अल्पायु बच्चों को हस्तान्तरित कर देता है। परन्तु हमें अपने नियम तथा विनिमय भारत में विद्यमान स्थितियों के अनुसार बनाने होंगे। इस अधिनियम में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी आय अपनी पत्नी आदि को हस्तान्तरित कर देता है तो उसे उसकी आय में ही सम्मिलित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध को ब्याज सम्बन्धी उपबन्ध के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिये। ब्याज तो कुछ निर्धारित समय के बाद और आय कर पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के बढ़ाये जाने के बाद भी प्राप्त होता रहेगा, पर दण्ड तो करदाता को तभी दिया जायेगा जबकि वह निर्धारित समय के बाद भी कर नहीं देता। जहां तक राज्यों को बांटे गये धन का सम्बन्ध है, यह विषय वित्त आयोग के विचाराधीन है और वह निश्चय ही वितरण की समग्र प्रणाली की जांच करेगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। क्योंकि इस सम्बन्ध में भूतपूर्व वित्त मंत्री जी सी० डी० देशमुख पहले ही बता चुके हैं। वसूली का व्यय बढ़ गया है यह आरोप आंकड़ों से प्रमाणित नहीं होता। वास्तव में वसूली का व्यय कम हो गया है, यह व्यय ढाई प्रतिशत से भी कम है।

अंत में मैं निवेदन करूंगी कि सभा इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आय कर और अधिकर सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को श्री आचार, श्री सुब्बया अम्बलम, श्री अमजद अली, श्री प्रेमजी आसर, श्री बहादुर सिंह, श्री प्र० चं० बरुआ, श्री द० र० चावन, श्री श्रीनारायणदास, श्री मूलचन्द दुबे, श्री म० ला० द्विवेदी, श्री द० अ० कट्टी, श्री कुन्हन, श्री भावसाहिब रावसाहिब महागांवकर, श्री मैथ्यु मणियंगाडन, श्री मो०रु० मसानी, श्री नारायणन् कुट्टि मेनन, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री च० द० पांडे, श्री नवल प्रभाकर, श्री राम शंकर लाल, श्री शिवराम रंगो राने, श्री जगन्नाथराव, श्री क० ब० रामकृष्ण रेड्डी, श्री अ० कु० सेन, श्री लैसराम अचौ सिंह, डा० रामसुभग सिंह, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री राधे लाल व्यास तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों की भूमि के काश्तकारों को सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

दिल्ली नगर क्षेत्र ५० गांवों तथा २० गांवों के कुछ भागों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लगभग ४००० एकड़ कृषि भूमि है। काश्ताकरों की कुल संख्या १७०० है। जिनमें से १२०० काश्तकार ऐसे हैं जिनका भूमि पर अधिकार नहीं है। चूंकि अभी तक पूर्ण नगरीकरण नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार ने अभी तक सारी भूमि अर्जित नहीं की है अतः जब तक सारी भूमि का अर्जन सरकार विधिवत् नहीं कर लेती तब तक इस क्षेत्र के काश्तकारों को कुछ अधिकार मिलने चाहिये अर्थात् उन्हें कुछ सहायता दी जानी चाहिये। दिल्ली का विकास तेजी से हो रहा है और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

यहां पर कहा गया है कि भूमि के मूल्य बढ़ रहे हैं, उसका सट्टा भी हो रहा है और मकान बनवाने तथा अन्य कामों के लिये सरकार को अधिक भूमि अर्जित करनी चाहिये। अतः गत वर्ष दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने एक अधिसूचना निकाली कि सरकारी प्रयोजनों के लिये अन्ततोगत्वा लगभग ३४०० एकड़ भूमि अर्जन किया जायेगा। सभी भूमि तुरन्त ही नहीं बल्कि धीरे धीरे करके अर्जित की जायेगी। जैसा कि मैं पहले पता चुका हूं शुरू में प्रथम कार्यवाही के रूप में ८००० एकड़ भूमि अर्जित की जायेगी।

जहां तक काश्तकारों को सहायता देने का प्रश्न है यह दो प्रकार की सहायता होगी। यह सहायता नगरीय क्षेत्रों में कृषि वाली भूमि के मालिकों को दी जायेगी। जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, बेदखली रोकने के लिये कोई कानून नहीं है। १९ मामलों में न्यायालय की मार्फत बेदखली हो चुकी है, ४७७ मामलों में आपसी तौर पर बेदखली हो चुकी है और ७८ मामले अभी न्यायालय के सामने विचाराधीन हैं। अतः सरकार चाहती है कि उनकी बेदखली के विरुद्ध कुछ सहायता दी जाये। विधेयक में सरकार ने यह उपबंध किया है कि काश्तकार अपनी उपज का $^{1}/_{5}$ भाग तक ज़मींदार को लगान देगा। विधेयक में यह भी उपबंध किया गया है कि उसमें उल्लिखित कुछ आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर किसी भी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकेगा। भूमि सुधार अधिनियमों जिन धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है उनके मामले में लगान की मात्रा निर्धारित करके हमने उनके हितों को सुरक्षित कर दिया था। अब हमने उन्हें एक अन्य रियायत यह भी दी है कि यदि सचमुच में उन्हें भूमि की जरूरत हो कृषि के अलावा अन्य किसी काम के लिये, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तो वे अपनी भूमि का कब्जा ले सकती हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने धार्मिक और पूर्त संस्थाओं के बारे में संशोधन दिए हैं। एक सुझाव यह भी है कि इन संस्थाओं की भूमि पर यह विधेयक लागू न हो। यदि ऐसा कर दिया जाय तो कृषकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं सदस्यों का ध्यान उप-खंड (२)(क) के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। इसके अनुसार इन्हें कुछ विशिष्ट हैसियत प्रदान की गयी है। कभी कभी धार्मिक संस्थाओं को वस्तुतः भूमि की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए ऐसी संस्थाएं खेती से भिन्न प्रयोजनों के लिए भी भूमि ले सकती हैं।

धार्मिक संस्थायें खुद तो खेती कर ही नहीं सकतीं। खेती तो उन्हें मजदूरों से ही करानी होगी। अतः दो चीज़ों या शर्तों के अधीन जमीन कृषक ही के पास ही रहेगी और उन्हें बेदखल नहीं किया जायगा। भारक का नियंत्रण विधिवत होगा।

कृषक के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया है और उस के साथ ही धार्मिक संस्थाओं के हितों की भी पूरी रक्षा की गयी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: यदि संस्थाओं को भूमि खेती के लिए चाहिए तो कृषक को बेदखल क्यों किया जाय।

†**श्री दातार**: वास्तव में धार्मिक संस्थायें खुद खेती नहीं कर सकतीं, खेती तो उन्हें करानी पड़ती है पर कभी कभी उन्हें किसी और प्रयोजन के लिए भी भूमि की जरूरत पड़ जाती है। इस कारण यह विशेष छूट दी गयी है। यह छूट धार्मिक संस्थाओं के हित के लिए ही दी गयी है। यह छूट भी इस कारण दी गयी है कि क्षेत्र नगरीय हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३(२) (ख) अपंग व्यक्तियों के बारे में है। उनके बारे में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि उन्हें अपने प्रयोजन के लिए या दूसरे मकान बनाने के प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता हो। परन्तु अपंगत्व या अभाव की स्थिति इस कानून में तब समाप्त हो जायगी जब कि यदि वह विधवा हो तो पुनर्विवाह कर ले, यदि अल्पायु का हो जब यह व्यस्क हो जाय आदि आदि।

यह सारी रियायतें नगरीय क्षेत्रों के कारण दीं गयी हैं। इसके पश्चात् खंड ४ भी विशेष प्रकार का खंड है। इसके द्वारा भी कृषकों को बेदखली से परित्राण मिलेगा। यदि बेदखली के बाद मालिक एक वर्ष तक उस प्रयोजन की पूर्ति नहीं करता तो भूमि फिर से उसी व्यक्ति को दे दी जायगी जिससे यह ली गयी थी। इसके बाद मैं खंड ६ पर आता हूं। इसके अनुसार कृषक द्वारा देय भाटक की मात्रा उत्पादन के पांचवें भाग से अधिक न होगी। यह भी कृषकों को काफी बड़ी सुविधा है।

इसके परिणामस्वरूप कई एक अधिनियमों का निरसन होना है। खंड ९ वैसा ही खंड है। जब दिल्ली प्रान्त बनाया गया तो कुछ भूमि पंजाब से और कुछ उत्तर प्रदेश से ली गयी थी। इस अधिनियम के बाद पंजाब कृषक अधिनियम और आगरा कृषक अधिनियम की आवश्यकता नहीं रहती। अतैव उनका निरसन किया जाना है। इस प्रकार दिल्ली के कृषकों को सहायता देने के लिए ही यह अधिनियम बनाया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : इस विधेयक से कृषकों को जो आराम मिलेगा वह अस्थायी होगा। परन्तु इस पर भी हम इसका स्वागत करते हैं।

खंड (३) में कृषक की सुरक्षा की थोड़ी व्यवस्था है पर अन्य खंडों की सहायता से उसे अच्छी तरह से बेदखल किया जा सकता है। जब एक बार किसी को बेदखल कर दिया जाय तब उसे वापस कभी कब्जा नहीं मिल सकता। मैं नहीं समझता कि जब किराये या भाटक की वसूली कृषक की सम्पत्ति से हो सकती है तब उसे बेदखल क्यों आवश्यक है।

सरकार धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बड़ी उत्सुक दिखाई पड़ती है। हस्पताल खोलने या कोई इसी प्रकार का छोटा मोटा काम करने के बहाने से कृषकों को बेदखल किया जा सकता है। यह कैसा न्याय है। यह संस्थायें धार्मिक हैं अमे इन्हें धर्म का काम करना चाहिए। सब से पहले तो इन्हें अपने कृषकों से ही धर्म का व्यवहार करना चाहिए।

इससे तो और भी खतरा पैदा हो सकता है। कल्पना करो कि यदि कोई व्यक्ति किसी कृषक को बेदखल करना चाहता है तो वह अपनी भूमि को धार्मिक संस्था को देकर ऐसा कर सकता है।

इसी प्रकार खंड ३(२) में भी जो व्यवस्थायें हैं उन से भी कृषकों के हितो पर कुठाराघात होगा। केवल गाय के लिए तबेला बनाने पर ही कृषकों को बेदखल कर देना न्याय की बात नहीं है।

अब दिल्ली का विकास हो रहा है और भूमि की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ऐसे हालात में जब किसी कृषक को बेदखल करके मालिक उस भूमि का विक्रय करता है तो उससे कृषक को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। सारा फायदा मालिक ही को रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

इसमें कृषक का हिस्सा भी होना चाहिए। इन बातों को देखते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि विधेयक को दोबारा तैयार किया जाय ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का निराशाप्रद और उत्साहहीन बिल इस सदन में आयेगा और सन् १९६१ में गृह मंत्री महोदय द्वारा लाया जायगा, इसकी आशा नहीं की जा सकती थी । जब सारे हिन्दुस्तान में आज नहीं, आज से दस या बारह साल पहले जमीदारियां खत्म कर दी गईं तो सन् १९६१ में गृह मंत्री महोदय एक बिल लाते हैं जिसमें जमीदारियों जैसी चीज को खत्म करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । सिर्फ कहते यह हैं कि हम किसानों को कुछ रिलीफ देने जा रहे हैं । एक तो यह कि जो उसका उत्पादन है खेती का, उस के १।५ से ज्यादा उसका रेंट नहीं होगा और दूसरे यह कि कुछ खास मामलों में उसे बेदखल नहीं किया जा सकेगा, यद्यपि इसमें जो व्यवस्थायें हैं उनसे हमें पता लगता है कि बहुत ऐसे मामले हैं जिनमें उसे आज फिर भी बेदखल किया जा सकता है ।

मुझे आश्चर्य है कि योजना के नाम पर, विकास के नाम पर, किस प्रकार से उन लोगों को जिनका धन्धा खेती रहा है, जो खती से अपनी जीविका पैदा करते रहे हैं, उनको बरबाद किया जा रहा है । दिल्ली में योजना के नाम पर तथा दिल्ली के विकास के नाम पर सरकार ने किसानों को न सिर्फ दूसरों को बरबाद करने दिया, जिनको कालोनाइजर या कालोनी के मालिक कहा जाता है, उनके द्वारा बल्कि सरकार ने खुद उनको बरबाद करने की कोशिश की, वह आज भी उनको बिगाड़ने में लगी हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून के द्वारा यही होने को है, इस के अलावा कुछ नहीं । अभी हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा कि सिर्फ ४,००० एकड़ जमीन ऐसी होगी जिस पर इस बिल का प्रभाव पड़ेगा । लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि पिछले दिनों जो ४७७ केसेज ऐसे हुए जिनमें जमींदारों और किसानों ने आपस में समझौता करके किसानों को बेदखल करा दिया और उन ९० केसेज में जिनमें कि अदालत द्वारा किसानों को जमींदारों ने बेदखल करा लिया है, इस बिल का कितना असर पड़ेगा ।

आखिर दिल्ली में भूमि की बहुत कमी है । पिछले दस सालों के अन्दर कहीं कहीं पर उसकी कीमत ५०० गुनी और कहीं कहीं पर १००० गुनी हो गई है और इस कीमत का फायदा सिर्फ उसको मिला जो सफेद कपड़े पहनना जानता है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसा है । दिल्ली के विकास के नाम पर यह उन लोगों की बरबादी है जो यहां के पुश्तैनी बाशिन्दे रहे हैं । आखिर जो दिल्ली के पुश्तैनी निवासी हैं या जो खेत जोतने वाले लोग हैं, दिल्ली के विकास का कुछ फायदा उनको भी तो पहुंचना चाहिये । दिल्ली के विकास के माने यह नहीं होने चाहियें कि बाहर से लोग आकर जमीन का सारा फायदा अपने हित में उठा ले जायें ?

मुझे आश्चर्य होता है, यह सरकार कहती है कि उसने जमीदारियां खत्म कर दी हैं, सरकार कहती है कि वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहती है, समाजवाद बनाना चाहती है, लेकिन सरकारी सीटों के नीचे दिल्ली में जमीदारी पनप रही है और पूंजीवाद पनप रहा है, और दूसरी चीजें पनप रही हैं । सरकार कहती है कि वह समाजवाद कायम करने जा रही । अगर समाजवाद का यही नक्शा है तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे हिन्दुस्तान की जनता प्रभावित नहीं नहीं होगी । इस से दिल्ली के किसान बरबाद ही हो सकते हैं, आबाद नहीं हो सकते । तब आखिर क्या किया जा सकता है ? मुझे आश्चर्य होता है कि जब बिल पेश करने गृह मंत्री महोदय आते हैं तो उनके पास कुल आंकड़े नहीं हैं कि जब खेत लिये जायेंगे तो उससे आखिर कितने लोगों पर

प्रभाव पड़ने वाला है । जो दिल्ली का विकास करना है उस के नाम पर जिन किसानों से जमीन छीनी जा रही है, उस विकास का कुछ पैसा उन किसानों को भी मिलने वाला है या नहीं । उदाहरण के लिये इस सदन में बार बार चर्चा की गई उस ३४,००० एकड़ जमीन के बारे में, जिसको दिल्ली प्रशासन ने लेने के लिये नोटिफाई किया हुआ है, और जिस के लिये कहा जाता है कि उसे जनहित में लिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली का विकास करना है । छोटे छोटे लोगों के लिये मकान बनेंग, अलग कालोनी बनेगी, सरकारी दफ्तर बनेंगे, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं मानता हूं कि जहां इस तरह के विकास कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर जमीन चाहिये ही । लेकिन जब जमीन चाहिये तो यह सोचना चाहिये कि जिसकी जमीन वह है, उस को भी जो विकास हो रहा है, जो लाभ मिल रहा है, क्या उस लाभ का कोई हिस्सा दिया जा रहा है या नहीं । मुझे लगता है और इस पर मेरी मूल आपत्ति है कि जिधर आज विकास योजनायें चल रही हैं, दिल्ली या दूसरी जगहों में कारखाने बनाने के लिये आप जहां किसानों की जमीन ले लेते हैं उनको आप मुआवजा देते हैं सन् १८९२ के लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक जिसमें कहा गया था कि किस तरह मुआवजा दिया जायगा, लेकिन जिन जमीनों को आप डेवलप करने के लिये कहते हैं और कहते हैं कि हम उनका विकास करेंगे, उन से आप खुद मुनाफा उठाते हैं या दूसरों को मौका देते हैं, जिन को कालोनाइजर कहा जाता है । यह न सिर्फ दिल्ली में या दूसरी जगहों में ही हो रहा है बल्कि वहां भी हो रहा है जहां पर स्टील प्लांट लगाये जा रहे हैं, जहां राज्य का बहुत सा धन पब्लिक सैक्टर उद्योगों में लग रहा है । उन उद्योगों के लिये जो जमीन ली जाती है उसका फायदा किसानों को नहीं पहुंचता है, दूसरे लोगों को, जो बीच में आते है, उन को पहुंचता है । मैं मानता हूं कि किसानों को नाजायज फायदा मिलने का मौका नहीं होना चाहिये क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और चूंकि राजधानी होने के नाते उसका विकास हो रहा है इस लिये किसानों को अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह अपनी जमीन का नाजायज पैसा लें, लेकिन नाजायज फायदे की बात तो दूर रही है, उनको जायज पैसा मिल सके, इसकी कोई व्यवस्था क्या सरकार की ओर से की जा रही है ? मुझ अफसोस होता है कि इस तरह की कोई व्यवस्था इस बिल में नहीं है । जब ३४,००० एकड़ जमीन के लिये जाने की घोषणा की गई थी तब इस बात को कहा गया था कि जो कुछ भी हो रहा है, जिनकी जमीन ली जा रही है, उनको उस का पैसा दिया जायगा, और उसका कुछ हिस्सा किसान को भी चाहिये । कहा गया कि शहर के विकास के लिये जिनके मकान हम लेंगे उन मकानों के लिय उन को मुआवजा देंगे । यह चीज तय करके सुनाई गई । लेकिन जब किसानों से हम जमीन लेंगे तो उनका मुआवजा सन् १८९२ के लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक तय करेंगे । जैसे मुआवजा तय किया जायगा सन् १९६१ मे उस की व्यवस्था सन् १८९२ के कानून के अनुसार की गई है । मैं कहना चाहता हूं कि यह किसान के साथ घोर अन्याय है जिसकी किसानों को जानकारी नहीं है । किसान आज इस चीज को समझते नहीं हैं क्योंकि वे राजनीतिक रूप से जागृत नहीं हैं, और इसलिये वे इसका विरोध नहीं कर सकते । लेकिन जब वे जागृत होंगे, जब उनको इस तरह की शिक्षा मिलेगी, तो वे यह महसूस करेंगे कि इस देश के अन्दर इस वक्त की सरकार ने कितने कार्य उनके खिलाफ किये थे । मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में भी इस तरह के अन्यायपूर्ण क्लाज हैं । आखिर हम इस विधेयक में क्या व्यवस्था करना चाहते हैं । इस बिल की जो धारा ३(१)(ए) है उस में कहा गया है :

> "उसके लिये आज्ञप्त अवधि की समाप्ति के बाद भूमि के बारे में बकाया रकम की डिगरी अपूर्ण रहती है ।"

अभी जब हमारे मित्र श्री वारियर बोल रहे थ इस विधेयक पर तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं । मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या हिन्दुस्तान में कोई भी इस तरह का

[श्री ब्रजराज सिंह]

कानून है कि लगान न देने पर, मालगुजारी न देने पर, देश के किसी भी हिस्से में किसान को बेदखल किया जा सकता है ? मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी हिन्दुस्तान में आज किसान लगान या मालगुजारी न देने की वजह से बेदखल नहीं किया जा सकता । इसके लिये आप उसकी फसल कुर्क कीजिये, उसका घर कुर्क कीजिये, उसकी भैंस कुर्क कीजिये, उसका बैल कुर्क कीजिये लेकिन इसके लिये वह अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जायगा ऐसा कोई कानून हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है । लेकिन दिल्ली में यह है कि अगर लगान या मालगुजारी न दे और डिग्री अनसैटिसफाइड रहे तो उसे बेदखल कर दिया जाए । यह घोर प्रतिक्रियावादी व्यवस्था है और इस प्रकार की व्यवस्था कम से कम अप्रैल, १९६१ में तो नहीं की जानी चाहिए जब कि दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है और लोग चन्द्रमा में पहुंच रहे हैं । आज ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए कि अगर कोई किसान लगान या मालगुजारी न दे तो उसको बेदखल किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि आज ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, और वह भी दिल्ली में जहां आज जमीन की कीमत इतनी बढ़ रही है । अगर यहां कानून में इस तरह की व्यवस्था होगी तो अदालत से डिग्रियां ली जाएंगी उनका किसान को पता भी न हो पाएगा यह भी दिखा दिया जाएगा कि वह अनसैटिसफाइड रही और इस तरह किसान को बेदखल कर दिया जाएगा ।

उन ४७७ मामलों में जिनके लिए यह कहा जा रहा है कि किसान और लैंडलार्ड में समझौता हो गया है, मैं समझता हूं कि किसानों को धोखा दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में किसान की अशिक्षा, अज्ञान, असंगठन और कमजोरी का फायदा उठाया जाता है जिनके पास पैसा है शक्ति है वह इस तरह से फायदा उठाते हैं ।

अब आप देखें कि धारा ३(१)(डी) मे कहा गया है :

"उसने भूमि का इस्तेमाल इस ढंग से किया है कि जिस काम के लिए भूमि दी गयी है वह उसके योग्य नहीं रही ।"

अगर उसने कहीं अपनी मड़ैया अपना घर बनाने के लिए एक छोटा सा भट्टा बना लिया तो उससे एक गड्ढ़ा हो जाएगा और इसलिए उतनी जमीन खेती के योग्य नहीं रहेगी, तो इसी बात पर उसे बेदखल किया जा सकता है । अगर वह ऐसा करता है तो इसके लिए आप उसको सजा दें यह अलग बात है, लेकिन उसको बेदखल किया जाए इस पर तो आज विचार भी नहीं किया जा सकता । खास तौर से दिल्ली में जहां आज जमीन की इतनी कीमत है उसको इस तरह से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए ।

इसके बाद हम देखते हैं कि गृह मन्त्री महोदय ने धार्मिक संस्थानों के लिए बड़ा प्रेम व्यक्त किया है । धारा ३ (२) ए० में कहा गया है :

"जहां भूमिदार धार्मिक संस्था है वहां वह अपने उद्देश्यों को बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि को वास्तविक जरूरत के लिये ले सकती है ।"

और इन आबजेक्टस की कोई व्याख्या नहीं की गयी है । हो सकता है कि कोई धार्मिक संस्थान आने वाले यात्रियों के लिए होटल बनाना चाहे और उसके लिये जमीन को लेना चाहे तो वह ले सकेगा और किसान को बेदखल किया जा सकेगा । और ऐसा करना उस धार्मिक संस्थान के आबजेक्टस के फरदरेंस के लिये होगा । इस चीज को रोकने के लिये गृह मंत्री महोदय क्या व्यवस्था करेंगे क्योंकि उन्होंने उन आलजेक्ट्स की हरिभाषा नहीं की है । और दिल्ली में अनेक ऐसी बातें हो सकती हैं कि दिल्ली के

विकास के नाम पर किसान से जमीन ले ली जाए। लेकिन इस चीज को गोल छोड़ दिया गया है। मैं तो कहना चाहूंगा कि किसी धार्मिक संस्थान को इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये किसी किसान को उसकी जमीन से बेदखल कर सके। अगर वह संस्थान अपने उद्देश्य को बढ़ावा देना चाहता है तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके वैसा करे न कि किसी किसान को उसकी जमीन से बेदखल करके किसी धार्मिक संस्थान को ऐसा अधिकार देने की बात सोची भी नहीं जा सकती।

आगे कहा गया है :

"यदि भूमिदार अभाव पीड़ित हो तो वह सदभावी प्रयोजन के लिये भूमि की मांग कर सकता है।"

अगर इस तरह की व्यवस्था इसमें कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से सौ में से सौ केसों में ऐसा होगा कि जमींदार कहेगा कि अब मैं डिसेबिल्ड नहीं रहा हूं और अब मुझे जमीन वापस की जाए। इसका नतीजा यह होगा कि किसान जो कि नंगे पैरों घूमता है, जो घुटनों से ऊपर की धोती कांछता है और अपने सिर से अपनी फटी धोती लपेटता है वह इस बात को समझ नहीं पाएगा और लैण्डलार्ड जो कि डिसेबिल्ड था वह इस व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाएगा। अगर वह शुरू में डिसेबिल्ड न होता और अपनी जमीन उठा देता तो उसको वापस लेने का अधिकार न होता, लेकिन डिसेबिल्ड होने की वजह से उसको यह अधिकार दिया जा रहा है। मेरी समझ में यह मुनासिब नहीं है।

आगे चल कर आप कहते हैं :

"सदभावनापूर्ण कारणों के आधार पर"

लेकिन सिर्फ खेती की ही बात नहीं है, आगे आप यह भी कहते हैं :

"अथवा मकान बनाने के लिये।"

अब जहां तक डवेलिंग हाउस का सवाल है, वह तो इतना बड़ा भी बन सकता है जितना बड़ा कि अमरीकन एमबेसी है। यही नहीं इसके आगे आप यह भी कहते हैं कि यह जमीन कैटिल शैड या बिजनेस प्रेमिसेज़ के लिये भी ली जा सकती है। ऐसा भी तो कहा गया है।

अब यह बिल पास हो रहा है तो इसके पास होने के दो साल के अन्दर यानी सन १९६१ और १९६२ में वह लैण्डलार्ड इस प्रकार की कार्यवाई कर के किसान को बेदखल करवा सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के और राज्यों में जमींदारी को आज से दस बारह साल पहले खत्म किया जा चुका है। लेकिन सिर्फ उन प्रदेशों में आप उसको कायम किये हुए हैं जहां आप बैठे हैं। सिर्फ इसलिये कि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिये वहां के किसानों को एक नहीं पचीसों आधार पर उनकी जमीन से बेदखल किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह महान प्रतिक्रियावादी विधेयक है किसान को बेदखल करने वाला विधेयक है। मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक सरकार की उस नीति का द्योतक है जिसके मुताबिक वह पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है। जहां उसको मौका मिलता है वह पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। इसीलिय दिल्ली में जमींदारी को कायम रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहां पर केवल ४००० एकड़ भूमि का मामला है किन्तु उसमें भी पूंजीवाद को सरकार बढ़ावा देना चाहती है ताकि बड़े बड़े लोग यहां आएं और यहां आकर बिजनैस बढ़ाएं। इसीलिये यहां पर से जमींदारी को खत्म नहीं किया जा रहा है बल्कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसी न किसी तरह किसान को बेदखल किया जा सके।

और आगे धारा ५ (३) में यह कहा गया है :

"५(३) यदि मालिक खुद खेती कर रहा हो तो इस धारा के अनुसार कृषक को कब्जा दुबारा नहीं दिलाया जा सकता।"

[श्री ब्रजराज सिंह]

यानी अगर वह जमीन एग्रीकल्चरल परपजेज़ के लिये इस्तैमाल नहीं भी हो रही है तो उससे किसान को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर उससे लाभ मिलेगा तो उस डिसेबिल्ड परसन को, किसान को उससे कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह की नीति है। आप यह बिल किसान के भले के लिये लाए हैं। लेकिन जो आप रिलीफ दे रहे हैं उससे उसका नाश महा विनाश होने जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यदि सरकार इस बिल के द्वारा काश्तकार को कोई लाभ देना चाहती है तो इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिये। इस बिल से उस हर व्यवस्था को निकाल दिया जाना चाहिये जिसमें किसी भी आधार पर किसान को उसकी जमीन से बेदखल किया जा सकता है। हर उस व्यवस्था को इसमें से निकाल देना चाहिये जिसके द्वारा किसान को अपनी जमीन का पूरा लाभ मिलने से वंचित किया जा सकता है। मैं आशा करूंगा कि गृहमन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे और सिर्फ इस आधार पर कि दिल्ली का विकास हो रहा है और यह देश की राजधानी है, गरीब लोगों को उनकी जमीन छोड़ने के लिये मजबूर नहीं किया जाएगा।

अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार से कि जहां भी अर्गनाइजेशन हुआ है और खास तौर से दिल्ली में, क्या सरकार ने यह देखने की कोशिश की है कि जिन लोगों की जमीनें सन १८९२ के कानून के अधीन ली गयीं जिसमें कि मुआवजा बहुत कम दिया जाता है, क्या उनको हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में जमीन दी गयी और आज वे किस प्रकार अपना और अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं। उनमें से बहुत से आज बेकार हैं और रिक्शा चला कर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। यह कोई अच्छी योजना नहीं हो सकती कि कुछ गरीब लोगों की जमीन छीन कर उनको बेकार कर दिया जाए और उनकी जमीन दूसरों को देश की उन्नति के लिये दे दी जाए। मैं आशा करता हूं कि सरकार समय रहते चेतेगी और इस बिल में ऐसा संशोधन करेगी कि जिससे यह किसान की बरबादी का कारण न बने।

†**श्री त्यागी** : यह विधेयक बड़े अच्छे उद्देश्य को सामने रख कर सभा में प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य से हमारा कोई विवाद नहीं। परन्तु कुछ एक स्थानों पर हमें इसके सही शब्दों से भ्रम हो जाता है।

इस विधेयक के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि जब तक कोई व्यक्ति अभाव पीड़ित है तब तक तो वह कृषक को बेदखल नहीं कर सकता और जब वह अभावमुक्त हो जाता है उस समय वह बेदखली करा सकता है। स्पष्ट रूप से यह जो वैचित्र्य है उसे हम समझ नहीं सके हैं।

एक विधवा जिसे हिन्दू समाज में दया का पात्र माना जाता है जब तक विधवा रहे तब तक तो वह जमीन खाली नहीं करा सकती और जब शादी कर ले तब करा सकती है। यह बात भी विचित्र है। वस्तुतः आजकल संसद सदस्यों के विचारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक विधवा को पुनर्विवाह के बाद भूमि पर कब्जा लेने का अधिकार देना बड़ी विचित्र बात है। इस कारण इस विधेयक की भाषा को फिर से देखा जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि क्या सरकार कृषकों को वाजिब मुआवजा देती है जब वह भूमि का अर्जन करती है। उनकी परवाह ही नहीं की जाती वस्तुतः जितने फायदे हैं सभी शहर वालों के लिये हैं। गांव वालों को बहुत पीछे समझा जाता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मामलों में सरकार कृषकों का ध्यान रखेगी। सरकार मालिक को मुआवजा दे देती है पर बेचारे कृषकों का क्या बनेगा इस पर भी कभी सोचा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन में रखा गया है, उसकी पृष्ठ भूमि में और इस सम्बन्ध में यहां पर जो स्थिति रही है, उसको दृष्टि में रख कर उसके अलग अलग भागों को देखने की आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं कि यह बिल हर प्रकार से मुकम्मल नहीं कहा जा सकता और हमारे कई माननीय मित्रों ने इस बारे में जो कुछ सुझाव रखे हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं, जो मानने लायक हो सकते हैं और उन को माना जा सकता है। लेकिन यहां पर जो स्थिति रही है, उसको सामने रखते हुए हमें इस को देखना चाहिये।

सम्भवत: माननीय सदस्यों को इस बात का परिचय होगा कि दिल्ली में गांवों की ज़मीनों को बहुत तेज़ी के साथ अरबनाइज्ड किया गया। एक वक्त था कि सैकड़ों एकड़ नहीं बल्कि हजारों एकड़ जमीन को सिर्फ एक कलम से रूरल एरिया से--देहाती जमीन से शहरी ज़मीन बना दिया गया। उसके ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं लागू होता था कि किसी टेनांट को किसी किस्म का रिलीफ मिल सके। इसका नतीजा यह हुआ, जैसा कि आज इस सदन में कहा जा रहा है, कि हजारों किसानों को अपनी ज़मीनों से वंचित होना पड़ा और उसका फ़ायदा किसानों को न मिल कर लैण्डलार्डज़ को मिला और लैण्डलार्डज़ से ज्यादा उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, जो कि शहरी आगादी को बढ़ता हुआ देख कर किसानों से हल्के दामों पर ज़मीन खरीदते थे और उस का सौ गुना रुपया हासिलकर मालदार बन जाते थे। बहरहाल वह कानून यहां लागू हुआ और उसके जरिये से वे सब किसान या काश्तकार या गरीब लोग हल्के हल्के उस तमाम ज़मीन से बेदखल हो गये, जिस पर खेती कर के वे थोड़ा बहुत कमा लेते थे। यह सब १९५३ और १९५६ के बीच में हुआ। जब ऐसे बहुत सारे गांवों के क्षेत्र शहरी क्षेत्र बन गये और आपा-धापी से किसानों को बेदखल होते देखा गया, तो बहुत सारे किसानों ने अपनी सरकार, लोगों और अपने नुमायन्दों के सामने यह विचार रखा कि उनके प्रति यह जो अहितकर काम किया जा रहा है, उस को हल्के हल्के खत्म किया जाये। उन्हीं लोगों को कुछ थोड़ी सी रियायत देने और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिये ही यह कानून लाया गया है।

इस बारे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली के आस-पास हल्के हल्के कर के वह तमाम ज़मीन, जो कि देहाती है, शहरियों के रहने की, या शहरियों के कब्ज़े में आती जाती है। इन ज़मीनों को उस ज़माने में म्यूनिसिपेलिटीज़ या लोकल बाडीज़ के मातहत कर के उन तमाम कानूनों से बरी कर दिया गया था, जिन से किसानों या काश्तकारों को आराम मिलता था। इस कानून में इन ज़मीनों को उन लोगों को फिर से रेस्टोर करने, उन को कुछ आराम पहुंचाने या रियायत देने का ख्याल किया गया है। यह बात सही है कि अब दिल्ली के आस-पास बहुत कम लोग ऐसे रह गये हैं, जिन के पास कुछ बड़ी ज़मीनें हों। यानी ऐसे किसान अब बहुत कम हैं, जिन के पास सौ, दो सौ, पांच सौ या एक हज़ार एकड़ ज़मीन हो। छोटे छोटे किसान बहुत ज्यादा हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ के मातहत होने की वजह से उन लोगों को अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा था। इस कानून के ज़रिये सरकार ने उन लोगों को इस बात का संरक्षण दिया है कि अगर वे लोग काश्त करते हैं, या कि ज़मीन पर टेनांसी का हक रखते हैं, तो बावजूद इसके कि वे ज़मीनें शहरी इलाकों में आ गई हैं, उन को बेदखल करने का अख्तियार उन मालिकान को नहीं है, जो पहले कानून के मातहत उन को बेदखल कर सकते थे।

इस बिल में जो बातें रखी गई हैं, उन में दो मोटी मोटी बातों की तरफ़ हम को ध्यान रखना चाहिए। एक बात तो यह है कि जो लोग बराबर अपना लगान नहीं दे सकते हैं और जिन का बहुत कुछ लगान बाकी रह गया है, तो, बावजूद इस बात के कि उन को इस कानून में रियायत दी गई है, लगान बाकी रहने की वजह से उन को बेदखल किया जा सकता है। इसमें कुछ शिकायत इस किस्म की रहती है कि बहुत से काश्तकार जो ऐसे हैं कि गरीब हैं, जिन के पास बहुत थोड़ी ज़मीन है और

[श्री राधा रमण]

उसको काश्त करके ही अपना तथा अपने परिवार का गुज़ारा चलाते हैं, उनको स्पेसेफिक टर्म मैनशन न होने की वजह से बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। इसमें यह लिखा है कि कोई किसान या कोई काश्तकार अगर कुछ अर्से तक रुपया नहीं देगा और उसकी जो रकम है जो उसे दूसरे को देनी है वह बाकी रहती जाएगी तो उसे बेदखल किया जा सकता है। कितने पीरियड की रकम वह अदा नहीं करेगा, यह स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इस कानून में यह नहीं है कि कितनी देर तक अगर वह एरियर में रखेगा तब उसको बेदखल किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सफाई हो जानी चाहिये और माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहिये कि एक साल या दो साल या तीन साल की रकम अगर उस पर बाकी होगी तब उसको बेदखल किया जा सकेगा या फिर थोड़े से अर्से यानी छ: महीने या साल भर का एरियर होने से भी वह बेदखल हो सकता है। अगर इस चीज़ की सफाई नहीं की जाती है तो काफी ऐसे मालिकान होंगे जो कि इससे फायदा उठा लेंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सफाई कर दें।

इस कानून में यह भी साफ कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जमीन एक्वायर करेगी या लेना चाहगी उस पर चाहे काश्तकार हो या किसान हो या वह जमीन किसी भी हालत में हो, यह कानून लागू नहीं होगा। हमने जब पहले इस मसले पर विचार किया था तब भी कहा था कि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि वह इस तरह की चीज़ों का ध्यान न रखे। हम आज तक मालिकान को इस बात का दोष देते आए हैं कि वे किसानों की बहुत सस्ते में जमीन लेते हैं और सस्ते में जमीन ले करके बहुत सा रुपया बनाते हैं। जब हम उन को इस तरह के दोष देते हैं तो मैं चाहता हूं कि सरकार को कोई ऐसा आदर्श लोगों के सामने रखना चाहिये कि वह किसी के साथ किसी तरह की भी ज्यादती नहीं करती है और हमें इस स्थिति में होना चाहिये कि हम मालिकान को यह कह सकें कि सरकार एक नमूने के तौर पर काम करती है और उसी के मुताबिक मालिकान को भी चलना चाहिये। इस कानून से सरकार बिल्कुल बच जाती है। अभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि सरकार का दिल्ली में ३४,००० एकड़ ज़मीन लेने का ख्याल है और उस जमीन का वह कम्पेसेंशन भी देगी। अब देखना यह है कि वह कम्पेंसेशन किन लोगों को मिलेगा? क्या उस कम्पेंसेशन में काश्तकार भी हिस्सेदार होंगे या कि वह कम्पेंसेशन उन्हीं को मिल जाएगा जिन्होंने न कि अपने खाते पर उन ज़मीनों को चढ़वा रखा है और जो अपने आप को उनका मालिक समझते हैं। हमें फैसला करना होगा कि इस कम्पेंसेशन में किन किन लोगों का हिस्सा होगा।

साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि जो कम्पेंसेशन मिले वह सही मिले। मार्किट रेट भी वह मार्किट रेट हो जो एट दी टाइम आफ पेमेंट प्रिवेल करता हो। आज होता यह है कि आप नोटिफिकेशन तो इशू कर देते हैं और छ: आठ वर्ष तक आप उसको ससपेंस में रखते हैं और उस बीच में काश्तकार को हमेशा ही सूली पर चढ़ाये रखते हैं, न वह उस जमीन में कुछ बेहतरी कर सकता है और न ही ज्यादा पैदावार कर सकता है और न ही उस जमीन पर कुछ खर्च कर सकता है। इसका नतीजा यह होता है कि पैदावार घटती है जो आप चाहते हैं कि बढ़े। उसको एक तरह से ससपेंस में रहना पड़ता है। जो कम्पेंसेशन आप देते हैं उसका भी कोई न कोई ऐसा तरीका होना चाहिये कि वह रुपया मालिक और काश्तकार दोनों में डिवाइड हो। वह रुपया उस मालिक में जिसकी जमीन हो और उस काश्तकार में जो उस पर काश्त करता रहा है और जिस की मेहनत की वजह से उसकी मिलकियत की कीमत बढ़ी है और जिस की वजह से मालिक काफी कीमत ले सका है, डिवाइड किया जाना चाहिये। अभी त्यागी जी तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर आप कम्पेंसेशन देते हैं तो उसके बारे में कानून आप ऐसा बनाते हैं, ऐसा डिफैक्टिव बनाते

हैं कि सच्चे मानो में काश्तकार को कोई फायदा नहीं पहुंचता है और न सिर्फ उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता बल्कि वह उसी तरह से पिसता है जिस तरह से जमीन के मालिक के नीचे वह पहले पिसा करता था। हम मालिक को इल्जाम देते हैं कि वह उसको हमेशा चूसता रहता है, उसका शोषण करता रहता है और इस शोषण को बन्द करने के लिए हम कानून बनाते हैं लेकिन कानून बन जाने के बाद भी चूंकि वह डिफेक्टिव होता है, वह पिसता ही चला जाता है और उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो आप कम्पेंसेशन दें वह उस रेट से न दें जिस दिन कि आप एनाउंसमेंट करते हैं बल्कि उस रेट से दें जो रेट पेमेंट करते वक्त प्रिवेल करता हो। दिल्ली में ऐसी भी जमीन है जिस के बारे में एक्विजिशन नोटिस को इशू हुए पचास वर्ष हो चके हैं और इन पचास वर्षों में न तो उन जमीनों को एक्वायर किया गया है और न ही उसका कोई कम्पेंसेशन दिया गया है और इसका नतीजा यह है कि किसान लोग और दूसरे लोग परेशान हैं। अब उस जमीन पर मान लो कि किसी आदमी ने मकान बना लिया है तो वह भी परेशान हैं क्योंकि उसे अपने फ्यूचर का पता नहीं है। सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि एक्विजिशन का अगर कोई नोटिफिकेशन आज निकलता है तो इसके एक साल के अंदर-अन्दर या तो वह जमीन ले ले और अगर साल में नहीं लेती है तो जो काश्तकार है, उसके जो राइट्स हैं उनको पूरी तरह से कायम रखे, मालिक के राइट्स को पूरी तरह से कायम रखे और वह चाहे उस पर खेती करे या जिस तरह से भी चाहे उसका इस्तेमाल करे। जब इतने लम्बे-लम्बे अर्से तक एक्विजिशन नोटिस पड़े रहते हैं, न इधर फैसला होता है और न उधर फैसला होता है तो इसको मुनासिब बात नहीं कहा जा सकता है। इससे किसानों को तथा दूसरे लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि कम्पेंसेशन दें तो न सिर्फ उसमें आप मालिक को शामिल करें या उसको करें जो उस पर अपनी मिलकियत दिखलाता है बल्कि काश्तकार को भी करें और उन दोनों के बीच उसको बांटें। ऐसा कानून अगर कोई नहीं है तो कम से कम इसके अन्दर इस बात की सफाई हो जानी चाहिये। इस कानून के अन्दर कुछ न कुछ इस तरह का प्राविजन जरूर होना चाहिये। आज से बीस साल पहले एक किसान ने एक खेत को जिसके अन्दर उस वक्त पैदावार नहीं होती थी अपने हड्डे गड्डे लगा कर पैदावार करनी शुरू कर दी और आज उस में से एक हजार या दो हजार आमदनी होने लग गई है तो आज अगर उसको किसी न किसी वजह से बेदखल किया जाता है, या सरकार खुद करती है या मालिक खुद करता है, तो जो सारी उसकी की कराई मेहनत है वह मालिक ले जाता है या सरकार उसका फायदा उठा लेती है और वह गरीब आदमी उसी तरह से परेशान रहता है जैसा पहले था। इस वास्ते उस के बारे में सरकार को जरूर कुछ सोचना चाहिये और अगर कम्पेंसेशन में उसका हिस्सा रख दिया गया तो उसकी बहुत कुछ तकलीफ कम हो सकती है।

अभी त्यागी जी ने डिसेविलिटी के बारे में कुछ कहा है। मुझे कुछ ज्यादा इसके बारे में सन्देह नहीं है। धारा ३(बी) में इसका जिक्र किया गया है। इसके अन्दर कोई चीज उनकी समझ में आती है तो मेरी निगाह में वह बहुत सही नहीं है। क्योंकि साफ जाहिर है कि अगर कोई डिसएबल्ड परसन है उस वक्त, एट दी टाइम आफ कमेंसमेंट और जब वह दो वर्ष के बाद एबल हो जाता है तो ही रिवाइज एड बिकम्ज एबल इन एवरी वे। उसका दो साल के अन्दर इजैक्टमेंट हो सकता है या उसको जो राइट मिले थे उनसे वह वंचित किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं।

[श्री राघा रमण]

यह जो कानून आपके सामने है इसके बारे में एक बात यह समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली के बहुत से इलाके जो रूरल थे वे सिर्फ एक कलम से, सरकार के नोटिफिकेशन से, हजारों एकड़ों की तादाद में अर्बन कर दिए गए और अर्बन और रूरल के बारे में कानून के अन्दर इतनी डिसपैरिटी थी कि कोई रूरल एरिया अगर अर्बन एरिया बन जाता था तो उस पर कोई हक काश्तकार का नहीं रह जाता था और वह शुरू से आखिर तक हर चीज़ से वंचित हो जाता था। जब फिर से बहैसियत एक रूरल एरिया के उनकी तकलीफों को समझ करके, आप दूर करना चाहते हैं, तो यह एक अच्छी बात है। बहुत से लोगों ने दमयानि पीरियड के अन्दर काश्तकारों को कानून के मुताबिक बेदखल कर दिया है और उनको फिर से उन जमीनों को दिलाना बड़ा मश्किल होगा क्योंकि हालात बदल चुके हैं, शक्ल बदल चकी है और वे जगहें कई कई हाथों में से गुज़र चुकी हैं लेकिन अब भी जो बाकी हैं और जो अर्बन एरिया होने की वजह से डिसएडवांटेज और डिसएबिलिटी फील करते हैं, इस कानून से लिमिटेड सेंस में उनको फायदा मिलता है,उनकी वही शक्ल हो जाती है जो लैंड रिफार्म के अन्दर रूरल एरिया के किसान को या रूरल एरिया के अन्दर खेतीहर को प्रदान की गई है।

मैं इस बिल को एक मुबारक बिल मानता हूं। इस में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं जिन को बाद में भी दूर किया जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि हमें उस पसेमंजर में देखना चाहिये जब कि यहां पर एक कानून लागू कर के बहुत से खेतीहरों को बेदखल करने की सूरत मालिकान को दे दी गई थीं। और उन से हमें बचना चाहिये और उन को उसी लेवेल पर ले आया जाना चाहिये जिस लेवल के ऊपर आज रूरल एरिया के किसान हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल का इतना ही मकसद है और इस में जो त्रुटियां होंगी या जो त्रुटियां चन्द साल बाद अमल के नज़र में आयेगी, उनको दूर करने के लिए एमेंडमेंट्स लाये जा सकते हैं।

†**श्री रंगा** (तेनालि): इस बात से मुझे काफी सन्तोष है कि पट्टा जारी रहेगा। उस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिन हालत में कृषकों को बेदखल किया जा सकता है, उन पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकार को खंड (३)(१) क पर विचार करना चाहिए। यदि बकाया राशि का भुगतान न किया हो तो कोई कारण नहीं कि भूमिधारी जमीन में कृषि न कर सके। मेरा मत तो यह है कि सरकार को और न्यायालय को पहले किसान की अन्य सम्पदा से बकाया राशि वसूल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस के पश्चात उस भूमि के संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए, जिस में कि वह खेती कर रहा हो। उसकी रोजी कमाने के साधनों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

यह कहना गलत है कि भूमिधारी की एक नयी व्यवस्था निर्माण की जा रही है। इन लोगों के पास जोत की अधिकतम सीमा से कम ही जमीन है। यदि उन्हें जमीन पट्टे पर उठा देने में लाभ होता हो तो यह न समझा जाये कि वह किसान का शोषण कर रहे हैं इस के अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि विधेयक में "परिवार" की परिभाषा और अक्षय व्यक्ति द्वारा अपने किसानों को जमीन छोड़ने के लिए कहने के बारे में जो उपबन्ध है वह काफी है। इन उपबन्धों का प्रयोग किसानों के लाभ के लिये हो सकेगा। किसानों द्वारा जो भूमि काम में लाई जा रही होगी, उस पर मकान इत्यादि भी केवल दो वर्ष तक ही बन सकेंगे। इस के बाद वह किसानों को बेदखल नहीं कर सकेंगे। मेरा मत यह है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि विधवा को यह अधिकार जब तक वह विधवा रहती है प्राप्त हो जाय। इस दिशा में जिन उपबन्धों का निर्माण किया गया है वह और स्पष्ट होने चाहिए ।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

इस बात की ओर तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसानों का पक्ष बरकरार रहे ताकि उनका काम निरन्तर चलता रहे । सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब सरकार भूमि अर्जित कर ले तब किसानों को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए अथवा नहीं । विधान द्वारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए कि भूमिधार केवल अच्छी क़ीमत प्राप्त करने के लिए ही जमीन न बेच दे ।

श्री नवल प्रभाकर: (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभानेत्री जी, यह जो बिल आया है इसकी कहानी पुरानी है और इस ने कई रूप बदले हैं। अगर दो शब्दों में कहा जाए तो यह कहना कठिन होगा कि यह एक एक सुखद स्वप्न है।

इस के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिश की और उन के आधार पर भूमि सुधार कानून बना। जब दिल्ली विधान सभा थी उस समय उस में यह भूमि सुधार कानून बना। आज जिस क्षेत्र के लिए यह बिल लाया गया है उस बिल में यह क्षेत्र भी आ जाता था । और उस समय लोगों को बड़ी प्रसन्नता थी कि हम भूमिधर बन जायेंगे और सब को खुशी थी। किन्तु विधान सभा की समाप्ति के बाद उनका वह सुख स्वप्न भी समाप्त हो गया। एक छोटा सा बिल लाया गया और उस में कहा गया कि विकास के नाम पर यह भूमि विकास के लिए होगी और यह शहरी क्षेत्र के अन्दर आ गई है, इसलिए इस पर यह कानून लागू होगा, और वह लोग जो कि महान प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे उनको फिर दुःख हो गया ।

उस के बाद बार सरकार को लिखा गया । सरकार ने पहली किस्त के रूप में यहीं पार्लियामेंट के अन्दर १५ गांवों को फिर छूट दे दी और उन को अधिकार दे दिया कि वे भूमिधर बन सकेंगे । अब यह दूसरी किस्त आई है जिस में कहा गया है कि उन को कुछ सहायता दी जाएगी। जो पहला बिल आया था वह अपने में सम्पूर्ण बिल था। अब आज यह बिल आया है । मैं मानता हूं कि इस के कारण आज जो अवस्था है उस में कुछ न कुछ सुधार जरूर होगा किन्तु एक ही साथ तीन तरह की बात कही गई हैं जो कि कुछ उचित और उपयुक्त नहीं मालूम होतीं दिल्ली में ३६० गांव थे उन में से ५० या ५५ गांव इन में आ गये हैं। बाकी जो गांव थे उन सब गांवों के लिये एक तरह का कानून बनाया गया और उन को पूर्ण अधिकार दिया गया और कहा गया कि जो काश्तकार हैं उन को पूरा अधिकार मिलेगा और वह अधिकार दिया गया और उन को भूमिधरी के सारे अधिकार दे दिये गए। भूमिधर का उनको सर्टिफिकेट मिल गया। यह सब कुछ हुआ। उस के बाद १५ गांवों को भी उसी तरीके से फिर अधिकार प्रदान कर दिये गये । अब यह जो गांव शहर में आ गये उन के लिये कहा कि तुमको कुछ रिलीफ हम देना चाहते हैं। यह रिलीफ़ मेरी समझ में नहीं आया। यह ठीक ऐसी ही बात है कि अब सरकार जगह एक्वायर कर रही है । उसका अधिग्रहण करेगी। अब अधिग्रहण करने के बाद उस काश्तकार की क्या अवस्था होगी इसकी आप कल्पना कर लीजिये । मान लीजिये कि इस विधेयक के अनुसार हम उन को जमीन दे देते हैं। उस जमीन को काश्त करने की इजाजत दे देते हैं। यह सही

[श्री नवल प्रभाकर]

है कि उसको इजाजत तो दे दी । उस के बाद जो लैंडलार्ड हैं जो जमीन का मालिक है वह क्या करेगा ? वह पूरा प्रयत्न करेगा, अधिकारियों से मिलेगा और खुद कहेगा कि यहां पर आप जमीन एक्वायर कर लीजिये । जमीन एक्वायर की गई तो उस हालत में काश्तकार की क्या अवस्था होगी यह मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं और म चाहता हूं कि काश्तकार की क्या अवस्था होगी । उस की दशा का वर्णन करें । यह ठीक है कि जैसे एक आदमी स्वप्न देखता है, स्वप्न में वह राजा बन जाता है या और कुछ सुखद स्वप्न वह देखता है तो उस वक्त तो वह बहुत खुश होता है लेकिन जब उस की आंख खुलती है तो वह अपनी उसी चारपाई पर पड़ा नजर आता है । आज वही हालत इन काश्तकारों की होने वाली है । जो जमीन एक्वायर की जायेगी वह जब इन सारे क्लाजेज के मातहत छीन ली जायगी तब उस की क्या अवस्था बनेगी ? इस में कोई इस तरीके का प्रबन्ध नहीं है कोई ऐसा प्राविजन नहीं किया गया है कि उस के बाद भी उसको कुछ मिल सकेगा ।

हमारे यहां दिल्ली में दो तरह के काश्तकार हैं । एक मौरूसी काश्तकार हैं और दूसरे मामली काश्तकार । अब जो मौरूसी काश्तकार हैं उनकी जमीन का जब सरकार अधिग्रहण करती है तो उसके बाद जो उनको मुआविजा देती है उसमें १० आने और ६ आने का अनुपात होता है । ६ आने मालिक को मिलते हैं और १० आने मौरूसी काश्तकार को मिलते हैं । लेकिन इसमें जिसको हम काश्तकार घोषित करने जा रहे हैं, वह काश्तकार जो कि सैंकड़ों वर्षों से चला आया है और उस जमीन के मोह और ममता में बंधा हुआ है, उसकी जमीन एक्वायर कर लेने की अवस्था में या जो जमीन का मालिक है उस के प्रपंच करने से उस जमीन को वापस ले लेता है, उस अवस्था में उस काश्तकार को कुछ नहीं मिलता है । मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि उस अवस्था में जब कि सरकार उस जमीन को ले तो ठीक उनको वही अख्तियारात मिलने चाहियें जो कि आज दिल्ली के अन्दर मौरूसी काश्तकारों को मिलते हैं । अगर उसको वही मौरूसी काश्तकार के अधिकार नहीं मिलेंगे तो वह बेघर और बेदार हो जायगा । उसके पास कोई काम नहीं होगा कोई धंधा नहीं होगा और वह दिल्ली प्रशासन के लिये बोझ होगा दिल्ली प्रशासन ही नहीं बल्कि सारी दिल्ली के लिये एक बोझ हो जायेगा मेरा यह नम्र निवेदन है कि यह तो ठीक है कि विकास होता है और विकास होना चाहिये । दिल्ली बढ़ेगी इसको कोई रोक भी नहीं सकता है । मैं यह नहीं कहता कि दिल्ली के विकास को रोका जाये । दिल्ली बढ़ेगी । उसमें जो शहरी क्षेत्र घोषित कर दिये गये हैं उनका विकास होगा । वहां पर सड़कें होंगी और भी सब कुछ होगा । वहां पर बड़े बड़े महल खड़े हो जायेंगे और यह सब तो ठीक है लेकिन काश्तकार की हालत क्या होगी उसका अन्दाजा करना चाहिये ।

आज इन गांवों की क्या अवस्था है उसका कुछ वर्णन मैं करना चाहता हूं । आज इन गांवों की अवस्था यह है कि न तो इनको शहर गिना जाता है न ही इनको देहात गिना जाता है । शहरी सुविधायें उनको सुलभ नहीं हो पातीं और जो देहात के अधिकार हैं वे भी इनको नहीं मिले हुए हैं । आज हालत यह है कि गांव के पास से बिजली गुजर जाती है लेकिन गांव को बिजली नहीं मिलती है । गांव के पास से पानी का नल चला जाता है, वाटर लाइन पास हो जाती है लेकिन गांव पानी की सुविधा से वंचित रह जाता है ।

आज बिजली दो हिस्सों में बांटी गई है । शहर को बिजली दी जायेगी । और गांव को बिजली दी जायेगी । शहर में बिजली दी जाती है लेकिन शहर में बिजली देने का अपना एक अलग तरीका है । कहते हैं कि जहां विकास होगा वहां बिजली जायेगी । ठीक है हर एक गांव में भी बिजली जायगी लेकिन जो गांव शहर में आ गये हैं उनको बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा क्योंकि

वह विकसित नहीं हैं वहां सड़क नहीं हैं, वहां खले हुए पार्क नहीं हैं और जो स्टैंडर्ड रखा है उसके अनुसार विकसित नहीं हैं। इसलिये आज अगर सब से पिछड़ा हुआ इलाका है तो वह ये गांव हैं। अब हालत आज यह है कि जमीन जो एक्वायर की जाती है वह गांव के बिल्कुल जड़ में से एक्वायर की जाती है और होता यह है कि घर के पास से उसको निकलने को स्थान नहीं है। ऐसी हालत में बेचारे काश्तकारों को मजबूरन गांव छोड़ देना पड़ता है और थोड़े दिन बाद यह स्लम्स घोषित दिये जाते हैं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जिनको कि आज गन्दी बस्तियां घोषित कर दिया गया है। इसके लिये मने बार बार अधिकारियों से कहा है और उनसे मिला हूं और कहा है कि आप जमीन एक्वायर कीजिये लेकिन इतनी जमीन छोड़ दीजिये कि यह अपने आप को अर्थात् उस गांव को आपके सांचे में ढाल सकें, विकसित कर सकें लेकिन अधिकारी वर्ग है कि कोई सुनवाई नहीं करता। उनको तो बस जगह लेनी है और उनको बह खयाल नहीं है कि यह गांव वाले कहां जायें ? अब नई दिल्ली में बहुत सारे गांव थे जहां कि आज बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें हैं। वे यहां से चले गये, खदेड़ दिये गये। आज उनकी सन्तानें हैं, कोई भैंस पालता है, बहुत सारे चपड़ासी यहां लगे हुए हैं और कुछ और हैं जिनको कि कोई धंधा नहीं है और बुरी हालत में हैं यही अवस्था उन लोगों की होगी। मेरा यह नम्र निवेदन है कि आप कुछ इस तरीके का प्रबन्ध कीजिये कि जो जमीन ली जाये या किसी तरह से मालिक प्रपंच करके अगर उस जमीन को छुटवा लेता है तो उसके अन्दर उसका पूरा शेयर होना चाहिये, हिस्सा होना चाहिये ठीक इसी तरह से जैसे कि दिल्ली के अन्दर मौरूसी काश्तकारों को मिलता है। जितना उनको मिलता है उतना इन काश्तकारों को भी मिलना चाहिये। मैं यह भी नहीं चाहता कि उसको पूरा स्वामित्व दे दिया जाये। अब दरअसल उचित तो है कि उसको पूरा स्वामी माना जाय जिस तरह से कि आपने गांव में एक दूसरे आदमी को भूमिधर बनाया है उसी तरीके से पूरे तरीके से उसको भूमिधर बनाना चाहिये।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह जो बिल लाया गया है वह एक ऐसे गांव के लिये लाया गया है जिसमें अधिकतर हरिजन काश्तकार हैं। उन हरिजन काश्तकारों को क्या इसलिये अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि उनके पास पहले अभी जमीन नहीं रही तो अब आगे भी उनको जमीन का अधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिये ? . . . . .

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : कौन सा गांव ?

श्री नवल प्रभाकर : मसीहगढ़ गांव है। उस गांव में सारे काश्तकार हरिजन हैं। एक चर्च की जमीन है जिसमें कि वह लोग काश्त करते हैं। अब वह चर्च के पादरी साहब उनको जमीन पर से बेदखल करना चाहते हैं। यह ठीक है कि सरकार कृपा करके यह बिल लाई और उनको बेदखल नहीं होने देगी और उनको काश्त करने देगी। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आयेगा जब वह पादरी साहब यह कहेंगे कि मेरी जमीन आप ले लीजिये यहां पर स्कूल बनाइये, अस्पताल बनाइये तो यह जो चर्च के नाम गांव है वह मसीहगढ़ गांव उसको जरूर वापस मिल जायेगा। वह गांव चर्च में चला जायेगा या उसका जो एक ट्रस्ट होगा उसमें चला जायेगा लेकिन क्या आपने यह भी सोचा है कि उस हालत में काश्तकारों की क्या ही हालत होगी ? इस बिल में जरूर इस बारे में प्राविजन होना चाहिये, प्रबन्ध होना चाहिये कि वह लोग जिन के कि ऊपर यह बिल लागू होता है और इस बिल के एक्ट बनने के बाद जब उनको उनकी जमीन से अलग किया जाये तो उनके लिये मुआविजे की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यहां से हम बिल पास करते हैं जैसे कि हमने भूमिधर बिल और अन्य बहुत से बिल पास किये। उनके पास होने के बाद हम देखते हैं कि तुरन्त ही मुकद्दमेबाजी शुरू हो जाती है। अब आप ही अंदाजा कीजिये कि एक तरफ तो लैंडलार्ड है और दूसरी तरफ बेचारा

[श्री नवल प्रभाकर]

गरीब किसान है जिसकी कि हालत बिल्कुल खस्ता है। एक तरफ तो वह फटे हाल काश्तकार है और दूसरी तरफ वह पैसे वाला लैंडलार्ड है। अब जब उन दोनों के बीच में टक्कर होती है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वह बेचार कहां उस लैंडलार्ड के सामने खड़ा रह सकता है? माननीय मंत्री ने कहा कि बहुत से लोगों ने आपस में समझौता कर लिया लेकिन काश्तकार समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके अन्दर इतना दम नहीं होता है कि वह अदालत में जाकर बराबर पूरे तरीके से उनसे लड़ सकें। अब बेचारा गरीब काश्तकार उस लैंडलार्ड के मुकाबले में कहां वकील को फीस दे सकता है और दीगर मुकद्दमेबाजी के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है। अदालतों में फैसले भी जल्दी नहीं होते हैं और एक एक साल नहीं बल्कि तीन तीन साल मुकद्दमे चलते हो जाता है और लम्बी मुकद्दमेबाजी से वह परेशान होकर समझौता कर लेता है क्योंकि गांव से अदालत और अदालत से गांव भागते भागते उसकी बुरी गत हो जाती है। अब वकील साहब कोई हाथ जोड़ने से तो मानते नहीं उनको तो अपनी फीस चाहिये जोकि उसके बस की बात नहीं रह जाती है। मुकद्दमा बगैर पैसे के चल नहीं सकता है और पैसा उनके पास होता नहीं है। यह हालत है। जब भी भूमि-सुधार कानून लागू हुआ है, वहां पचास प्रतिशत केस ऐसे हैं, जिन में लोगों को अदालत का मुंह देखना पड़ा है। हम यह विधेयक लाये, यह बहुत अच्छा है और मैं इस का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो कि वे फिर अदालत में चले जायें और गरीब आदमी समझौता करने पर मजबूर हो जायें, समझौता हो जाये और वे उस को छोड़ दें। वे भी यही चाहते हैं। मेरी ये आशंकायें हैं और मैं चाहता हूं कि इन का जरूर निराकरण होना चाहिये।

16 hrs.

मैं अपनी कम्पेन्सेशन वाली बात को फिर दोहराता हूं कि जिस तरह से मौरूसी काश्तकार को अधिकार है, उसी तरह से कम्पेन्सेशन का अधिकार इन काश्तकारों को भी होना चाहिये।

†**श्री बलराज मधोक** (नयी दिल्ली) : यद्यपि मैं इस विधेयक के सामान्य सिद्धातों का समर्थक हूं। इससे एक बड़ी व्यापक समस्या का केवल मात्र एक अंग ही लिया गया है और उसके कुछ एक पहलुओं का ही उपबन्ध किया गया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बेदखल किये गये काश्तकारों को रोजी दिलाने के उपाय ढूंढने चाहिये।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब कभी सरकार अथवा बस्ती बसाने वाले लोगों द्वारा किसानों की भूमि मोल ले ली जाये तो भमि का मूल्य बढ़ जाने पर किसानों को कुछ धन और मिलना चाहिये। यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिन किसानों को बेदखल किया जाता है उन्हें कहीं और जमीन दी जाये।

एक दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार जो जमीन अपने कब्जे में ले लेती है वहां कोई काम नहीं करती। इसका परिणाम है कि दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। सरकार को यह देखना चाहिये कि शहर का विस्तार न होने पाये, दूसरी बात यह भी है जो लोग दिल्ली आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। इन दोनों समस्याओं को व्यवहारिक ढंग से सुलझाया जाना चाहिये। इसके बिना दिल्ली की समस्या हल नहीं होगी।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि इसके द्वारा उन मुजारों को किसी हद तक, थोड़ा बहुत संरक्षण मिला है, जो दिल्ली स्टेट के उस हिस्से में काश्त करते हैं जिसे १९५६ से पहले से शहरी हिस्सा कहा जा सकता था। मुझे मालूम है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि दिल्ली शहर के आसपास के इलाके में कई जमींनें हैं, जिनको लीज पर दिया जाता है सोसायटियों को और वे सोसायटियां आगे खेती करने वालों को लीज़ पर देती हैं। वह लीज़ का मनी २००, २५० रुपये फी एकड़ तक पहुंचता है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो भाई शहरी इलाकों में खेती करते हैं, उनकी क्या समस्यायें हैं। लेकिन कुछ भाई यह भूल जाते हैं, जैसाकि माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर ने कहा है, कि यह विधेयक बड़े महदूद इलाके के लिये है। सारी दिल्ली रियासत या दिल्ली टैरिटरी के लिये नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के बारे में है जिनके इलाकों को १९५६ में शहरी इलाके करार दे दिया गया था। लेकिन जैसा अभी भी श्री बलराज मधोक ने कहा है मैं समझता हूं कि यह जो बिल है यह एक तरह से आसूं पोछने वाला है उन आदमियों के जिन की आंखों के सामने उनकी मौत नाच रही है और दो, चार, पांच, सात, आठ, दस या बारह साल के अन्दर अन्दर जिनको वहां से उठाया जायेगा। उस वक्त उनको उठाना होगा, अपने खेतों को छोड़ना होगा फिर चाहे व मुजारे हों या जमीन के मालिक और चाहे भूमिधर। अभी मेरे माननीय सदस्य श्री मधोक ने कहा है कि उन लोगों के दिलों में बड़ी ख्वाहिश है कि जिनके पास घर नहीं हैं, उनको इस बढ़ती जाने वाली दिल्ली नगरी के अन्दर घर मिलें। हर इंसान चाहेगा कि उसको घर मिले। लेकिन देखना यह है कि किसी को घर देते वक्त हम दूसरे को बेघर न कर दें। लेकिन हो यही रहा है और यही होता चला आया है। दिल्ली शहर जो इतना बड़ा हो गया है, वह कुछ भाइयों को बेघर करके बसा है। मुझे दो चार दिन हुये एक आदमी ने जिनकी जमीन दिल्ली कैंट में ली गई थी बताया और मुझे कागज दिखाया कि १९१२ या १९१८ में उस वक्त की सरकार ने यह कहा था कि जहां वह उसकी जमीन १५ रुपये एकड़ पर लेती है, वहां साथ ही साथ अगर कभी उस जमीन को वह लीज़ पर देगी तो उसी को देगी या उसके वारिसों को देगी। लेकिन आज हालत यह है कि जिस भाई की जमीन पन्द्रह रुपये एकड़ के हिसाब से ली गई थी, वह बेघर हुआ फिरता है। उस जमीन को हम जिस काम के लिये वह ली गई थी, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब उसको हम लीज़ पर देते हैं तो उसको या उसके वारिसों को न दे करके दूसरों को देते हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री राधा रमण जी ने कहा कि बहुत सारी जमीन दिल्ली शहर में ऐसी है जिसके बारे में एक्विजिशन नोटिस कई साल पहले निकाला गया था। लेकिन आज तक वे जमीनें नहीं ली गई हैं। जमीन के ऊपर एक और नोटिस निकल गया है। उसमें से कितनी जमीन ली जायेगी कितनी नहीं ली जायेगी और कब ली जायेगी कोई नहीं जानता। यही नहीं, जो कम्पेंसेशन का तरीका है, मुआवजा देने का तरीका है, वह भी अजीब है। अभी चन्द दिन हुये इस की टेबल पर एक स्टेटमेंट रखा गया था और उसमें बताया गया था कि ३४,००० एकड़ जो भूमि ली जायगी, उसके बारे में कम्पेंसेशन का या बटवारे का क्या तरीका होगा। उसमें लिखा है कि जिन भाइयों ने जो जमीन इवेक्वी प्रापर्टी की थी, खरीदी थी, उनका जो बिड मनी है, वह उतना जरूर दिया जायेगा और उसमें कोई १५ परसेंट के करीब ज्यादा भी दिया जा सकता है। अभी एक बहुत बड़े अखबार के ज्वाएंट एडीटर मुझ से मिले थे और उन्होंने बताया था कि उन्होंने तीस चालीस हजार की बिड के अन्दर एक जमीन खरीदी और उसकी कीमत सरकार को कम्पेंसेशन बांड की शक्ल में या नकदी की शक्ल में अदा की और अब वह जमीन दिल्ली यूनिवर्स्टी के लिये ली जा रही है। अगर वह जमीन ३४,००० एकड़ भूमि का हिस्सा होती तो उसके मुआवजे का तरीका मुख्तलिफ होता। अब चूंकि वह दिल्ली यूनिवर्स्टी के लिये ली जा रही है, इस वास्ते उसके मुआवजे का तरीका मुख्तलिफ होगा। यह सब उस आदमी का कसूर नहीं हो सकता जिसने जमीन खरीदी है और न ही वह इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि आप किस काम के लिये उसको ले रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि आपके मुआवजे का जो तरीका होना चाहिये वह यकसा होना चाहिये। मुआवजा भी उसको नहीं मिलता है और वह मारा मारा फिरता है और उसको सलाह दी जाती है कि वह अदालत में जा सकता है। यह सही है कि कोई भी अदालत मे जा सकता है। जिस की जमीन ली जाती है उसके कम्पेंसेशन

[चौ० रणवीर सिंह]

के बारे में जो कानून है वह दूसरा है, हिदायतें दूसरी हैं और होम मिनिस्ट्री का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्स्टी के लिये हम जमीन ले रहे हैं, उसके जो मुआवजे का तरीका है वह तरीका ३४,००० एकड़ वाली जो जमीन है, उससे मुख्तलिफ है।

हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कल परसों एक दोस्त मुझे बतला रहे थे कि उनका कसूर यह है कि उन्होंने जमीन खरीद ली मकान बनाने के लिये लेकिन किसी सोसायटी के मेम्बर नहीं बने। अब किसी कोआप्रेटिव सोसाइटी का मैम्बर बनने के लिये किसी ने सौ दो सौ रुपये दे दिया और अपना नाम लिखवा लिया उनको तो जमीन मिल जायेगी और जिन से जमीन ले ली गई है, वे बिना जमीन के रह जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको उतनी जमीन नहीं दी जा सकती है जितनी उन को जरूरत है। वैसे तो यहां पर समाजवाद है और इसके अन्दर किसी के स्टेटस का कोई लिहाज नहीं है, कोई ऊंचा और नीचा कानून की नजर से नहीं है। लेकिन कुछ भाई हैं जिनको बारह सौ तक मिल जायेगी और उन्होंने खरीदी भी नहीं है सिर्फ सौ दो सौ रूपये देकर किसी सोसाइटी के मैम्बर बन गये हैं लेकिन जिस भाई ने दस पन्द्रह या बीस हजार रुपया लगाया और जमीन खरीद की है और चाहा है कि मकान बना लूं, उसको जमीन नहीं मिल सकती है, या बहुत कम मिल सकती है। अब अगर किसी का कुटुम्ब बड़ा है, बारह चौदह बच्चे हैं, उसको भी उस हिसाब से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसने किसी कोआप्रेटिव सोसाइटी के नाम लिखा दिया है, तो उसको दूसरे तरीके से अधिक ही जमीन मिल सकती है।

एक बात देख कर बड़ा दुख होता है। हम भी सरकारी मकानों में किराया देकर रहते हैं। हमें चार सौ मिलता है और हमसे डेढ़ सौ रुपया किराया ले लिया जाता है। दूसरी तरफ जो सरकारी अफसर हैं, उनको दस परसेंट ही अपनी तनख्वाह का देना पड़ता है। यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं जो कहना चाह रहा था उसको आपको ठीक तरह से समझा नहीं सका हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल रेलेवेंट हूं। मैं यह कह रहा था कि किस जमीन को शहरी कहा जाता है, वह जो एक्वायर की जानी है उसके कम्पेंसेशन का जो तरीका है, वह क्या है। मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूं। एक अजीब हिसाब से हम चलते हैं। मैं बटवारे के तरीके को ही लेता हूं। जिस चीज के लिये जमीन ली जायेगी, उसको आप देखें। सरकारी नौकर जब तक वह नौकरी में था तब तक तो वह सस्ते किराये के मकान में रहा। बाद में वह सरकारी नौकरों की कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बन गया। अब नौकरी के बाद उसको चाहिये था कि जिस प्रदेश से वह आया है वहां वापिस चला जाये लेकिन अगर वह वापिस जाना नहीं चाहता है और चाहता है कि यहां दिल्ली में ही रहे क्योंकि यह केपिटल है, तो उस वक्त भी किसी को बेघर करके हम उसको जमीन देते हैं और उस सोसाइटी के जरिये देते हैं जो कि सरकारी नौकरों की बनती है। किसी को बेघर करके हम दूसरों को जो घर देते हैं, यह कोई न्यायप्रद नीति नहीं है।

माननीय श्री नवल प्रभाकर जी ने कम्पेंसेशन का जिक्र किया है। एक तरफ उन्होंने मौरूसी मुजारों का जिक्र किया और दूसरी तरफ गैर-मौरूसी। अगर गैर-मौरूसी मुजारों को भी मौरूसी मुजारा जितना कैम्पेंसेशन मिलना है तो गैर-मौरूसी मुजारों को गैर-मौरूसी कहने की क्या आवश्यकता है। बहरहाल एक बात मैं नहीं समझा हूं कि अगर किसी मुजारे को उठाया जायेगा तो उसको कोई मुआवजा देने का सिलसिला क्यों नहीं रखा है। मुझे मालूम है कि प्लानिंग कमिशन की यह नीति है कि जिन के पास अपनी जमीन नहीं है या जो दूसरों की जमीन बोते हैं और वह पांच एकड़ से कम है.....

श्री नवल प्रभाकर : इस बिल में जो मुआवजा मिलेगा वह मालिक को मिलेगा, मुजारे को नहीं मिलेगा।

चौ० रणवीर सिंह: मैं वही कहने जा रहा हूं।

प्लानिंग कमिशन की नीति है कि जिन मुजारों के पास पांच एकड़ से कम भूमि है उनको अगर बेदखल किया जाता है किसी भी वजह से तो उनके लिये दूसरी जमीन या दूसरे काम धंधे का या पेशे का जब तक कोई इंतिजाम नहीं किया जाता है, उस वक्त तक उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है और बावजूद इस बात के कि अदालत बेदखली की डिग्री भी दे देती है, तो भी बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐसे कानून सारी रियासतों में हैं। फर्ज किया कि किसी को जमीन के बदले जमीन दी भी जाये तो भी बेदखल करते वक्त उसको मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिये। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिये कि उसमें से दस आने अगर मालिक को मिलते हैं तो छः आने मुजारे को मिल जायें या इसका उलट हो जाये कि छः आने मालिक को मिलें और दस आने मुजारे को मिल जायें। जो गैर-मौरूसी मुजारे हैं, उनका भी थोड़ा बहुत इंतिजाम जरूर होना चाहिये।

श्री महावीर त्यागी ने कहा, और खास तौर पर विधवा के नाम पर कहा, तो उससे मंत्री महोदय को जरा दिल में रहम आया। मेरा ख्याल है कि वे शायद इसमें कुछ तबदीली भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस संबंध में एक बात कहूंगा। चाहे वह छोटा बच्चा हो चाहे फौज के अन्दर सिपाही हो, या वह विधवा ही हो, या विधवा दुबारा शादी कर ले, उसको जो सहूलियत है वह एक दफा ही मिले। इस बात में मुझे कोई एतराज नहीं कि जब वह छोटा बच्चा बड़ा हो तभी उसकी जमीन बेदखल हो सके, हालांकि शायद वह दिन आयेगा नहीं क्योंकि उस वक्त तक शायद यहां महल बन जायें, यह सिर्फ दो या चार साल की बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह उसके लिये एक भुलावे की बात है। छोटे बच्चे को या जो आदमी फौज में है, उसको अधिकार रहे, लेकिन यह चीज ध्यान में रखी जानी चाहिये कि यह बेदखल करने का अधिकार एक दफा से ज्यादा इस्तेमाल न हो सके। विधवा को अधिकार रहे यह जरूरी नहीं कि वह रिमैरेज करे तभी उसे बेदखल करने का अधिकार मिले, या लड़का बालिग बने तभी उसे अधिकार मिले। वह अधिकार उसका रहे, लेकिन उस अधिकार को इस्तेमाल करने का हक एक बार ही होना चाहिये।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता पर आखीर में यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्लैनिंग कमिशन के हिसाब से इस देश के अन्दर ५ करोड़ ४० लाख एकड़ जमीन कल्चरेबल वैस्ट लैंड है, और जैसा कि मलोक साहब ने कहा, राजस्थान के अन्दर बहुत अच्छी भूमि है। वहां नई नहर आयेगी और वह गैर आबाद इलाका है। इसी तरह दूसरे प्रदेशों में भी है। जिस समय नई दिल्ली बसी थी उस समय जिन भाइयों से यहां जमीन ली गई थी उनको पंजाब के अन्दर जमीन देकर कालोनी बसाई गई। इसी तरह से आज की सरकार जिनका धंधा छीनती है, उसको उसे धंधा देना चाहिये और वे दूसरा धंधा कर नहीं सकते सिवा जमीन पर खेती करने के। इसलिये उनको राजस्थान में या दूसरे प्रदेशों में जमीन के बदले में जमीन देने का इंतजाम होना चाहिये। यहां जो भाव हो वह सरकार उनको दे और वहां जो भाव हो वह उनसे सरकार ले।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को आध दिल से प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा सुझाव तो यह है कि एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये, जो इस बात की छान बीन करे कि भूमि किसानों के हाथ से बस्तियां बसाने वालों के हाथों में, जो बड़े लाभ कमाते हैं, क्यों जा रही है। इसके साथ ही किसानों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनकी भूमि से विभिन्न अभिकरणों ने जो लाभ उठाया है, उसका एक भाग उन्हें भी मिलना चाहिये। यदि सरकार इस बात में अपने आपको असमर्थ पाती है कि उन्हें समुचित मुआवजा दे सके तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० च० शर्मा]

खंड ३ के अन्तर्गत इतनी छूटें दे दी गयी हैं, और मेरा मत यह है कि इससे कोई भी किसान बेदखली से बच नहीं सकेगा। इसके साथ ही इस खंड के कारण अनेकों कठिनाइयां भी पैदा होंगीं और बुराइयां बढ़ेंगी। इस दिशा में मेरा यह भी निवेदन है कि खंड २(२) के अन्तर्गत जो अधिकार अपने पास रखे हैं, वही विशेषाधिकार धार्मिक तथा शैक्षणिक न्यासों के आधीन जो भूमि है, उसके लिये उन्हें देने चाहियें। विधेयक में मुख्य आयुक्त को भी जो अधिकार दिये गये हैं वह बहुत ही व्यापक है, उनका दुरोपयोग करने की संभावना हो सकती है।

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। जिन लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया मेरे विचार में वे भ्रांति में रहे और उन्हें सही स्थिति समझ में नहीं आई। इसके लिये निवेदन है कुछ वर्ष हुये दिल्ली विधान सभा में भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था। परन्तु भूमि सुधार का कार्य बड़ा गम्भीर है और इस दिशा में बड़े सोच-समझ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। दिल्ली का भूमि सुधार अधिनियम लगभग उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन कानून की तरह का था और इसके अन्तर्गत पट्टेदारों को भूमिधारी के काफी अधिकार प्राप्त हो गये थे। यह सब भारत सरकार द्वारा अपनाई गयी नीति के अनुकूल ही था। यह भी देहातों की बात अब हम शहरों की ओर आ रहे हैं। जो भी इससे पूर्व दिल्ली विधान सभा तथा संसद् ने पारित किये उसमें शहरी क्षेत्र को जानबूझ कर नहीं लिया गया था।

दिल्ली नगर क्षेत्र को भूमि सुधारों संबंधी उपबन्धों से मुक्त रखा गया है। यह विधेयक नगर क्षेत्र से संबंध रखता है और इसके बारे में दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचनायें निकाली जा चुकी हैं। नगर क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कि कृषकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि दिल्ली के विकास से किसानों को भी लाभ पहुंचे। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो अब तक की गयी सारी आलोचना निराधार हो जाती है और मामला समझ में आ जाता है।

यह बात भी सब को अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिये कि विधेयक के खंड ३ के उपबन्ध असाधारण नहीं हैं और उन्हें किसी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये नहीं रखा गया जैसा कि आरोप लगाया गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री का अभिप्राय यह है कि यदि पंजाब का कोई विधान यहां की सामाजिक रीति के अनुसार न हो तो भी मैं उसकी आलोचना न करूं ?

†**श्री दातार:** उन्होंने मुझ पर जो चतुराई करने का आरोप लगाया है वह बिल्कुल गलत है। तथापि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या दूसरी तरह भी हो सकती है। अतः मैं एक संशोधन रख रहा हूं जिसके अधीन ये शब्द हटा दिये जायेंगे।

> "उस रीति से या उस सीमा तक जैसा कि स्थानीय तौर पर, जहां वह भूमि स्थित है, रस्मी हो।"

श्री त्यागी ने यह उल्लेख किया है कि खंड ३ उपखंड २(ख) के अधीन "दो वर्ष के भीतर" शब्दों से उन लोगों को असुविधा हो सकती है जिनके लिये यह सीमा निश्चित की गयी है। उनके विचार से ऐसे भी कुछ नियोग व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अपनी नियोगिता के दौरान कुछ सुविधाओं का लाभ उठाना चाहें। नियोगिता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि इन सुविधाओं का लाभ नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

उठा सके। तथापि उनके सुझाव को भी स्थान देने के लिये हम दो वर्ष के भीतर शब्दों के स्थान पर "दो वर्षों से अनधिक" शब्द रख रहे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह यह जानना चाहते थे कि बेदखली के अधीन कितनी एकड़ जमीन शामिल है। न्यायालयों ने १६ व्यक्तियों को २१ एकड़ जमीन से बेदखल किया। न्यायालय के बाहर जिन काश्तकारों को बेदखल किया गया उनकी संख्या ४७७ और जमीन का कुल क्षेत्रफल ४८२ एकड़ है तथापि इस विधेयक के अन्तर्गत कुल जमीन ४००० एकड़ है और काश्तकारों की संख्या १२०० है।

मैं कह चुका हूं कि इस जमीन के लिये भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन प्रतिकर मिलेगा। अतः ये काश्तकार भी प्रतिकर के अधिकारी हैं। प्रतिकर काश्तकार और जमींदार दोनों को ही मिलेगा।

जहां तक प्रतिकर की राशि का सवाल है वह काश्तकार क कब्जे की अवधि के ऊपर होगी। इस प्रकार काश्तकारों को प्रतिकर देने के संबंध में उपयुक्त विचार किया गया है।

जहां तक धार्मिक और पूर्व संस्थाओं का संबंध है इसके लिये हमने स्पष्ट लिखा है कि "नेक नियती से किये जाने वाले कामों के लिये" अतः यदि कोई कार्य बदनियती से किया जायेगा तो इस उपबन्ध का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। विरोधी पक्ष के लोगों ने धार्मिक संस्थाओं के लिये जमीन दिये जाने की कड़ी आलोचना की है तथापि मैं श्री शर्मा को यह बताना चाहता हूं कि पूर्त संस्थाओं के अधीन शिक्षा, चिकित्सा तथा सामुदायिक लाभ के काम आ जाते हैं।

मकान, पशुशाला और व्यावसायिक क्षेत्र इत्यादि शब्दों को जानबूझ कर शामिल किया गया है। वस्तुतः ग्रामीण और नागरिक जनता को तथा जमींदार और किसान को परस्पर बिना किसी भेद भाव के रहना होगा हमें वास्तव में समस्त समाज के हितों का विचार करना है तथा जो लोग अभाव ग्रस्त है हमें उन के विचारों पर अधिक ध्यान देना है।

श्री नवल प्रभाकर : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो मौरूसी काश्तकार हैं कई जगहों पर उन को जैसा कम्पैन्सेशन मिला है क्या माननीय मंत्री इन लोगों को भी उस कैटेगरी में रखने के लिये तैयार हैं ?

†**श्री दातार:** भले ही ये लोग नगरीय क्षेत्रों में हों तथापि उनका विचार करना होगा। हमारी सामान्य नीति यही है।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है।

"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों की भूमि के काश्तकारों को सहायता देने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

†**सभापति महोदय :** अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। मैं खंड २ को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३ (काश्तकार की बेदखली के कारण)

†श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ २, पंक्ति ३४ और ३५ में से निम्नलिखित शब्द हटा दिये जांये:—

In the manner or to the extent customery in the locality in which the land is situated.

(उस रीति से या उस सीमा तक जैसा कि स्थानीय तौर पर जहां कि वह भूमि स्थित है, रस्मी हो)" (७)

पृष्ठ ३, पंक्ति १४ में:

"within (भीतर)" शब्द के स्थान पर " not latter than' (तक)" शब्द रख दिया जांय । (८)

श्री ब्रजराज सिंह : सभानेत्री जी, माननीय मंत्री जी की तरफ से क्लाज ३ में जो अमेंडमेंट पेश किये गये हैं, उनमें से अमडमेंट ८ के सम्बन्ध में मैं कुछ सफाई चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि **"विदिन"** के स्थान पर **"नाट लैटर देन"** रख दिया जाय। ऐसा लगता है कि इस संशोधन को पेश कर के मंत्री महोदय उन अक्षम लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को, इजेक्टमेंट का अधिकार दे रहे हैं, जिनको डिसेबिलिटी की सूरत में इजेक्टमेंट कराने का अधिकार नहीं है। यह बहुत गलत होगा, क्योंकि डिसेबिलिटी की हालत में ही उन लोगों को यह अधिकार है। जिन काश्तकारों के पास जमीन है, वह इसलिये है कि उनके जो लैंडलार्ड हैं, वे डिसेबल्ड हैं। यदि यह संशोधन पेश कर के मंत्री महोदय की यह इच्छा है कि डिसेबिलिटी की हालत में भी इजेक्टमेंट कराने का अधिकार उन लोगों को मिल जाय, टेनांट्स को बेदखल कराने का अधिकार उनको मिल जाय, तो यह इस बिल के उद्देश्यों के खिलाफ जायगा। अब अगर हम यहां यह रख लेते हैं:

"बेदखली की कार्यवाही, उस व्यक्ति की नियोंगिता समाप्त होने के दो वर्ष से अनधिक समय के अन्दर प्रारंभ की गई हो"

और सब कुछ बाकी रहता है, तो मैं समझता हूं कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मैंने इस क्लाज के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था, खास तौर से रिलीज्स इन्स्टिट्यूशन्स के सम्बन्ध में, उससे मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को कुछ गलतफहमी है। इसकी मंशा ऐसी नहीं है कि मैं जो विरोध करता हूं वह कोई धार्मिक भावना का आदर न करने के कारण करता हूं, या धार्मिक भावना अच्छी नहीं होती है, या यह कि धार्मिक संस्थायें अच्छी नहीं हैं। मैंने जो प्वाइंट उटाया था उसे मैं दोहराना चाहता हूं और चाहता हूं कि मंत्री महोदय उस पर विचार करें। आप जो धर्म की बात करते हैं तो वह काश्तकार की कुर्बानी करने के लिये करना चाहते हैं या अपने आप करना चाहते हैं? अगर काश्तकार की कुर्बानी करके आप धार्मिक भावना से कोई बात कहते हैं तो मैं समझता हूं कि वह धार्मिक भावना ठीक नहीं है। जैसा मैं ने कहा था, होटल बनाना "बोनाफाइड" कारणों में आयेगा या नहीं? इसकी कोई परिभाषा होनी चाहिये कि क्या-क्या चीजें होंगी जिनको "इन फर्दरेन्स आफ दि आब्जेक्ट्स" कहा जा सकता है। जब तक यह निश्चित नहीं होगा तब तक बहुत सी चीजें रह जायगी जिनके लिये कहा जायेगा कि उद्देश्य की पूर्ति के लिये है। इससे अदालत में मुकद्दमे चलेंगे और पैसा बरबाद होंगा। तो यदि आप को उद्देश्य की सफाई करनी है और कहना है कि हम उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये यह करना चाहते हैं, तो इसकी सफाई हो जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दातार : मेरे माननीय मित्र ने काश्तकार और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों का विभेद करने का प्रयत्न किया है। वर्तमान संशोधन के अधीन हमने काश्तकार और संस्था के अधिकारों के बीच संतुलन रखने का प्रयत्न किया है।

इस विधेयक से काश्तकारों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। काश्तकार उस भूमि पर काबिज रहेंगे जो कि किसी धार्मिक संस्था या पूर्तसंस्था के अधिकार में है। उन भूमियों को केवल तभी अर्जित किया जा सकता है जब कि ऐसा करना संस्था या लोक हित में हो केवल इसी आधार पर काश्तकार को हटाया जा सकता है। अन्यथा काश्तकार के अधिकार उसी प्रकार बने रहेंगे।

सभापति महोदय : अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १ मई, १९६१

११ वैशाख, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६५५३—७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७९९	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये ऋण की अदायगी . .	६५५३—५५
१८००	इस्पात कारखानों के लिये कच्चे माल की खरीद . .	६५५५—५८
१८०२	प्रविधिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और और संस्कृति संस्था की ओर से सहायता	६५५८–५९
१८०३	स्कूल के बच्चों के लिये सस्ते केनवस के बैग	६५५९—६१
१८०५	तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर .	६५६१—६३
१८०६	भारतीय वायुसेना द्वारा जोरहाट में भूमि-अधिग्रहण	६५६३—६७
१८०७	उत्कल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का स्थगित किया जाना .	६५६७–६८
१८०८	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारी .	६५६८–६९
१८१०	हौजरी के सामान पर अन्तर्राज्यीय बिक्री कर	६५६९—७१
१८११	ताजमहल आदि में प्रवेश के लिए टिकट	६५७१–७२
१८१३	बबीना टेंक प्रशिक्षण केन्द्र . .	६५७२—७४
१८२०	१९६२ के सामान्य निर्वाचन के लिए प्रबन्ध	६५७४–७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६५७६–६६३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८०१	नई दिल्ली की सड़कें .	६५७६
१८०४	प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कालेज .	६५७६
१८०९	चिकनाई वाले तेलों का कारखाना	६५७६–७७
१८१२	मद्य-निषेध	६५७७
१८१४	बिक्रीकर अपवंचकों का गिरोह	६४७७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१८१५ हिन्दी के प्रविधिक शब्दकोष सम्बन्धी गोष्ठियां ६५७७–७८
१८१६ दिल्ली में कालेज . ६५७८
१८१७ उत्तर प्रदेश–बिहार सीमा . . . ६५७८
१८१८ वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति की तिथियां ६५७८–७९
१८१९ सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम० ई० एस०) प्रतिष्ठान ६५७९–८०
१८२१ पाकिस्तानी सेना के एक पदाधिकारी का दौरा . ६५८०
१८२२ पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष की यात्रा ६५८०–८१
१८२३ सिक्कों की उत्पादन लागत ६५८१
१८२४ विदेशी साहित्यकारों की पुस्तकों का प्रकाशन ६५८१
१८२५ पुनर्वेलन कारखाने . ६५८१–८२
१८२६ असमर्थ व्यक्तियों के लिए रोजगार ६५८२
१८२७ जेसलमेर में तेल की खोज ६५८२
१८२८ सैनिक स्कूल . . . ६५८२-८३
१८२९ वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति की तिथि ६५८३
१८३० एक टन भार वाले ट्रकों की बिक्री ६५८४
१८३१ अंकलेश्वर तेल क्षेत्र ६५८४
१८३२ 'कृषक' विमान का प्रमाणीकरण . ६५८४–८५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४१३३ इस्पात का उत्पादन ६५८५
४१३४ छात्रावासों के निर्माण के लिए पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण . ६५८५
४१३५ पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण ६५८५
४१३६ दक्षिण अर्काट में किला ६५८६
४१३७ लाहौल और स्पिति का विकास . . ६५८६
४१३८ उड़ीसा की आदिम जाजि ग्राम्य कल्याण योजना की निधि का दुरुपयोग ६५८५–८७
४१३९ विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भारतीय सैनिक ६५८७
४१४० पंजाब में लघु बचत योजना ६५८७
४१४१ भारत में बर्मी विद्यार्थी ६५८७
४१४२ विदेशी ऋण पर ब्याज . . ६५८८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४१४३	दिल्ली में स्कूल .	६५८८
४१४४	बाल पुस्तक न्यास . .	६५८८–८९
४१४५	हिमाचल प्रदेश प्रशासन का पुनर्गठन .	६५८९
४१४६	पंजाब में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा .	६५८९
४१४७	पंजाब में छात्राओं के लिये होस्टल	६५८९
४१४८	उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्	६५९०
४१४९	पंजाब में सड़कें	६५९०
४१५०	हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय कर वसूली में कमी	६५९०-९१
४१५१	गैर-सरकारी सार्थों को अमरीकी ऋण . . .	६५९१
४१५२	केरल में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां .	६५९१
४१५३	उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना	६५९२
४१५४	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं	६५९२
४१५५	दिल्ली में हत्यायें	६५९२
४१५६	जामिया मिलिया इस्लामिया, गुरुकुल कांगड़ी आदि को संविहित मान्यता	६५९३
४१५७	साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू की पुस्तकों का अनुवाद .	६५९३
४१५८	पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां .	६५९३–९४
४१५९	स्त्रियों और लड़कियों का असैनिक पव्य दमन अधिनियम .	६५९४
४१६०	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्षों के पद को समाप्त किया जाना . .	६५९४
४१६१	उत्तर प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित . .	६५९४–९५
४१६२	सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी . .	६५९५
४१६३	अन्दमान तथा निकोबर द्वीपसमूह में कहवे की खेती	६५९५–९६
४१६४	दिल्ली में बुनियादी स्कूल .	६५९६
४१६५	गुजरात को इस्पात का आवंटन .	६५९६–९७
४१६६	इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस में श्रमिकों की बस्ती	६५९७
४१६७	बैंकों में जमा रकम में कमी .	६५९७
४१६८	अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण .	६५९७–९८
४१६९	दिल्ली की बस्तियों में प्लाटों की बिक्री	६५९८
४१७०	दिल्ली की बस्तियों में भूमि की पुनः बिक्री	६५९८–९९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४१७१ अनुसूचित जातियों की सहायता के लिये केरल सरकार की योजना ६५९९

४१७२ चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना ६५९९–६६००

४१७३ लोक सभा के लिये नई दिल्ली का उप-चुनाव ६६००

४१७४ मीट्रिक मापों और बटों की पुस्तकें ६६००–०१

४१७५ विवाह-विच्छेद के मामले ६६०१

४१७६ दिल्ली में भिखारी . . . ६६०१–०२

४१७७ चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना ६६०२

४१७८ मजूरी निर्धारण का सूत्र . . ६६०२–०३

४१७९ कोयला खानों के विकास के लिये विदेशी सहयोग ६६०३

४१८० दिल्ली में वस्तुओं का तस्कर व्यापार . ६६०३–०४

४१८१ मद्रास में स्कूल होस्टलों के निर्माण के लिये ऋण . . ६६०४

४१८२ मद्रास में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये होस्टल की इमारतों के लिये सहायता . . ६६०४

४१८३ ब्रिटेन की कम्पनियों में पुनर्बीमा . ६६०४

४१८४ मनीपुर में मद्य निषेध . ६६०५

४१८५ त्रिपुरा में मदरसे . ६६०५

४१८६ त्रिपुरा में भूमि संबंधी विवाद . ६६०५–०६

४१८७ त्रिपुरा में आदिम जाति के झूमिया ६६०६

४१८८ त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक . . ६६०६

४१८९ त्रिपुरा में सरकारी भाषा के रूप में बंगला . ६६०६–०७

४१९० त्रिपुरा में केन्द्रीय करों की वसूली ६६०७

४१९१ त्रिपुरा के न्यायालयों में मामले ६६०७

४१९२ पुराने पुनर्वास केन्द्रों में सहकारी संस्थाओं का कार्य . ६६०८

४१९३ हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मंत्रियों तथा विधान सभा के प्रशासी कर्मचारी . . ६६०८

४१९४ अन्दमान द्वीपसमूह में पकड़ी गयी नौका . . . ६६०८–०९

४१९५ उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां . ६६०९

४१९६ उड़ीसा में बाढ़ पीडितों को सहायता . . ६६१०

४१९७ केन्द्रीय शिक्षण संस्थान के सांख्यिक का विदेशों में प्रशिक्षण ६६१०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४१९८	भीर जिला (महाराष्ट्र) में कोयला पाया जाना.	६६१०–११
४१९९	खेल कूद के सामान निर्माताओं का सम्मेलन	६६११
४२००	अनन्तपुर में इंजीनियरिंग कालेज	६६११
४२०१	कांगो में भारतीय सैनिक .	६६१२
४२०२	श्रीनगर और चण्डीगढ़ के हवाई अड्डे .	६६१२
४२०३	दिल्ली और नई दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	६६१३–१४
४२०४	सरकारी कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण . .	६६१४–१५
४२०५	दिल्ली में कोयला, लोहा तथा इस्पात के लिये अनुसूचित जातियों के लोगों को लाइसेंस .	६६१५
४२०६	भाषायी अल्पसंख्यक . .	६६१५–१६
४२०७	टैक्सी मीटरों की चोरियां	६६१६
४२०८	बनारस में धरारा मस्जिद .	६६१६
४२०९	उड़ीसा में एम० ई० स्कूल .	६६१६–१७
४२१०	सरकारी कर्मचारियों द्वारा पहाड़ी स्थानों की सैर . .	६६१७
४२११	कांगो में भारतीय दस्तों के लिए सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी द्वारा सामान की खरीद	६६१७
४२१२	तेल उद्योग में जन सम्पर्क आन्दोलन	६६१७-१८
४२१३	मनीपुर में अपराधी	६६१८
४२१४	विदेशी आस्तियों में कमी तथा रिजर्व बैंक के ऋण आदि में वृद्धि .	६६१८
४२१५	दिल्ली में कुष्ठ रोगियों को एक नई बस्ती में ले जाया जाना	६६१९
४२१६	प्रतिरक्षा मंत्रालय में पत्रकार	६६१९–२०
४२१७	दिल्ली में स्वयंचालित 'फायर अलार्म'	६६२०
४२१८	महालेखापालों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार.	६६२०–२१
४२१९	गृहमंत्रालय में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति	६६२१
४२२०	हिन्दी के पर्यायवाची शब्द . .	६६२१–२२
४२२१	दिल्ली के पुलिस विभाग में हिन्दी का प्रयोग	६६२२
४२२२	नियम संहिताओं आदि का हिन्दी अनुवाद	६६२२–२३
४२२३	विधि मंत्रालय में हिन्दी अनुवाद	६६२३
४२२४	पालघाट में इंजीनियरिंग कालेज . . .	६६२४
४२२५	खाद्य उत्पादन आन्दोलन के लिये पंजाब के लिये जीपें .	६६२४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४२२६ इम्फाल स्पोर्टिंग क्लब ६६ ४
४२२७ रक्षी वस्त्र सम्बन्धी समिति की सिफारिशें . ६६२४--२५
४२२८ हिन्दी में संधियां और करार ६६२५
४२२९ संस्थाओं का पंजीयन . ६६२५
४२३० हिन्दी में फार्म ६६२६
४२३१ हिन्दी में पत्र व्यवहार ६६२६
४२३२ पैट्रोलियम उत्पादों का आयात . ६६२६--२७
४२३३ मजगांव गोदी, बम्बई ६६२७
४२३४ कनाडा का प्रतिरक्षा दल ६६२७
४२३५ सैनिक स्कूल . . . ६६२८
४२३६ प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा ६६२८--२९
४२३७ उड़ीसा का सम्बलपुर जिला . . . ६६२९
४२३८ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता ६६२९
४२३९ उड़ीसा में बकाया मामले . ६६२९--३०
४२४० नई दिल्ली में अवैध टकसाल का पकड़ा जाना ६६३०
४२४२ भारतीय प्रशासन सेना के पदाधिकारी ६६३०--३१
४२४३ दिल्ली में दूध बेचने वाले की मृत्यु . . ६६३१
४२४४ जगाधरी (पंजाब) की फर्मों को स्टेनलैस स्टील का कोटा . ६६३२
४२४५ सरकारी सहशिक्षा उच्च माध्यमिक स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ६६३२
४२४६ सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ६६३३
४२४७ अवैध तरीकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना . . . ६६३३
४२४८ प्रादेशिक भाषाओं में शब्दकोश . . . ६६३३
४२४९ सार्वजनिक रोजगार (निवास सम्बन्धी अपेक्षाएं) अधिनियम . ६६३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ६६३४--३५

श्री हेम बरुआ ने हाल में हुई ८ अप हावड़ा--पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना की ओर, जिस के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य कई जख्मी हुये, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विसय की ओर ध्यान दिलाना—(क्रमशः)

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० स्वामी) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया और उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६६३५–३६

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत ३० जून, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) प्राक्कलन समिति के बानवें प्रतिवेदन के पैराग्राफ २८ में की गई सिफारिश के अनुसरण में, एक विवरण जिस में यह बताया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध वर्ष १९६० में किस हद तक कार्यान्वित किये गये ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियमों तथा विनियमों और उप-नियमों के नियम ७९(४) के अन्तर्गत उक्त परिषद् के वर्ष १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९५९–६० के लेखापरीक्षित लेखे सहित ।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रविधिक प्रतिवेदन ।

(४) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) शासकीय न्यासधारी अधिनियम, १९१३ के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन ।

(दो) प्रन्यास अधिनियम, १८८२ के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन ।

राज्य सभा से सन्देश ६६३६–३६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा लोक-सभा की लोक लेखा समिति से सम्बद्ध होने के लिये राज्य सभा से, सात सदस्यों के मनोनीत करने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और उसने राज्य सभा के सदस्यों के नाम भेजे हैं जो समिति के लिये निर्वाचित किये गये हैं।

(दो) कि राज्य सभा को वित्त विधेयक, १९६१ के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा २२ अप्रैल, १९६१ को पारित किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६६३७

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और १७ अप्रैल, १९६१ को सभा को दी गई अंतिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ ।

(२) उड़ीसा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६१ ।

(३) वित्त विधेयक, १९६१ ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६३७–३८

चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ६६३८–३९

बारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया . . ६६३९—४३

आयकर विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . ६६४३—६५

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा आरम्भ हुई परन्तु समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक पर खंडवार अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना और निम्नलिखित विधेयकों पर भी चर्चा और उनका पारित किया जाना :—

१. भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक

२. विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१

३. विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१

४. कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८–५९ तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८–५९ पर चर्चा तथा मतदान ।

GMGIPND—LS III—572 (Ai) LSD—1-7-61—125

आयकर विधेयक—जारी	पृष्ठ
दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक . . .	६६४३—६५
विचार करने का प्रस्ताव	६६४३—६५
श्री दातार	६६४३—६५
श्री वारियर	६६४५–४६
श्री ब्रजराज सिंह	६६४६—५०
श्री त्यागी	६६५०
श्री राधा रमण	६६५१—५४
श्री रंगा	६६५४–५५
श्री नवल प्रभाकर	६६५५—५८
श्री बलराज मधोक	६६५८
चौधरी रणबीर सिंह	६६५८—६१
श्री दी० चं० शर्मा	६६६१ ६२
खंड २ और तीन	६६६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	६६६६—६६७३

PLS. 41. LV. 57. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पाँचवाँ संस्करण) के नियम ३७६ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।